

**CENTRAL
WAREHOUSING
CORPORATION
(STAFF)
REGULATIONS 1986**

UPDATED



भारत का संजापन The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 7)

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1986/फाल्गुन 9, 1907

No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1986/PHALGUNA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation.

केन्द्रीय भाण्डागार निगम
(भारत सरकार का एक उद्यम)
नई दिल्ली, तारीख 28-2-1986
अधिसूचना

द्वारा संविदा पर या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित सभी व्यक्तियों
पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ
में अन्यथा अनेकित न हो:

(क) “परिशिष्ट” से अभिप्रेत इन विनियमों में एक
परिशिष्ट है।

(ख) “निदेशक बोर्ड” से अभिप्रेत निगम का निदेशक
बोर्ड है।

(ग) “निगम” से अभिप्रेत भाण्डागार निगम अधिनियम,
1962 (1962 का 58) की धारा 3 के
अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम है।

(घ) किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के
संबंध में “अनुशासनिक प्राधिकारे” से अभिप्रेत
इन विनियमों के अधीन वह प्राधिकारे जो उस
पर शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम हैं।

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना:—(1) इन
विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागार निगम (कर्मचारी वृद्धि)
विनियम, 1986 है।

(2) ये तरत्तु प्रत्यक्ष होंगे।

(3) ये निगम के सभी कर्मचारियों और उन सभी
भागलों के बारे में जो संविदा द्वारा या प्रतिनियुक्ति की गयीं
द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, विनियमित नहीं होते हैं, निगम



भारत का गज़ेट The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 7) नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1986/फाल्गुन 9, 1907

No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1986/PHALGUNA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

केन्द्रीय भाण्डागार निगम
(भारत सरकार का एक उद्यम)

नई दिल्ली, तारीख 28-2-1986
अधिसूचना

संख्या के०भा०नि०/१४/४-स्था० :—भाण्डागार निगम
अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा
प्रदत्त अधिकारों का तथा केन्द्रीय सरकार को पूर्व नंजूरी से
केन्द्रीय भाण्डागार निगम एवंद्वारा निम्नलिखित विनियम
बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

1. संस्थित नाम, प्रारंभ और लागू होना :—(1) इन
विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (कर्मचारी वृन्द)
विनियम, 1986 है।

(2) ये तरन्त प्रतृत होंगे।

(3) ये निगम के सभी कर्मचारियों और उन सभी
मामलों के बारे में जो संविदा द्वारा या प्रतिनियुक्ति के शर्तों
द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, विनियमित नहीं होते हैं, निगम

द्वारा संविदा पर या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित सभी अधिकारों
पर लागू होंगे।

2. परिमापाएँ :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ
में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत इन विनियमों में एक
परिशिष्ट है।

(ख) "निदेशक बोर्ड" से अभिप्रेत निगम का निदेशक
बोर्ड है।

(ग) "निगम" से अभिप्रेत भाण्डागार निगम अधिनियम,
1962 (1962 का 58) की धारा 3 के
अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम है।

(घ) किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के
संबंध में "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत
इन विनियमों के अधीन वह प्राधिकारी जो उस
पर शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम है।

- (इ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो निगम की पूर्णकालिक सेवा में है लेकिन निगम द्वारा दिहाड़ी पर नियोजित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है।
- (च) "कार्यकारी" समिति से अभिप्रेत निगम की कार्यकारी समिति है।
- (छ) "महा प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम या सहा प्रबन्धक है।
- (ज) "सुयवत प्रबन्धक (कार्मिक)" से अभिप्रेत निगम के प्रधान कार्यालय में निगम का संयुक्त प्रबन्धक (कार्मिक) है।
- (झ) "प्रबन्धक निदेशक" से अभिप्रेत निगम का प्रबन्ध निदेशक है।
- (ञ) "वेतन" से अभिप्रेत किसी कर्मचारी द्वारा वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और अन्य कोई परिलिखित वेतनों, जिनमें भत्ते शामिल नहीं हैं, के रूप में लो गई राशि है, जो निदेशक बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विशिष्ट रूप से वर्गीकृत की जायेगी।
- (ट) "कार्मिक प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम का कार्मिक प्रबन्धक है।
- (ठ) "सरकारी संस्थान" से अभिप्रेत एक निकाय, निगमित अथवा/नहीं है, जो सरकार के पूर्णतया या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में है।
- (ड) "क्षेत्रीय प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम के किसी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी है।
- (ण) "नियमित कर्मचारी" से अभिप्रेत वह कर्मचारी जो नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्टि के अनुसार परिवेक्षा को अवधि को पूरा किया गया घोषित किया गया है।
- (त) "चयन समिति" से अभिप्रेत निगम में विभिन्न पदों के लिये कार्मिकों का चयन करने के लिये निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त एक समिति या नियुक्ति प्राधिकारी है और इसमें विभागीय प्रोफेशन समिति शामिल होंगी।
- (थ) अस्थायों कर्मचारों से अभिप्रेत आरम्भिक नियुक्ति पर परिवेक्षा पर कोई कर्मचारी है।

3. व्याख्या :—यदि इन विनियमों को व्याख्या करने या लागू करने में कोई सन्देह या कठिनाई पैदा होती है या यदि इन के प्रयोग में कोई दुष्टि, असंगति या विरोधाभास का पता लगता है तो निदेशक बोर्ड सामान्य अनुदेश जरूर कर सकता है जो अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों या समय-समय पर सरकार ऐसे सन्देह, कठिनाई, दुष्टि, असंगति या विरोधाभास को दूर करने के प्रयोजन के लिये निगम पर लागू होने को सीधा तरु जारी किये गये अनुदेशों के असंगत नहीं हैं।

वर्धयाय 2

सेवा की सामान्य शर्तें

4. पदों का वर्गीकरण :—निगम के पदों का निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया जायेगा :—

समूह "क"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 1300 रुपये से कम नहीं है।

समूह "ख"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 900 रुपये से कम नहीं है लेकिन 1300 रुपये से कम है।

समूह "ग"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 290 रुपये से ऊपर है लेकिन 900 रुपये से कम है।

समूह "घ"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 290 रुपये या कम है।

टिप्पणी : उपर्युक्त वर्गीकरण विद्यमान वेतनमानों पर आधारित है और वेतनमानों के पुनरेक्षण होने पर तदनुसार उनमें पुनरेक्षण किया जायेगा।

5. पदों का सृजन :—निदेशक बोर्ड अपने कार्यों को करने के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रवर्गों के अन्तर्गत पदों की संख्या का समय-समय पर अवधारण करेगा।

निम्नलिखित प्राधिकारों निगम में नये अथवा अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिये सशक्त होंगे।

प्राधिकारों पद का प्रवर्ग

निदेशक बोर्ड स्तर के नीचे का कोई पद।

प्रबन्ध निदेशक निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धान्तों और मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अधीन किसी प्रवर्ग में कोई पद जिसका अधिकतम वेतन 1600 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

6. नियुक्ति प्राधिकारी :—परिशिष्ट 1 में स्तम्भ 2 में उपर्युक्त प्रकार के पदों पर नियुक्तियां करने के लिये सदृशम प्राधिकार : वे होंगे जो उस परिशिष्ट के स्तम्भ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विविरित हैं।

7. नियुक्तियों के संधर्ष में साधारण शर्तें :—निगम की सेवागत सभी नियुक्तियों पर निम्नलिखित साधारण शर्तें लागू होंगी :—

(क) कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का न हो प्रारम्भिक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ख) निगम की सेवा में नियुक्ति के लिये प्रावश्यक है कि उम्मीदवार :—

- (1) भारत का नागरिक हो, प्रथम
- (2) नेपाल की प्रजा हो, प्रथम

- (3) भूटान की प्रजा हो, अथवा
- (4) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से भारत आया हो; अथवा
- (5) भारतीय भूल का व्यक्ति हो जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ़्रीका के केन्द्रा, उगांडा, तथा तन्जानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगोनायका तथा जंजीबार) जाम्बिया, मालवई, जायर, इथोपिया और वियतनाम देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु यह कि प्रवर्ग (2), (3), (4) और (5) के उम्मीदवार के लिये ऐसा व्यक्ति होता चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र दिया गया हो ।

(ग) वह उम्मीदवार जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र दिये जाने के अधीन रहते हुए, सम्मिलित किया जा सकेगा और अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा ।

(घ) कोई व्यक्ति तब तक आरम्भतः नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अहित/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाये कि वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिये चिकित्सीय दृष्टि से ठीक है ।

स्पष्टीकरण : जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे इस उपबन्ध का लागू किया जाना सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्तियों तक हो सौमित्र होगा ।

(ङ) वह व्यक्ति जो पहले ही निगम की अथवा राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं उपकरणों की सेवा से पदच्युत अथवा अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा चुका हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वालित है सिद्ध दीष ठहराया गया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा जो पति या पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह करता है, निगम की सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञात है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ज) खण्ड (घ), (ङ), (च) और (छ) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति सभी प्रकार से नियुक्ति के योग्य है ।

8. नियुक्ति की रीति :—(1) निगम की सेवा में नियमित नियुक्तियां केवल परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट ऐसे पदों जो कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किए गए हैं, पर की जा सकेंगी और ऐसी नियुक्तियां—

(क) उक्त परिशिष्ट 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट किसी भी रीति के अनुसार; अथवा

(ख) निगम की सेवा में प्रतिनियुक्ति कमचारियों के स्थाई रूप से आमेलन द्वारा;

की जाएगी ।

(2) जहां किसी पद के सम्बन्ध में, उस पद पर नियुक्ति की रीति के संदर्भ में कोई अर्हता या आयु सीमाएं परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट की गई हों, तो उस प्रवर्ग में उस रीति से केवल ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अर्हताएं धारण करते हों तथा आयु सीमाओं के अन्दर हों :

परन्तु यह कि बोर्ड, भावेश द्वारा परिशिष्ट 2 में व्यक्तियों के वर्ग अथवा प्रवर्ग के लिए दिए गए भर्ती नियमों के किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(3) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन निगम में किसी भी पद पर नियुक्तियां निम्नलिखित रूप में की जा सकेंगी :—

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा निदेशक बोर्ड के पूर्वानुमोदन से, किसी निजी क्षेत्र के उपक्रम के उपयुक्त अधिकारियों की तीन वर्ष की आरम्भिक अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार अथवा निगम की सेवा से अधिवर्षता पर निवृत्त कर्मचारियों का अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियोजन द्वारा; किन्तु ऐसा पुनर्नियोजन निदेशक बोर्ड की थेणी के निम्नतर प्राधिकारी द्वारा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से मंजूर किया जाएगा ;

(ग) अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए विशुद्धतः स्थाई आश्राम पर;

- (d) ऐसे निबंधों और शर्तों पर जैसे कि निदेशक बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, विशेष संविदा पर।
9. भर्ती और प्रोन्लति के लिए प्रक्रिया
- (क) सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :— (1) सीधी भर्ती को निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- (2) चयन किए गए उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति प्रबिकारी द्वारा इस नियमित अनुमोदित अहित चिकित्सा अवसायी के समक्ष, चिकित्सीय जांच के लिए उपस्थित हों। चिकित्सीय जांच के लिए संदेय फीस निगम द्वारा दी जाएगी।
- (ख) प्रोन्लति के लिए प्रक्रिया :— (1) परिशिष्ट 2 में उल्लिखित अचयन पदों के संबंध में प्रोन्लति वरिष्ठता के आधार पर इस बात के अधीन रहते हुए कि कर्मचारी योग्य है, की जाएगी।
- (2) परिशिष्ट 2 में उपर्दर्शित चयन पदों के संबंध में प्रोन्लति योग्यता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर विचार के बाल तभी किया जाएगा जब प्रतियोगी अध्यर्थियों की योग्यता समान है।
- (3) सभी प्रोन्लतियों पर इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और वे निदेशक बोर्ड द्वारा, अस्थर्थियों के चयन के क्षेत्र, नामिका के आकार और नामिका की अधिमान्यता की बाबत जारी किए गए साधारण अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगी।
- (ग) निगम के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण :—निगम की सेवा में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अविक्तियों के प्रवर्गों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु सीमाओं में शिथिलता और अन्य रियायतें दी जाएंगी। प्रबन्ध निदेशक तदनुसार व्यौरावार प्रशासनिक शादेश जारी कर सकेगा।
10. परिवीक्षा :— (1) किसी पद पर नियमित रूप से अथवा सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्लति द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, कार्यभार प्रहण करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहता होगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार परिवीक्षा को अवधि से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकेगा।
- (3) परिवीक्षा की अवधि के दौरान सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी को एक मास की सूचना देकर अथवा उसके बदले में बेतन देकर, कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना सेवा मुक्त किया जा सकेगा। सीधी भर्ती द्वारा उच्चतर

पद पर नियुक्त किए गए विभागीय उम्मीदवार को परिवीक्षा की अवधि के दौरान बिना सूचना के तथा कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना, ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारक भूल पद पर अवनति किया जा सकेगा।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नतर पद से उच्चतर पद पर प्रोन्लति किए गए कर्मचारी को बिना सूचना के और कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना निम्नतर पद पर अवनति किया जा सकेगा।

(5) जहाँ किसी कर्मचारी ने किसी पद पर नियमित नियुक्ति होने से ठीक पूर्व किसी पद पर अविच्छिन्न अस्थायी सेवा की हो अथवा प्रतिनियुक्ति पर अविच्छिन्न सेवा की हो तो इस प्रकार अस्थायी रूप से अथवा प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा की अवधि की गणना, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो, परिवीक्षा की अवधि के प्रति की जाएगी। तथापि, इससे वरिष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस ग्रेड में वरिष्ठता के सामान्य नियमों द्वारा शासित होगी।

11. विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा :—निगम की सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय प्रत्येक व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पूर्व परिशिष्ट 3 पर प्रपत्र में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करनी होगी। ऐसी घोषणा उसे उस अधिकारी के समक्ष करनी होगी जिसे वह इटूटी के लिए रिपोर्ट करता है और यह सम्पूर्ण रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होगी।

12. सेवा के लिए दायित्व :—निगम के अधीन किसी पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति को भारत में अथवा बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

13. प्रशिक्षण :—सभी कर्मचारियों को उस अवधि के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी जो निगम द्वारा समय-समय पर विहित की जाएंगी।

14. वरिष्ठता :—निगम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित होगी :—

(1) सीधे भर्ती कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस योग्यता कम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिस कम में ऐसी नियुक्ति के लिए उनका चयन किया जाता है। जब दो या अधिक अध्यर्थियों को प्रथम स्थान पर और एक ही चयन में समान योग्यता का होना घोषित किया जाता है तब उनकी सापेक्ष वरिष्ठता अन्य तिथि द्वारा अवधारित की जाएगी, आयु में बड़ा अध्यर्थी वरिष्ठ होगा। पूर्वतर चयन के परिणाम के अनुसार नियुक्ति अविक्त एवं प्राप्तरात्म चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त अविक्तयों से वरिष्ठ होंगे।

(2) अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद के प्रवर्गों में प्रोन्नतियों और सीधी भर्तियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के अधीन रहते हुए वरिष्ठता के अवधारण की कसौटी प्रोन्नतियों के मामले में प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में दिया गया कम होगी और सीधी भर्तियों के मामले में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार योग्यता कम होगी। वरिष्ठता का अवधारण करते समय, प्रोन्नति को सीधी भर्ती से उस अनुपात में ऊपर रखा जाएगा जिस में भर्ती की गई है।

(3) सभी समूह "घ" पदों और समूह "ग" में वेयर-हाउसिंग सहायक ग्रेड-2 के पदों की वरिष्ठता क्षेत्रीय आधार पर बनायी जाएगी।

स्पष्टीकरण : पैराग्राफ (3) के प्रयोजन के लिए निगम के प्रधान कार्यालय को एक अलग क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा।

15. प्रोन्नति पर वरिष्ठता :—पूर्वतर चयन पर प्रोन्नति के लिए चुने गए अस्थर्थी बाद में चुने गए अस्थर्थियों से, पद ग्रहण की तारीखों को विचार में लाये बिना वरिष्ठ होंगे। यदि प्रोन्नति आदेश में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं तो उनकी वरिष्ठता संगत प्रोन्नति नियमों के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार होगी।

16. स्थानान्तरण पर वरिष्ठता :—क्षेत्रीय वरिष्ठता वाले पदों पर यदि कर्मचारी का निगम के हित में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण किया जाता है, तो कर्मचारी की वरिष्ठता, यथास्थिति, ग्रेड में प्रोन्नति/नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में विनियमित की जाएगी, तथापि, यदि कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानान्तरण होता है तो ग्रेड में अन्तरित कर्मचारी की सेवा अवधि का विचार किए बिना नये क्षेत्र में संगत ग्रेड में कर्मचारियों से नीचे निर्धारित की जाएगी।

17. शास्ति के कारण वरिष्ठता में अवनति :—(1) उस कर्मचारी की वरिष्ठता जिसका वेतन अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसी काल वेतनमान में कम कर दिया जाता है, ऐसा आदेश द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

(2) किसी कर्मचारी की वरिष्ठता जिसकी अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी निम्नतर ग्रेड या पद पर अवनति की जाती है और शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश में ऐसी अवनति की अवधि विनियमित नहीं की जाती है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे कर्मचारी को पुनः प्रोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र होने के लिए अवनति ग्रेड/पद में विहित अर्थक सेवा करनी प्रयोक्तिहोगी। पुनः प्रोन्नति होने पर ऐसे किसी कर्मचारी की वरिष्ठता अपनी अवनति से पूर्व ऐसी सेवाग्रिद में उसके द्वारा की गई सेवा

के बारे में व्याज रखे बिना पुनः प्रोन्नति की तारीख से अवधारित की जाएगी जहाँ किसी निम्नतर ग्रेड या पद पर विनियमित काल वेतनमान में अवनति की शास्ति विनियमित अवधि के लिए है, वहाँ संबंधित कर्मचारी जिस पद से उसकी अवनति हुई थी, उस पद परने आप ही पुनः प्रोन्नति हो जाएगा और मूल ग्रेड या पद या काल वेतनमान में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यदि उससे उसकी अवनति न हुई होती।

18. आमेलन पर प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की वरिष्ठता :—

(1) यदि प्रतिनियुक्ति कर्मचारी उसी ग्रेड में आमेलन होता है जिसमें प्रतिनियुक्ति पर मूलतः नियुक्त हुई थी तो उसकी वरिष्ठता निगम में उस ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर उसकी मूल नियुक्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

(2) एक ही ग्रेड में सीधी भर्ती या प्रोन्नति हुए कर्मचारों के मूलकाले में आमेलन पर प्रतिनियुक्ति कर्मचारी की वरिष्ठता ग्रेड में नियुक्ति की तारीख के आधार पर निरिचित की जाएगी। जब सीधी भर्तियों, प्रोन्नतियों के मामले में नियुक्ति की आदेश की तारीख और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में आमेलन की तारीख एक ही घटित होती है तब प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को सीधी भर्तियों से कठर रखा जाएगा लेकिन चयन के समय तैयार सीधी भर्तियों की आपसी वरिष्ठता के अधीन प्रोन्नतियों के नीचे रखा जाएगा।

19. पदत्याग :—(1) कोई भी कर्मचारी निगम की सेवा से बिना लिखित में उचित सूचना दिए जो नियमित कर्मचारी के मामले में तीन मास और परिवीक्षा पर व्यक्ति के मामले में एक मास होतो, पद स्थाग नहीं कर सकेगा। नियमित कर्मचारी को सीधी भर्ती के प्रति या तो प्रोन्नति पर अवधा नियुक्ति पर परिवीक्षा पर उच्चतर पद धारण कर रहा है, को भी तीन मास को सूचना देना प्रयोक्तिहोगा। परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी सूचना का अधित्यक्त करने की स्वतन्त्रता होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पद स्थाग को तुरन्त प्रभावी रूप से स्वीकार कर सकेगा अथवा सूचना की अवधि के प्रवर्तन के पूर्व किसी भी समय स्वीकार कर सकेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी जिसने पद स्थाग करने की सूचना दी है, बिना प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदित के उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(4) कर्मचारी द्वारा किया गया पद स्थाग तभी प्रभावी होगा जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है और कर्मचारी को कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाता है।

(5) बिना उचित सूचना दिए भी र प्रबन्ध द्वारा उसके पद स्थाग को स्वीकार किए बिना भी बिना अपचारिक रूप से अपने कर्तव्यों से मुक्त नियम की सेवा कोइन वाला कर्मचारी इन विनियमों के प्रश्नोत्तराद्वारा अपराधाई का आधार होगा।

(6) जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट धरविधि के लिए निगम की सेवा करने के लिए बंध पत्र के अधीन है, उसे सूचना धरविधि के अतिरिक्त प्रतिभूति बंध पत्र के अधीन यथा विनिर्दिष्ट राशि की निगम को क्षतिपूर्ति करती होगी। परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक प्रत्येक मासले के गुणवश्यों पर निर्भर करते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति की अपेक्षा का सारा या भागतः अधित्यजन कर सकता है या अन्यथा निदेश दे सकता है।

20. सेवा को समाप्ति और सेवोन्मुक्ति:—(1) जैसी सेवा को संविदा में विनिर्दिष्ट रूप से व्यवस्था की गई है, को छोड़कर निगम निम्नलिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले वेतन का भुगतान कर किसी कर्मचारी को किसी समय सेवोन्मुक्त या कर्मचारी को सेवा समाप्त कर सकता है:—

कर्मचारी का प्रवर्ग

सूचना की अवधि

(क) नियमित कर्मचारी

तीस मास

(ख) अस्थायी कर्मचारी

एक मास

(2) निगम द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधारों पर भी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति की जा सकेगी :

(क) पद की समाप्ति पर;

(ख) चिकित्साय आधार पर आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर;

(ग) दिवाला;

(घ) किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता हो, सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(इ) प्रबन्ध की बिना लिखित में अनुमति से किसी अन्य जगह नौकरी करता हो या कर्तव्य से छुट्टी की धरविधि के दीरान अन्यत्र काम करता हुआ पाया गया हो;

(ख) निगम द्वारा किसी कर्मचारी जो विश्वास का पद या उसके कर्तव्यों के स्वरूप के कारण पद सम्भाल रहा है, में विश्वास की हानि;

(छ) यदि कोई कर्मचारी तपेदिक, कुष्ठ, मानसिक या परिद्रेष रोगों या निचले/ऊपरी आग के भंग के कारण पीड़ित है तो उसकी 24 मास से धरविधि की सामातार धरविधि के लिए बीमारी के आधार पर अनुपस्थिति।

(ज) छुट्टी देने वाले सभी प्राधिकारी की बिना लिखित अनुमति से एक मास से धरविधि के लिए अनुधिकृत अनुपस्थिति।

21. प्रधिविषिता और सेवा-निवृत्ति:—(1) निगम की सेवा में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी जिस मास में उसकी 58 वर्ष को आयु होती है, उसके अन्तिम दिन को सेवा-निवृत्त हो जाएगा, परन्तु यह कि यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि मास को पहलो तारोख है तो वह 58 वर्ष की आयु होने पर पिछले मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जाएगा।

(2) ऊपर खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी की यदि यात्रा हो कि ऐसा करना निगम के हित में है, तो उसे इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रदर्शी “क”, “ख”, “ग” और “घ” के कर्मचारी को यदि उसकी आयु 50 वर्ष हो गयी है तो कम से कम स्पष्ट तीन मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवा-निवृत्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रवर्ग से संबंधित कोई कर्मचारी 50 वर्ष को आयु का हो जाने के पश्चात् नियुक्त प्राधिकारी को कम से कम स्पष्ट तीन मास की लिखित सूचना देकर निगम को सेवा से स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो सकेगा।

स्पष्टीकरण : 1. ऊपर वित्तयम (2) के अधीन दी गई सूचना को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करना अपेक्षित होगा, वशर्ते कि स्वेच्छा सेवा-निवृत्त के लिए अनुज्ञा के किसी इंकार की अनुपस्थिति में, वह नोटिस की धरविधि के प्रवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

स्पष्टीकरण : 2. जिस कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त का घ्यन किया है और ऊपर वित्तयम (2) के अधीन एक सूचना दी है, वह बिना नियुक्त प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अपनी सूचना वापस नहीं ले पायेगा।

(3) ऊपर खण्ड (1) और (2) में दी गई कोई बात सभी प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को सम्यक् सूचना देकर या उसने बदले में वेतन देकर उस दशा में सेवा-निवृत्त कर देने के अधिकार पर प्रभाव ढालने वाली होगी जब किसी ऐसे स्वास्थ्य परोक्षक द्वारा जिसे प्राधिकारी इस प्रयोगन के लिए नाम निर्दिष्ट कर ऐसा प्रभागित किया जाए कि वह कर्मचारी सामातार बीमारी धरविधि दुर्घटना के कारण और आगे निरन्तर सेवा करने योग्य नहीं रह गया।

(4) सभी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि कोई कर्मचारी सामातार बीमारी धरविधि दुर्घटना के कारण और आगे निरन्तर सेवा करने के योग्य नहीं रह गया है, उस कर्मचारी को उसके प्रपत्ति अनुरोध पर सेवा निवृत्त होने की आज्ञा दे सकेगा।

अध्याय 3

22. वेतनमानः (1) निगम के विभिन्न प्रवर्गों के पदों के लिए लागू होने वाले वेतनमान परिशिष्ट-2 सारणी के स्तरम् संख्या 4 में वर्णित है।

(2) निगम में विभिन्न पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के अधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के वेतन और भत्तों का निगम और उधारदाता संगठन के बीच आपस में तयशूदा विदेश सेवा की ऐसी शर्तों और निबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

23. (1) मंहगाई भत्ता : जब तक नौकरी की शर्तों और निबन्धों में अन्यथा न बताया गया हो, प्रत्येक कर्मचारी भारत सरकार अम मंत्रालय में अन्य व्यूरो द्वारा 1960=100 शृंखला या सरकार द्वारा विहित की गई ऐसी अन्य शृंखला पर प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई दरों पर औद्योगिक मंहगाई भत्ता लेने के लिए पात्र होगा।

(2) अन्य भत्ते : निगम, निदेशक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर किन्हीं अन्य भत्तों की किसी और शर्तें और निबंधन विहित कर सकेगा जिनके अनुसार ऐसे भत्ते मंजूर किए जा सकेंगे। मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता की अदायगी को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए नगरों और शहरों का वर्गीकरण वही होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

परन्तु यह कि इस विनियम के बारे में निदेशक बोर्ड को निहित अधिकारों का प्रयोग, ऐसे निदेशों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अनुदेशों के अधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

24. प्रथम नियुक्ति पर वेतन : निगम की सेवा में किसी पद पर नयी नियुक्ति की दशा में कर्मचारी का प्रथम मूल वेतन जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया हो उस पद के वेतनकाल के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा लेकिन निम्नलिखित मामले अवधार होंगे।

(1) खुले विज्ञापन पर उच्चतर पदों के लिए चुने गए विभागीय उम्मीदवारों का वेतन प्रोफ्रेशन पर वेतन के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

(2) आपातिक कमीशंड/घर्ष्य सेवा कमीशंड अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य प्रवर्ग के मामले में जिन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष आदेश जारी किए गए हैं, निगम के वेतनमान में ऐसे

कर्मचारी को वेतन निर्धारित करते समय उन्हें व्यापार में रखा जाएगा।

(3) उन व्यक्तियों के मामले में जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, सरकारी संस्थान, में पहले नौकरी कर रहे हैं, निगम में किसी पद पर नियुक्ति पर उनका वेतन, वेतनमान में उस प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा जिससे पिछली नौकरी में ली गई अन्तिम कुल परिवर्त्यों (जिनमें वेतन और मंहगाई भत्ता शामिल है) को सुरक्षित किया जा सके और यदि वेतनमान में तत्संबंधी प्रक्रम नहीं है तो अगले उच्चतर प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(4) प्रथम नियुक्ति पर सुपाद मामलों में चयन समिति द्वारा भभिस्तावित और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में पद पर लागू वेतनमान में अधिक से अधिक पांच वेतन वृद्धि देकर उच्चतर वेतन देने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, निदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से असाधारण परिस्थितियों में और योग्यता पर पांच वेतनवृद्धि से अधिक की अनुमति दी जा सकती है।

25. प्रोफ्रेशन होने पर वेतन : (1) जब कोई कर्मचारी उच्चतर पद अथवा ग्रेड में प्रोफ्रेशन किया जाए तब उसका प्रारम्भिक वेतन नये काल मान में निम्नतर पद के बारे में उसके वेतन में उस प्रक्रम पर एक वेतनवृद्धि देकर जिस पर ऐसा वेतन प्रोद्भूत होता है, यदि वह उच्चतर वेतनमान के न्यूनतम की अपेक्षा निम्नतर होता है, तो सेंदान्तिक रूप से पहुंचे वेतन के अगले ऊपर के प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) जब कोई कर्मचारी अपनी प्रोफ्रेशन के ठीक पहले निम्नतर पद के कालमान के अधिकतम पर वेतन ले रहा था तब उसका प्रारम्भिक वेतन उच्चतर पद के कालमान में, निम्नतर पद के कालमान की अन्तिम वेतनवृद्धि के समतुल्य राशि, द्वारा निम्नतर पद में उसका वेतन बढ़ाकर सेंदान्तिक रूप से पहुंचे वेतन के अगले ऊपर के प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी इस प्रक्रम पर वेतन ले रहा है जहाँ वेतनवृद्धि द्विवार्षिक है, तब सेंदान्तिक वेतनवृद्धि का साथ केवल उस दशा में दिया जाएगा यदि उस प्रक्रम पर एक वर्ष या अधिक समय के लिए सेवा की गई हो।

(4) यदि किसी कर्मचारी ने उच्चतर वेतनमान में पहले स्थानापन्न रूप में कार्य किया था या तथां आधार पर प्रोफ्रेशन किया गया है, तो उसी वेतनमान पर या अन्य समान वेतनमान वाले पद पर पुनःप्रोफ्रेशन होने पर निर्धारित

प्रारम्भिक वेतन उच्चतर वेतनमान के अन्तिम बार लिये गए वेतन से कम नहीं होगा और जिस (अवधियों) के लिए वह वेतन लिया गया था, उसे उच्चतर वेतनमान में वापिक वेतनवृद्धि लेने के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(5) जब सक्षम अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी उच्चतर पद का प्रभार धारण करने की विनिर्दिष्ट प्रपेक्षा करे, तब वह उस उच्चतर पद पर प्रोफ्रेशनल हुआ नहीं माना जाएगा और वह प्रोफ्रेशनल होने के रूप में वेतन निर्धारण के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, वह कर्मचारी निदेशक बोर्ड द्वारा समय, समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रभार भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

26. प्रोफ्रेशनल पर विशेष वेतन-प्रभार भत्ता /वैयक्तिक वेतन पर विचारः (1) उच्चतर प्रेड में वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विशेष वेतन की प्रवहेलना तब तक नहीं की जाएगी जब तक यह तीन वर्ष की अवधि के लिए लगातार लिया गया है या यह उच्चतर प्रेड के बदले में अनुशास्त है।

(2) प्रोफ्रेशनल पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रभार भत्ते को नहीं गिना जाएगा।

(3) वैयक्तिक वेतन जिन दशाओं में लागू होता है, को उससे सम्बद्ध निवन्धनों के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा।

27. प्रतिवर्तन पर वेतन निर्धारणः उच्चतर प्रेड अथवा पद से निम्नतर प्रेड अथवा पद पर प्रतिवर्तित कर्मचारी का वेतन इस प्रकार से निम्नतर प्रेड में निर्धारित किया जाएगा कि वह निम्नतर वेतनमान में उस वेतन के बराबर लेता रहता यदि उच्चतर वेतनमान में उसकी प्रोफ्रेशनल होती।

28. प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों का वेतन निर्धारणः प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों का वेतन, उसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिन पर मूल प्राधिकारी और निगम परस्पर सहमत हों, विनियमित होगा लेकिन यह शर्त रहेगी कि प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को मिलने वाले फायदे किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विहित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

29. वेतन वृद्धियाँः (1) जिस पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसके काल वेतनमान में वेतनवृद्धियाँ सामान्य अनुक्रम में की जाती रहेगी सिवाय उन मामलों के जिनमें इन विनियमों के अन्तर्गत अधिरोपित किसी शास्ति के फलस्वरूप ऐसी वेतनवृद्धियाँ रोक दी गई हों।

(2) जिन कर्मचारियों की वास्तविक वेतनवृद्धि तारीख पहली जनवरी और 30 जून के बीच पड़ती है उनके मामले में सभी वेतनवृद्धियाँ प्रत्येक वर्ष की पूर्ववर्ती प्रथम जनवरी से शोध्य होंगी और जिन कर्मचारियों की वास्तविक वेतनवृद्धि राप] खलाई और 31 दिसंबर के बीच पड़ती है,

उनके मामले में सभी वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पूर्ववर्ती प्रथम जुलाई को शोध्य होंगी।

(3) परिवीक्षा पर कर्मचारियों के मामले में परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि अनुशास्त नहीं होगी। पहली वेतनवृद्धि उस मास की पहली तारीख जिस में परिवीक्षा की अवधि पूरी होती है या बारह मास पूरे होते हैं, इनमें जो बाद में है, से शोध्य होंगी। जब परिवीक्षा की अवधि बढ़ायी जाती है तब परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने तक कोई वेतनवृद्धि अनुशास्त नहीं होगी और ऐसी अवधि के पूरा होने पर पहली वेतनवृद्धि उस मास की पहली तारीख से जिस में परिवीक्षा की आरम्भिक अवधि पूरी हुई है या बारह मास पूरे हुए हैं, जो भी बाद में हो, पूर्वलक्षी प्रभाव से दी जाएगी यद्यपि परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि के लिए उस मास की पहली तारीख तक जिसमें यह पूरी हुई है, किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि ऊपर उप विनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(4) प्रदर्श 'ख' या 'ग' या 'घ' का वह कर्मचारी जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर अवस्था है, उसे उसके विद्यमान वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अन्तिम वेतनवृद्धि की दर के समतुल्य एक तदर्थ वेतनवृद्धि मंजूर की जा सकती है। किन्तु किसी कर्मचारी के विशेष अनुशासनिक मामला चल रहा हो उसको तब तक ऐसी वेतनवृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि उसके विशेष शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता है।

30. वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए सेवा की गणनाः (1) काल वेतनमान में एक पद में सारे कर्तव्य की उस काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(2) निगम में समतुल्य या उच्चतर पदों में सभी सेवाओं की वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(3) सिवाए असाधारण छुट्टी, बीमारी का आधार चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित होने के अलावा अन्यथा ली गई सारी छुट्टी को जिस पद पर कर्मचारी छुट्टी पर जाने के समय कार्य कर रहा था, उस पद पर लागू काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गिना जाएगा।

परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाए कि कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण के लिए अथवा उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अन्यथा शुरू करने के लिए असाधारण छुट्टी ली गई थी, यह निदेश दे तो ऐसी असाधारण छुट्टी की भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(4) निगम में कर्मचारी विदेश सेवा पर स्थानान्तरण से पूर्व जिस पद पर कार्य कर रहा था, उस पर लागू काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए सारी विदेश सेवा की गणना की जाएगी।

31. छुट्टीः प्रत्येक कर्मचारी छुट्टी के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों द्वारा शासित होगा।

32. आकस्मिक छुट्टीः (1) कर्मचारी एक वर्ष में पूरे बेतन पर बारह दिन तक आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होगा।

(2) एक ही समय में आठ दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी सामान्यतया मंजूर नहीं की जाएगी।

(3) आकस्मिक छुट्टी को किसी अन्य छुट्टी के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(4) आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान पूर्व अथवा पश्चात् पड़ने वाले रविवारों और छुट्टियों को ली गई आकस्मिक छुट्टी की अवधि की गणना करने में जोड़ा नहीं जाएगा।

33. छुट्टी मंजूरी के लिए प्राधिकारीः निदेशक बोर्ड समय-समय पर विभिन्न प्रवर्गों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित कर सकेगा।

34. स्थानान्तरण पर पद ग्रहण काल और पद ग्रहण काल के दौरान बेतनः केन्द्रीय सिविल सेवा (पदग्रहण समय) नियम, 1979 जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण पर ऐसे पद ग्रहण समय और पद ग्रहण की अवधि के दौरान ऐसे बेतन के लिए पात्र होगा।

35. दौरे और स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ताः निदेशक बोर्ड समय-समय पर बैदेही और शर्तें विहित कर सकेगा जिसके अधीन नियम की सेवा में कर्मचारियों द्वारा दौरे या स्थानान्तरण पर की गई यात्राओं के संबंध में उसे यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

36. छुट्टी यात्रा रियायत को भुनानांः नियम के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाने की अनुमति होगी।

37. उपदानः (1) नियम के कर्मचारी, उपदान का संदाय अधिनियम, 1972 जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी जो उक्त अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्दर नहीं आते हैं, केन्द्रीय भाण्डागार नियम मृत्यु-एवं-निवृत्त उपदान योजना और इस संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होंगे।

38. नियम के कर्मचारी की अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्तिः नियम के कर्मचारियों को प्रबन्ध निदेश के अनुसार देश से और ऐसे अनुदेशों, जो समय समय पर निदेशक बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे, के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा। ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति नियम और उधार लेने वाले प्राधिकारी के बीच आपस में तयशुदा शर्तों द्वारा शासित होंगी।

अध्याय 4

आचार, अनुशासन और श्रीपील

39. साधारणः (1) नियम का प्रत्येक कर्मचारी सर्वदः

- (क) पूर्णरूपेण सत्यनिष्ठ रहेगा;
- (ख) कर्तव्य परायण रहेगा; और
- (ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है।

(2) नियम का प्रत्येक कर्मचारी जो पर्यवेक्षक पद धारक है अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता मुनिश्चित करने के लिए सभी संभव पद उठायेगा।

40. अवचारः “अवचार” पद के अर्थ की व्यापता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना निम्नलिखित लोप के कार्यों को अवचार के रूप में माना जाएगा;

(1) नियम के कारबार या सम्पत्ति या नियम के परिसरों के अन्दर अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या वेर्डमानी।

(2) रिश्वत लेना या देना या कोई अवैध परितोषण।

(3) कर्मचारी या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से-मेल न खाने वाले उन आर्थिक स्रोतों या सम्पत्ति का अधिकार में होना जिसका कर्मचारी सत्तोषजनक ढंग से हिसाव-किताब नहीं दे सकता है।

(4) नौकरी के समय या नौकरी के दौरान नौकरी से सुसंगत नाम, आयु, पिता-का नाम, अहंता, योग्यता या पिछली सेवा या किसी अन्य मामले के बारे में गलत सूचना देना।

(5) इस ढंग से कार्य करना जो नियम के हितों के प्रतिकूल हो।

(6) वरिष्ठ के किसी विधिपूर्वक और युक्तियुक्त आदेशों की जान बूझकर अनधीनता या अवज्ञा चाहे वह अकेले या गई हो या दूसरों के साथ मिलकर।

- (7) विना छुटी अनुपस्थिति रहना या विना पर्याप्त कारणों या उचित अथवा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण के लगातार चार दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत छुटी के उपरान्त अनुपस्थित रहना ।
- (8) अध्यासिक रूप से देर या अनियमित हाजिरी ।
- (9) कार्य की उपेक्षा या कर्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा जिसमें कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाना या काम की गति कम कर देना शामिल है ।
- (10) निगम की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना ।
- (11) निगम के परिसरों में या उनके बारे में स्थापित किन्हीं सुरक्षा युक्तियों में विघ्न डालना या उन्हें बिगड़ना ।
- (12) निगम के परिसरों या बाहर ऐसे परिसरों में मत्तता या बलवात्मक या विच्छूँखलता या अभद्र व्यवहार जहां ऐसा व्यवहार रोजगार से सम्बन्धित या सम्बद्ध है ।
- (13) स्थापन के परिसरों के अन्दर जुआ खेलना ।
- (14) स्थापन के भीतर उन स्थानों में धूम्रपान करना जहां ऐसा करना प्रतिषिद्ध है ।
- (15) सिवाए इस समय लागू देश की किसी विधि या निगम के नियमों, द्वारा संस्वीकृत निगम के परिसरों के भीतर विना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के धन का संग्रह करना ।
- (16) काम पर होते हुए सोना ।
- (17) ऐसा कोई कार्य करना जो आपराधिक अपराध हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ।
- (18) विना इजाजत या प्रयाप्त कारण से कर्मचारी के कार्य के नियत स्थान से अनुपस्थित ।
- (19) विना सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुमति के निगम से सम्पत्तियों, मशीनरी, सामान आदि खरीदना अथवा निगम को सम्पत्तियां, मशीनरी, स्टोर आदि बेचना ।
- (20) अनुशासन या अच्छे व्यवहार की दृष्टि से अव्यवहार कोई कार्य करना ।
- (21) किसी ऐसे कार्य को करने के लिए अवप्रेरित होना या अवप्रेरित करने की कोशिश करना जिसे अवचार माना जाता हो ।

टिप्पणी : अवचार के ऊपर बताये गए उदाहरण प्रकृति को समझाने के उदाहरण हैं और या वे सर्वांगीण नहीं हैं ।

41. निगम का प्रथय प्राप्त किसी कम्पनी या फर्म में निगम के कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन :
- (1) कोई भी कर्मचारी किसी सम्बन्धित व्यक्ति को चाहे

वह कर्मचारी से रक्त द्वारा या विवाह द्वारा या कर्मचारी की पत्नी या पति से सम्बन्धित हो चाहे वह कर्मचारी पर आश्रित हो या नहीं, रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपनी हैसियत या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा ।

- (2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व संस्वीकृति के सिवाए अपने पुत्र, पुत्री या परिवार के किसी सदस्य को किसी कम्पनी या फर्म में जिसके साथ उसका पदीय सम्बन्ध हो अथवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म जिसके साथ निगम का पदीय सम्बन्ध हो, रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

परन्तु यह कि जहां रोजगार की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुज्ञा की प्रतीक्षा न की जा सके वहां सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए वह रोजगार अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकेगा । उसे यह मामला तुरत्त सूचित किया जाएगा ।

- (3) कोई कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निवेदन में किसी ऐसे विषय में कार्रवाई नहीं करेगा अथवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई ठेका नहीं देगा अथवा ठेके की मंजूरी नहीं देगा । जिस कम्पनी या फर्म में या जिस व्यक्ति के अधीन उस कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य नियोजित है अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उस विषय में या ठेका में किसी भी अन्य प्रकार से हितबढ़ है और कर्मचारी ऐसे प्रत्येक विषय या ठेका को अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को निदिष्ट करेगा और तत्पश्चात उस विषय या ठेका का निपटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट किया गया हो ।

42. प्रदर्शन में भाग लेना : निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा अथवा भाग नहीं लेगा जिससे किसी अपराध का उद्दीपन होता हो ।

43. प्रेस या आकाशवाणी से सम्बन्ध : (1) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी समाचार पत्र अथवा अन्य नियतकालक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः न तो स्वामी होगा और न उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध संचालन ही करेगा अथवा उसमें भाग लेगा ।

- (2) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन या अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निवेदन में, के सिवाय न तो किसी आकाशवाणी प्रसारण में भाग लेगा, न ही किसी समाचार पत्र अथवा पत्र-पत्रिका में स्वयं अपने नाम से या अनाप या छद्मान से अथवा किसी व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा ।

- (7) विना छुट्टी अनुपस्थिति रहना या विना पर्याप्त कारणों या उचित अथवा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण के लगातार चार दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थित रहना ।
- (8) अभ्यासिक रूप से देर या अनियमित हाजिरी ।
- (9) कार्य की उपेक्षा या कर्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा जिसमें कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाना या कास की गति कम कर देना शामिल है ।
- (10) निगम की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना ।
- (11) निगम के परिसरों में या उनके बारे में स्थापित किन्हीं सुरक्षा युक्तियों में विघ्न डालना या उन्हें बिगड़ाना ।
- (12) निगम के परिसरों या बाहर ऐसे परिसरों में मत्तता या बलवात्मक या विच्छृंखलता या अभद्र व्यवहार जहां ऐसा व्यवहार रोजगार से सम्बद्ध है ।
- (13) स्थापन के परिसरों के अन्दर जुआ खेलना ।
- (14) स्थापन के भीतर उन स्थानों में धूम्रपान करना जहां ऐसा करना प्रतिषिद्ध है ।
- (15) सिवाए इस समय लागू देश की किसी विधि या निगम के नियमों, द्वारा संस्थीकृत निगम के परिसरों के भीतर विना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के धन का संग्रह करना ।
- (16) काम पर होते हुए सोना ।
- (17) ऐसा कोई कार्य करना जो आपराधिक अपराध हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ।
- (18) विना इजाजत या प्रयाप्त कारण से कर्मचारी के कार्य के नियत स्थान से अनुपस्थित ।
- (19) विना सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुमति के निगम से सम्पत्तियों, मशीनरी, सामान आदि खरीदना अथवा निगम को सम्पत्तियां, मशीनरी, स्टोर आदि बेचना ।
- (20) अनुशासन या अच्छे व्यवहार की दृष्टि से अव्याप्त सात्मक कोई कार्य करना ।
- (21) किसी ऐसे कार्य को करने के लिए अवधेस्त होना या अवधेस्त करने की कोशिश करना जिसे अवचार माना जाता हो ।

टिप्पणी : अवचार के ऊपर बताये गए उदाहरण प्रकृति को समझाने के उदाहरण हैं और या वे सर्वांगीन नहीं हैं ।

41. निगम का प्रथम प्राप्त किसी कम्पनी या फर्म में निगम के कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन :
- (1) कोई भी कर्मचारी किसी सम्बन्धित व्यक्ति को चाहे

वह कर्मचारी से रक्त द्वारा या विवाह द्वारा या कर्मचारी की पत्नी या पति से सम्बन्धित हो चाहे वह कर्मचारी पर आश्रित हो या नहीं, रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपनी हैसियत या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व संस्थीकृति के सिवाए अपने पुत्र, पुत्री या परिवार के किसी सदस्य को किसी कम्पनी या फर्म में जिसके साथ उसका पदीय सम्बन्ध हो अथवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म जिसके साथ निगम का पदीय सम्बन्ध हो, रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

परन्तु यह कि जहां रोजगार की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुज्ञा की प्रतीक्षा न की जा सके वहां सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए वह रोजगार अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकेगा । उसे यह मामला तुरन्त सूचित किया जाएगा ।

(3) कोई कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निवंहन में किसी ऐसे विषय में कार्रवाई नहीं करेगा अथवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई ठेका नहीं देगा अथवा ठेके की मंजूरी नहीं देगा जिस कम्पनी या फर्म में या जिस व्यक्ति के अधीन उस कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य नियोजित है अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उस विषय में या ठेका में किसी भी अन्य प्रकार से हितबढ़ है और कर्मचारी ऐसे प्रत्येक विषय या ठेका को अपने वरिष्ठ अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात उस विषय या ठेका का निष्ठारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट किया गया हो ।

42. प्रदर्शन में भाग लेना : निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा अथवा भाग नहीं लेगा जिससे किसी अपराध का उद्दीपन होता हो ।

43. प्रेस या आकाशवाणी से सम्बन्ध : (1) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी समाचार पत्र अथवा अन्य नियतकालक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः न तो स्वामी होगा और न उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध संचालन ही करेगा अथवा उसमें भाग लेगा ।

(2) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन या अपने कर्तव्यों के सदभावपूर्वक निवंहन में, के सिवाय न तो किसी आकाशवाणी प्रसारण में भाग लेगा, न ही किसी समाचार पत्र अथवा पत्र-पत्रिका में स्वयं अपने नाम से या अनाप या छद्मनाम से अथवा किसी व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा ।

परन्तु यह कि ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी होगी। यदि ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख वस्तुतः साहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है।

44. सरकार और निगम की आलोचना : कोई भी कर्मचारी आकाशवाणी के किसी प्रसारण में अथवा अपने नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा प्रेस को दी गई किसी सूचना में अथवा किसी सार्वजनिक भाषण में कोई वक्तव्य नहीं देगा, जिससे

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या निगम की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना होती हो;
- (ख) जिससे निगम, सरकार और जनता के बीच सम्बन्धों में उलझन पैदा होते हो।

परन्तु यह कि इस विनियम की कोई बात किसी कर्मचारी द्वारा अपने पदंश्य हैसिथ से अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सम्यक पालन में दिए गए वक्तव्य या अभिव्यक्त किए गए किन्हीं विचारों को लागू नहीं होगी जो वस्तुतः तथ्योय प्रकृति के हैं जो गोपनीय प्रकृति के होने नहीं समझे जाते हैं।

परन्तु आगे यह कि इस विनियम में दो गई कोई बात ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा के प्रयोजन अथवा उनमें सुधार कराने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदधारी के रूप में उसके द्वारा सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त विचारों को लागू नहीं होगी।

45. किसी सीमित अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष साथ्य (1) उपविनियम (iii) में यथा उपबन्धित के सिवाए, निगम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाए, किसी व्यक्ति समिति या प्राधिकारी द्वारा की जा रही किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां विनियम (i) के अंदरून ऐसी मंजूरी दे दी जाए, वहां कर्मचारों ऐसी साक्ष्य देते समय केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या निगम की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस विनियम की कोई बात—

- (क) सरकार, संसद या किसी राज्य विधान मंडल अथवा निगम द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के सक्षम जांच में दिए गए किसी साक्ष्य को लागू नहीं होगी;
- (ख) निगम के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आवेदित किसी विभागीय जांच में दिए गए साक्ष्य को लागू नहीं होगी।
- (ग) निगम के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा आवेदित किसी विभागीय जांच के दौरान दिया गया साक्ष्य।

46. जानकारी का अप्राप्यिकृत रूप से प्रकटेकरण (1) कोई कर्मचारी, निगम में किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के अनुसार के सिवाए, अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक अनुपालन में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्ष किसी शासकीय दस्तावेज को या उसके किसी भाग को किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसे दस्तावेज या जानकारी प्रकट करने के लिए, वह प्राप्यिकृत नहीं है, प्रकट नहीं करेगा।

47. उपहार : (1) इन विनियमों में यथा उपबन्धित के सिवाए, निगम का कोई कर्मचारी, न तो स्वयं ही उपहार ग्रहण करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई उपहार ग्रहण करने की अनुज्ञा देगा।

स्पष्टेकरण :—‘उपहार’ पद के अंतर्गत निःशुल्क परिवहन, भोजन, निवास अथवा अन्य सेवा या अन्य कोई धन सम्बन्धी लाभ सम्मिलित हैं, जो किसी निकटतम सम्बन्धी अथवा वैयक्तिगत मित्र जिसका कर्मचारी के साथ कोई पदंश्य व्यवहार न हो, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाए।

टिप्पणी : निगम का कोई कर्मचारी किसी व्यक्तिगत या फर्म जिसके साथ उसका कोई पदंश्य व्यवहार हो, से अत्यधिक अथवा बार-बार आतिथ्य ग्रहण करने से बचेगा।

(2) विवाह, बरसी, अन्त्येष्टि अथवा धार्मिक समाजोंहों जैसे अवसरों पर जबकि उपहार देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार हो, निगम का कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से उपहार ग्रहण कर सकेगा किन्तु यदि उपहार का मूल्य 500/- रुपये से अधिक है, तो उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी अवसर पर निगम का कोई कर्मचारी अपने उन निजी मित्रों से उपहार ग्रहण कर सकेगा जिनके साथ उसका कोई पदंश्य सम्बन्ध न हो किन्तु यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य 250 रुपए से अधिक है तो उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(4) किसी अन्य दशा में निगम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना न तो स्वयं ही उपहार ग्रहण करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई उपहार ग्रहण करने की अनुज्ञा यदि उसका मूल्य 250 रुपए से अधिक हो, देगा।

परन्तु यह कि जब 12 मास की अवधि के भीतर एक ही कर्म अथवा व्यक्ति से एक से अधिक उपहार प्राप्त हुए हों तब इस मामले का सक्षम प्राधिकारी को सूचना

दी जाएगी यदि उपहारों का संकलित मूल्य 250 रुपए से अधिक हो।

48. निगम का कोई भी कर्मचारी (1) दहेज नहीं देगा या दहेज नहीं लेगा या दहेज देने या लेने के लिए नहीं उकसायेगा।

(2) प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दुल्हन या दूल्हे, जैसी भी स्थिति हो, के माता पिता या संरक्षक के दहेज की मांग नहीं करेगा। स्पष्टीकरण इस विनियमन के प्रयोजन के लिए “दहेज” से वही अर्थ अभिप्रेत है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।

49. निजी व्यापार अथवा रोजगार (1) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के सिवाए, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं करेगा अथवा कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

परन्तु यह कि कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना भी सामाजिक अथवा परोपकारी प्रकृति का कोई अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यक तथा कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का कोई यदाकदा कार्य इस शर्त पर कर सकेगा कि उससे उसके पर्दीय कर्तव्यों में कोई व्यवधान न हो।

(2) यदि कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न हो या किसी बीमा अभिकरण या कमीशन अभिकरण का स्वामी या प्रबन्धकर्ता हो तो निगम का प्रत्येक कर्मचारी इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) निगम का कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी का पूर्व मंजूरी के बिना एवं अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में के सिवाए किसं ऐसे बैंक अथवा अन्य कम्पनी के जिसका रजिस्ट्रीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों वाले किसी सरकारी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण, प्रसार अथवा प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु यह कि निगम का कोई कर्मचारी निगम के कर्मचारियों के फायदे के लिए किसी उपभोक्ता या कोई भवन निर्माण सहकारी समिति जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, अथवा किसी ऐसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या खंडाती संस्था के जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा किसी अन्य प्रवृत्त प्रत्यानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो रजिस्ट्रीकरण, प्रसार, अथवा प्रबन्ध में भाग ले सकेगा।

(4) निगम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक निकाय या किसी

प्राइवेट व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई मुफ्त या अन्य धन सम्बन्धी लाभ ग्रहण नहीं कर सकेगा।

5. विनिधान, उधार देना और उधार लेना कोई भी कर्मचारी, बैंक, भारतीय जीवन बोमा निगम या स्थायी फर्म के साथ कारोबार में मामूली अनुक्रम में के सिवाए, न तो धन उधार लेंगा, न उधार देगा या स्वयं को ऐसे किसी व्यक्ति को आर्थिक बाध्यता के अधीन अन्यथा रखेगा जिनके साथ उसका पदीय व्यवहार संभाव्य हो या अपने नाम में या अपने फायदे के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के फायदे के लिए ऐसे किसी उधार लेने, उधार देने या आर्थिक बाध्यता की अनुज्ञा देगा।

51. दिवाला और आम्यासिक ऋणग्रस्तता : (1) निगम का कोई भी कर्मचारी आम्यासिक ऋणग्रस्तता से बचेगा। यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होगा कि ऐसीं ऋण ग्रस्तता या दिवाला उन परिस्थितियों का परिणाम है जो उसके नियन्त्रण के बाहर हैं और फिजूल खर्ची अथवा दुर्घटवसनों से उत्पन्न नहीं हुई है।

(2) निगम का कोई भी कर्मचारी जो दिवाला के लिए आवेदन करता है या न्याय निर्णीत है या घोषित दिवालिया है, तत्क्षण उस तथ्य को रिपोर्ट अपने सक्षम प्राधिकारी को देगा।

52. जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति : (1) निगम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी स्थावर सम्पत्ति का पट्टे-बन्धक, क्र्य-विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा अर्जन या निपटान न तो अपने से और न अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से करेगा।

(2) निगम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति या फर्म जिसका कर्मचारी या उसके अधीनस्थ के साथ पदीय व्यवहार हो, के साथ किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संबंधहार नहीं करेगा।

(3) निगम का प्रत्येक कर्मचारी अपने स्वामित्वधीन या अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 2500/-रुपये से अधिक है, के प्रत्येक संबंधवाहार की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(4) निगम प्रत्येक कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय निम्नलिखित के बारे में बौरे देते हुए दायित्वों का विहित कार्य में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

(क) अपने स्वामित्वाधीन या स्वयं अधित या विरासत में प्राप्त या उसके पास पट्टे पर या बंधक में थाहे उसके नाम से हो या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो।

- (ख) बैंक निक्षेपों सहित ऐसे शेयरों, डिबेंचरों और नकदी के बारे में जो उसे विरासत में प्राप्त हों या इस रूप में उसके स्वामित्व में हों या उसने अंजित किए हों या जो उसके पास हों।
- (ग) अन्य जंगम सम्पत्ति के बारे में जो उसे विरासत में प्राप्त हों या इस रूप में उसके स्वामित्व में हों, या उसने अंजित की हों, या उसके पास हों यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 2,500/- रुपये से अधिक है।
- (घ) ऐसे ऋणों और अन्य दायित्वों के बारे में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसने उपगत किए हों।
- (ड.) प्रत्येक कर्मचारी पहली जनवरी से प्रारम्भ कर प्रत्येक वर्ष विरासत, स्वामित्व अथवा अंजित जंगम सम्पत्ति की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(5) सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी से साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं या अपनी ओर से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अंजित ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पूर्ण और व्यौरेवार विवरण, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षां की गई हो तो उस विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या वे स्रोत जिनसे वह सम्पत्ति अंजित की गई है, व्यौरे देने होंगे।

53. गैर पदीय या अन्य प्रभाव का उपयोग :—कोई कर्मचारी, निगम में अपनी सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हितों में बृद्धि करने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर बाहरी प्रभाव न तो डलवाएगा और न डलवाने का प्रयत्न करेगा।

54. विवाह के बारे में पंजीकरण :—(1) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह या ठेका नहीं करेगा जिसकी पत्नी या जिसका पति जीवित है; और

(2) कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य से विवाह या ठेका नहीं करेगा। परन्तु यह कि यदि निदेशक बोर्ड का ऊपर उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में उल्लिखित के बारे में यह समाधान हो जाए तो कर्मचारी को ऐसा विवाह या ठेका करने की अनुमति दे सकेगा कि—

- (क) ऐसे कर्मचारी तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है; और
- (ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं।
- (3) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता से भिन्न अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह किया है, निगम को इस तथ्य की तुरन्त सूचना देगा।

55. मादक पेयों और द्रव्यों का प्रयोग :—निगम का वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन के दौरान किसी मादक पेय या द्रव्य से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है।

56. निलम्बन :—(1) नियुक्त प्राधिकारी अथवा कोई प्राधिकारी जो नियुक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ है, अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी या प्रबन्ध द्वारा या इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा :

(क) जहां उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार हो अथवा कार्रवाई लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरुद्ध कोई दाण्डक अपराध का मामला अन्वेषण या परीक्षणाधीन है।

(2) कोई भी कर्मचारी यदि उसे किसी आपराधिक आरोप के आधार पर अथवा अन्यथा अङ्गतालीस घण्टे से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए तो उसके निरोध की तारीख से नियुक्त प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित किया गया समझा जाएगा और अगले आदेशों तक निलम्बित रहेगा।

(3) जहां किसी निलम्बित कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने की कोई अधिरोपित शास्ति इन विनियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर उपास्त कर दी जाए और मामला आगे जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए तो वहां उस कर्मचारी का निलम्बन पदच्युत किए जाने, हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख को और से प्रवृत्त रहा आया समझा जाएगा और आगे और आदेश होने तक प्रवृत्त रहा आएगा।

(4) जहां किसी कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने या हटाने की कोई अधिरोपित शास्ति न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा उपास्त कर दी जाए या शून्य घोषित कर दी जाए या हो जाए और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उस कर्मचारी के विरुद्ध, उन अधिकथनों पर जिन पर पदच्युत करने, हटाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का निश्चय को वहां कर्मचारी को पदच्युत किए जाने या हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया समझा जाएगा तथा आगे और आदेश होने तक निलम्बित रहा आएगा।

(5) इस विनियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने वह आदेश किया था या जिसके द्वारा वह आदेश किया गया समझा गया प्रथवा वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ है, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

57. निर्वाह भत्ता:—(1) निलम्बनाधीन कर्मचारी अपने मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा; वशेते कि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी किसी अन्य रोजगार या कारबाहर या वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे निर्वाह भत्ते पर अनुज्ञेय भंगाई भत्ता और कोई अन्य प्रतिकारात्मक भत्ता जो निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था, प्राप्त करने का हकदार होगा वशेते कि निलम्बन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी जिसके लिए प्रतिकारात्मक भत्ता प्रदान किया गया था; उसके खर्च को पूरा करता रहेगा।

(2) जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक होती है वहां प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश किया या किया गया समझा गया, पहले तीन मास की अवधि के उपरान्त किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा :—

(क) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः निलम्बनाधीन कर्मचारी पर नहीं माना जा सकता है, जिन कारणों को लेख-बद्ध किया जाएगा, वहां निर्वाह भत्ते की राशि मूल वेतन और उस पर भत्तों के 75 प्रतिशत तक घटाई जा सकेगी।

(ख) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि किन्हीं ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः निलम्बनाधीन कर्मचारी पर ही है, जिन कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, वहां निर्वाह भत्ते की राशि मूल वेतन और उस पर भत्तों के 25 प्रतिशत तक घटाई जा सकेगी।

58. निलम्बन की अवधि की गणना:—(1) जब निलम्बनाधीन कर्मचारी को बहाल किया जाता है तब सक्षम प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिए उसे निम्नलिखित वेतन और भत्ते मन्जूर कर सकेगा :

(क) यदि कर्मचारी को विनियम 59 में उल्लिखित कोई भी शास्त्रियां प्रदान नहीं की जाए, तो पूरा वेतन और भत्ते जिनका कि वह निलम्बित न किए जाने की दशा में हकदार होता, किन्तु उनमें से पहले से संदाय निर्वाह भत्ते कम करके; और

(ख) यदि अन्यथा, वेतन और भत्तों का ऐसा अनुपात जिसे सक्षम प्राधिकारी विहित कर सकेगा।

(2) उपखण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में फर्तब्य से अनुपस्थित की अवधि कर्तब्य पर व्यतीत की गई अवधि समझी जायेगी। उपखण्ड (ख) के अधीन आने वाले

मामलों में उक्त अवधि तब तक कर्तब्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं समझी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे।

59. शास्त्रियां: किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्त्रियां जो इसमें आगे दी गई हैं, उसके द्वारा किए गए अवचार या किसी अन्य ठोक तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी।

छोटो शास्त्रियां

- (क) परिनिन्दा;
- (ख) सहित या बिना संचयो प्रभाव वेतन वृद्धि को रोकना;
- (ग) प्रोत्संहित रोकना;
- (घ) उपेक्षा या आदेश भंग के कारण नियम को पहुंचाई गई किसी धन सम्बन्धी हानि की वेतन या ऐसी अन्य राशि जो उसे देय हो, में से पूर्णतः या भागतः बसूली।

बड़ी शास्त्रियां

- (ङ) किसी निम्नतर ग्रेड या पद या कालवेतनमान में निम्नतम प्रक्रम पर अवनति
- (च) अनिवार्य सेवा निवृत्ति
- (छ) सेवा से हटाना जो भावी नियोजन के लिए निरहेता नहीं होगी;
- (ज) पदच्युति।

स्पष्टीकरण:— निम्नलिखित इस विनियम के अर्थ में शास्त्रि की कोंटि में नहीं आयेंगे; अर्थात्

- (1) कर्मचारी की उसका कार्य असन्तोषजनक पाये जाने या अपक्रित स्तर का न होने या विहित किसी परीक्षा अथवा परीक्षण में अनुत्तीर्ण होने के कारण, वेतनवृद्धि रोकना;
- (2) दक्षतारोध को पार करने के लिए कर्मचारी की अयोग्यता के आधार पर काल वेतनमान में दक्षता रोध पर रीक;
- (3) किसी कर्मचारी को किसी ऐसे उच्चतर पद पर उसके मामले पर विचार के पश्चात वह अनुपयुक्त पाया जाए जिस पर प्रोत्संहित के लिए विचार का वह पात्र था, चाहे स्थानापन्न हैसियत या अन्यथा प्रोत्संहित न करना;
- (4) किसी उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न कर्मचारी का निम्नतर ग्रेड या पद पर आधार पर प्रत्यावर्तन करना कि वह परीक्षण के पश्चात ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद के लिए या उसके अतिवरण से यउत्पद्ध प्रशासनिक कारणों पर अनुपयुक्त होना विचार किया जावा है;

(5) अन्य ग्रेड या पद पर परिवेश पर नियुक्त कर्मचारी का परिवेश की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन।

(6) सेवा की समाप्ति :—

(क) परिवेश पर नियुक्त कर्मचारी की परिवेश की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार;

(ख) संविदा या करार के अधीन से भिन्न अन्यथा अस्थायी हैसियत में नियुक्त कर्मचारी की उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जिन अवधिके लिए नियुक्त किया गया था उसकी समाप्ति पर या पूर्व;

(ग) संविदा या करार के अधीन नियुक्त कर्मचारी की, ऐसी संविदा या करार की शर्तों के अनुसार; और

(घ) स्थापना की कटोरी पर किसी कर्मचारी की।

60. अनुशासनिक प्राधिकारी : अनुशासनिक प्राधिकारी जैसा परिणाम 1 में विनिर्दिष्ट या उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्चतर कोई प्राधिकारी विनियम 59 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति किसी भी कर्मचारी पर अधिरोपित कर सकेगा।

61. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया :

(1) विनियम 59 के खण्ड (इ), (च), (छ), और (ज) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस विनियम के अनुसार जांच न कर ली जाए।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या दुर्व्यवहार के किसी लालच की सत्यता के बारें में जांच करने के आधार हैं तो वह उसकी सत्यता की जांच या तो स्थयं कर सकेगा या उपरे लिए लोक सेवक (जिसे इसमें अगे जांच प्राधिकारी कहा गया है।) नियुक्त कर सकेगा।

(3) जहां जांच करना प्रस्तावित हो; हां अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभिकथनों के आधार पर निश्चित आरोप तैयार करगा। अभिकथनों का एक विवरण जिन पर यह आरोप आधारित हैं, दस्तावजों की एक सूची और अधिकथनों को एक सूची जिन के द्वारा आरोप की मद्दें को उत्तर्ये जाने और प्रमाणित किए जाने का प्रस्ताव हो, के साथ ये आरोप लिखित रूप में कर्मचारी को सूचित

किए जायेंगे जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अधिक से अधिक 15 दिन के समय के भीतर लिखित रूप में इस बात का एक विवरण देगा कि वह आरोप की मद्दों में से किसी एक मद या समस्त मदों को स्वीकर करता है या अस्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण : इस अवस्था में कर्मचारी को आरोप पत्र में बताए गए दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज को दिखाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) कर्मचारी के लिखित कथन की प्राप्ति पर या यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता तो अनुशासनिक प्राधिकारी जांच स्थयं करेगा अथवा उपखण्ड (11) के अधीन एक जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जांच की जाएगी परन्तु यह कि कर्मचारी द्वारा लिखित कथन में यह स्वीकार किए गए आरोपों के बारे जांच करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलेखित करेगा।

(5) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी, स्थयं जांच करता है या जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारों को नियुक्त करता है, वहां वह आदेश द्वारा नियम के किसी कर्मचारी को या किसी लोक सेवक को, जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहता एगा, आरोपों की मदों के समर्थन में ग्रहनी और समाज को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(6) कर्मचारी नियम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से लेकर देकिन इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नहीं रख सकेगा दिलाए तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामिनिर्दिष्ट व्यक्ति दिया व्यवसायी न हो।

(7) कर्मचारी जांच प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख को सूचना में विनिर्दिष्ट समय स्थान और तारीख को जांच प्राधिकारी के सम्मुख पेश होगा। जांच अधिकारी कर्मचारों से यह पूछगा कि क्या वह दोषी है अथवा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहता है और यदि वह आरोप के व्योरों में किसी के दोषी होने का अभिवचन करे तो जांच प्राधिकारी उसका अभिवाहक लेखदाता करेगा, उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर सम्बन्धित कर्मचारी का हस्ताक्षर लेगा। सम्बन्धित कर्मचारी आरोप के जिन व्योरों का दोषी होने का अभिवचन करे उनके बारें भी जांच प्राधिकारी दोषता के निष्कर्ष लौटा देगा।

(8) यदि कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी मामले को अधिक से अधिक तीस दिन पश्चात वर्ती तारीख के लिए यह आदेश अभिलेखित करने के पश्चात म्थगित कर देगा कि कर्मचारी अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए—

(क) आरोप पत्र में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा,

(ख) अतिरिक्त दस्तावेजों और साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा जिनकी वह परीक्षा करना चाहता है, और

(ग) आरोप पत्र में निर्दिष्ट, यदि कोई साक्षियों के बयानों की प्रतियों के लिए वह कह सकेगा और उसे सुलभ की जाएगी ।

टिप्पणी—सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा विनियम 8 (ख) में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज और साक्षियों की सुसंगतता स्पष्ट करनी होगी और यदि जांच प्राधिकारी का जांच के अधीन आरोप के लिए उनकी सुसंगतता के बारे में समाधान हो जाता है तो दस्तावेजों और साक्षियों को बुलाया जाएगा ।

(9) जांच प्राधिकारी उस प्राधिकारी से जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज है, ऐसी तारीख को जो विनिर्दिष्ट की जाए, दस्तावेजों को पेश करने के लिए होगा ।

(10) वह प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्ययेक्षित दस्तावेज हैं, अध्ययेक्षण सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान और समय को जांच प्राधिकारी के समझ उत्तें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा । परन्तु यह कि यदि ऐसे दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना लोक हित या निगम के हित के विरुद्ध होगा तो अध्ययेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जे में रखने वाला प्राधिकारी विशेषाधिकार का दावा कर सकेगा । उस स्थिति में वह इसके अनुसार जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(11) जांच के लिए नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप के ब्यौरे सावित किए जाने हों । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रति परीक्षा की जाएगी । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वो उन में से किसी भी विषय पर जिनपर साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई हो, पुनः परीक्षा करने का हक होगा किन्तु उसे जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नये विषय पर पुनः परीक्षा का हक नहीं होगा । जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(12) अभियोजन मामले के बन्द होने से पूर्व जांच प्राधिकारी स्वविवेक अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुशासत कर सकेगा जो कर्मचारी को दी गई आरोप सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं ही नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा । ऐसी दशा में कर्मचारी को दस्तावेजों को अभिलेख में सम्मिलित करने से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्य का निरीक्षण करने या किसी साक्षी जिसे इस तरह बुलाया गया है, की प्रतिपरीक्षा करने का भवसर देणा ।

(13) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बन्द कर दिया जाता है, तब कर्मचारी से अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा वह चाहे, कथित करने की प्रयेक्षा की जाएगी । यदि प्रतिवाद का कथन मौखिक किया जाए तो उसे लेखदाह किया जाएगा और कर्मचारी से उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की प्रयेक्षा की जाएगी । दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद के कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी ।

(14) तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । यदि कर्मचारी अपनी ओर से स्वयं ही परीक्षा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है । तदनन्तर कर्मचारी की ओर से पेश किए गए साक्षियों का परीक्षण होगा और उनका जांच प्राधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण, पुनः परीक्षण और परीक्षण अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार ही किया जा सकेगा ।

(15) कर्मचारी की ओर से अपने मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी कर्मचारी से उन परिस्थितियों के बारे में जो साक्ष्य से उसके विरुद्ध प्रकट हों, स्पष्ट करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन से सामान्यत प्रश्न कर सकेगा तथा उस दशा में जब कर्मचारी ने अपनी परीक्षा न की हो, जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य ही करेगा ।

(16) साक्ष्य की पेश पूरी हो जाने के पश्चात् कर्मचारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपने अपनामें लिखित पक्ष पत्र साक्ष्य की पेश पूरी हो जाने की तारीख के 15 दिनों के भीतर दाखिल कर सकेंगे ।

(17) यदि कर्मचारी उपविनियम (3) में निर्देशित प्रतिवाद का लिखित कथन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं या सहायता करने वाले अधिकारी के माध्यम से उपस्थित नहीं होता अथवा इस विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अनुपालन में अन्यथा असमर्थ रहता है अथवा अनुपालन से इन्कार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा ।

(18) किसी जांच में सम्पूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् जब कभी भी किसी जांच प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसी जांच प्राधिकारी का पदग्रहण कर के जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार से स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित अथवा अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और अंशतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के प्राधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा ।

यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्षर इहले अभिलिखित किया जा चुका है, किसी का आगे और परीक्षण च्याप के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किन्हीं साक्षियों को जैसाकि इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है, पुनः बुला सकेगा तथा परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण कर सकेगा ।

(19) जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

- (क) आरोप के व्यौरों का सारांश और अवचार या दुर्व्यवहार के लांछनों का कथन,
- (ख) आरोप के प्रत्येक व्यौरे की वावत कर्मचारी के प्रतिवाद का सारांश,
- (ग) आरोप के प्रत्येक व्यौरे की वावत साक्षर का निवारण,
- (घ) आरोप के प्रत्येक व्यौरे की वावत निष्कर्ष तथा निष्कर्ष के कारण ।

एष्ट्रीकरण—यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाहियों में मूल आरोप व्यौरों से भिन्न कोई अन्य आरोप व्यौरा सिद्ध होता हो तो वह आरोप के ऐसे व्यौरे की वावत अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । परन्तु यह कि आरोप के ऐसे व्यौरे की वावत कोई निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि याहाँ कर्मचारी उन तथ्यों को, जिन पर वह आरोप का व्यौरा आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक कि उस आरोप को उस व्यौरे के विरुद्ध अपना प्रतिवाद करने का युक्त युक्त अवसर न दे दिया जाए ।

(2) जहाँ जांच प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक अधिकारी न हो वहाँ वह जांच के अभिलेख, जिसमें निम्नलिखित होंगे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा :

- (क) उसके द्वारा उपखण्ड (1) के अधीन तैयार की गई जांच की रिपोर्ट,
- (ख) उपदिनियम (8) में निर्देशित कर्मचारी हारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो,
- (ग) जांच के दौरान पेश किया गया मीडिक और दस्तावेजी साथ,
- (घ) उपविनियम (16) में निर्देशित लिखित पक्ष पत्र यदि कोई हो, और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की वावत किए गए आदेश, यदि कोई हों ।

62. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी न हो, तो उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले की जांच प्राधिकारी के पास नये सिरे से ग्रा आगे और जांच तथा रिपोर्ट के लिए विशेषित कर सकेगा और जांच प्राधिकारी यावतशब्द व्यवहार्य विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार और आगे जांच करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी व्यौरों पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा अभिलिखित साक्षर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो तो, ऐसे आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(3) आरोप के सभी अथवा किन्हीं व्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि विनियम 59 में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह विनियम 63 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश दे सकेगा ।

(4) आरोप के सभी अथवा किन्हीं व्यौरों पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी है तो वह सम्बन्धित कर्मचारी को विमुक्त करने का अवैश्य पारित कर सकेगा ।

63. छोटी शास्तिग्रां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(1) जहाँ विनियम 59 के खण्ड (क) से (घ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, वहाँ सम्बन्धित कर्मचारी को उसके विरुद्ध अवचार या दुर्व्यवहार के लांछनों की लिखित में सूचना दी जाएगी और अधिक से अधिक 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिवाद का अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा । कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद कथन पर, यदि कोई हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों की कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

- (क) कर्मचारी को अवचार या दुर्व्यवहार के लांछनों के विवरण की दी गई एक प्रति,
- (ख) उसका प्रतिवाद कथन यदि कोई हो तो, और
- (ग) अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश और उसके कारण ।

64. आदेश की संसूचना

विनियम 61, 62 या विनियम 63 के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश सम्बन्धित कर्मचारी को संसूचित किया जाएगा जिसे जांच की रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो तो, भी दी जाएगी।

65. एक साथ कार्यवाही

जहाँ किसी मामले का सम्बन्ध दो या अधिक कर्मचारियों से हो, वहाँ जो प्राधिकारी जो ऐसे सभी कर्मचारियों को बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसे सभी कर्मचारियों के विशुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां एक ही साथ की जाएंगी और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एक साथ कार्यवाहियों के प्रबोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा।

66. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया

विनियम 61, 62 या 63 में किसी बात के होते हुए भी अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के अधीन विनियम 59 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :—

(1) कर्मचारी को किसी न्यायिक परीक्षण द्वारा प्रोप्रा निष्कर्ष या तथ्यों के बल के आधार पर या किसी अपराधिक आरोप पर दोष सिद्ध ठहराया गया है, या

(2) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का, उन कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाए कि इन विनियमों में उपबन्धित रीति से कोई जांच करना युक्तिमुक्त तौर पर साध्य नहीं है।

67. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदि से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

(1) जहाँ निलम्बन का कोई आदेश अथवा कोई अनुशासनिक कार्यवाही किसी ऐसे कर्मचारी के विशुद्ध की जाती है जो निगम में केन्द्रीय या राज्य सरकार या अन्य सार्वजनिक उपकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर है, वहाँ सेवाएं सौंपने वाले प्राधिकारी को (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् 'मूल प्राधिकारी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यथास्थिति उन परिस्थितियों की जिनमें निलम्बन का आदेश किया गया है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के ग्राहक जीवनकारी अविलम्ब दी जाएगी।

(2) कर्मचारी के विशुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए

(क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर छोटी शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह मूल प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे,

परन्तु यह कि अनुशासनिक और मूल प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में कर्मचारी की सेवाएं मूल प्राधिकारी को वापिस सौंप दी जाएंगी।

(ब) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं और जांच कार्रवाई से संबंधित कागजात मूल प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए सौंप देगा जैसी कि वह आवश्यक समझे।

(3) यदि कर्मचारी उपविनियम (ii) (क) के अधीन उस पर अधिरोपित किसी छोटी शास्ति वाले आदेश के विशुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उसका निपटान मूल प्राधिकारी के परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा,

परन्तु यह कि यदि अपील प्राधिकारी और मूल प्राधिकारी के बीच मतभेद हैं तो कर्मचारी की सेवाएं और मामले की कार्यवाहियां उस प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए सौंप दी जाएंगी जैसी कि वह आवश्यक समझे।

68. अपील

(1) कर्मचारी विनियम 59 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के विशुद्ध अपील कर सकेगा। अपील परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दी जाएगी।

(2) अपील जिस आदेश के विशुद्ध करनी है, उसकी संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर दायर की जाएगी। अपील परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी को सम्बोधित की जाएगी और उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके विशुद्ध अपील की गई है। वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विशुद्ध अपील की गई है, मामले के अभिलेख और अपनी टिप्पणी के साथ अपील को 15 दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी के पास भेज देगा। अपीली प्राधिकारी इस बात पर चिवार करेगा कि क्या निष्कर्ष न्यायोचित हैं या क्या शास्ति अधिक है या अपर्याप्त है और अपील की तारीख से तीन मास के भीतर उपयुक्त आदेश पास कर देगा। अपीली प्राधिकारी शास्ति को पुष्ट बढ़ाने, कम करने या अपील करने का आदेश पास कर सकेगा या मामले को उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिसने शास्ति अधिरोपित की या ऐसे निदेश के साथ किसी अन्य प्राधिकारी को भेज सकेगा जैसे वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

परन्तु यह कि यदि दबाई गई शास्ति जिसे अपीली प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है वह विनियम 59 के खण्ड (d), (c), (d) और (j) में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति है और उस मामले में विनियम 61 में उपबन्धित जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी यह निदेश दे कि ऐसी जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी और उसके बाद जांच के

अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पास करेगा जैसा वह उचित समझेगा। यदि अपीली प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनियोग करता है, लेकिन विनियम 61 में उपबन्धित रूप में पहले ही जांच की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी कर्मचारी को इस बात का कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न बढ़ायो गई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए। अपीली प्राधिकारी, यदि कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है, तो उस पर विचार करने के बाद अन्तिम आदेश पास करेगा।

69. पुनर्विलोकन

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन प्राधिकारी अन्तिम आदेश की तारीख के छः मास के भीतर मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और मामले का पुनर्विलोकन करने के बाद उस पर ऐसे आदेश पास कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। परन्तु यह कि यदि बढ़ायी गई शास्ति जिसे पुनर्विलोकन प्राधिकारी अधिरोपित करता को प्रस्थापना करता है, विनियम 59 के खण्ड (ड), (च), (छ), (ज) में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति है और विनियम 61 के अधीन उपबन्धित रूप में मामले की पहले ही जांच नहीं की गई है, पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह निर्देश देगा कि ऐसी कोई जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पास करेगा जैसा वह उचित समझेगा। यदि अपीली प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनियोग करता है, लेकिन जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार पहले ही को जा चुकी है, तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी कर्मचारी को इस बात का कारण बताओ नोटिस देया कि क्यों न बढ़ायी गई शास्ति उस पर अधिरोपित की

जानी चाहिए। पुनर्विलोकन प्राधिकारी, यदि कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है तो उस पर विचार करने के बाद अन्तिम आदेश पास करेगा।

70. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील

इन विनियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया हर आदेश सूचना और अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित कर्मचारी पर स्वयं की जाएगी या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा समूचित की जाएगी।

71. समय सीमा शिथिल करने, विलम्ब को घटा करने की शक्ति

इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा लालविधित के सिवाएं, इन विनियमों के अधीन कोई आदेश करने के लिए सक्षम कोई भी प्राधिकारी सही और पर्याप्त कारणों से अन्यथा पर्याप्त हेतुक दिखाये जाने की दशा में, इन विनियमों के अधीन किसी बात के लिए जानि के लिए अपेक्षित समय सीमा को जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट है, वह सकेगा। अन्यथा विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा।

72. निरसन और व्यावृत्ति

(1) केंद्रीय भाण्डागत्रण कर्मचारीवृद्धि विनियम, 1966 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस तरह निरसित विनियमों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्य कार्रवाईयां, किया गया तात्परित कार्य या की गई कार्रवाई जब तक कि वह इन विनियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं तब यकि वह इन विनियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई उपर्याप्त जाएगा।

परिशिष्ट-1

नियुक्ति, ग्रन्तुशासनिक कार्रवाई और अपेल पुनर्विलोकन के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(देखें विनियम 6, 60, 68 और 69)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपेली प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7
1. समूह "च"						
क. लेखीय कार्यालय		लेखीय प्रबन्धक	लेखीय प्रबन्धक	सारी	सार्वजनिक	महा प्रबन्धक
ख. प्रधान कार्यालय		संयुक्त प्रबन्धक (कार्मिक)	संयुक्त प्रबन्धक (कार्मिक)	सारी	सत्रिव	महा प्रबन्धक
-2 समूह "ग"						
(I) वेस्ट हाउस सहायक प्रेड-II						
(क) लेखीय कार्यालय		लेखीय प्रबन्धक	लेखीय प्रबन्धक	सारी	महा प्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक
(ख) प्रधान कार्यालय		कार्मिक प्रबन्धक	कार्मिक प्रबन्धक	सारी	महा प्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक
(II) सभी अन्य पद		कार्मिक प्रबन्धक	कार्मिक प्रबन्धक	सारी	महा प्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक
3. समूह "ब"						
4. समूह "क"		महा प्रबन्धक	महा प्रबन्धक	सारी	प्रबन्ध निदेशक	कार्यकारी समिति
5. (I) प्रबन्धकों के स्तर से नीचे के प्रधिकारी	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	सारी	कार्यकारी समिति	निदेशक बोर्ड	
(II) प्रबन्ध और ऊपर के स्तर के प्रधिकारी (1500-1800 रुपये और इससे अधिक के वेतनमान वाले पद)	निदेशक बोर्ड	निदेशक बोर्ड	सारी	निदेशक बोर्ड	निदेशक बोर्ड	

(देवो विनियम ८, ९ और २२)

विभिन्न पदों के लिए भर्ती की पद्धति, अर्हतारं आदि

पद का नाम	वर्गी- करण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद है	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	भर्ती की दशा में वे किस पद से की जानी है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्द्धगां	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्द्धगां	आयु सीमा और अन्य अर्हताएं	आयु सीमा अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होयी या नहीं	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		

सामान्य प्रबन्ध संवर्ग

1. महाप्रबन्धक	प्रेड "क"	1	रु. 2000-125/2 -2500	चयन	प्रोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में 4 वर्ष की सेवा पर स्थानान्तरण प्रत्येक अवसर पर बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1 या केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-1 जिन्होंने उस वेतनमान में 6 वर्ष सेवा की हो, जिसका न्यूनतम 1500/- रुपये से कम नहीं है। सरकारी संस्थान के वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के उन अधिकारियों, जिन्होंने 6 वर्ष सेवा की हो, के बारे में भी अन्य उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।	सीधी भर्ती : अर्धशास्त्र/वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में वरिष्ठ प्रबन्धकीय स्थिति में कार्य करते का कम से कम 6 वर्ष का अनुभव या सरकार में उस पद पर जिसका वेतनमान न्यूनतम 1500 रुपये से कम न हो, 6 वर्ष की सेवा हो।	45 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
2. सचिव	प्रेड "क"	1	रु. 1800-100- 2000-125/2- 2250	चयन	प्रोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में 1500-1800/ 1500-2000 रुपये के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा वाले सभी प्रबन्धक प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-1/	सीधी भर्ती : किसी मात्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्धशास्त्र/वाणिज्य कारोबार प्रशासन/विधि में द्वितीय श्रेणी में दिप्री। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेप्रेटरीज/ इंस्ट्रॉफ्ट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट के	45 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. वाणिज्य प्रबन्धक	प्रेट "क"	₹. 1800-100- चयन 2000-125/2- 2250	प्रोलति/सीधी पर्याप्ति/प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाना है :	प्रोलति :	भर्ती/प्रतिनियुक्ति ₹. 1500-1800 या अधिक के पर स्थानान्तरण वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा कर प्रत्येक अवसर चुके सभी प्रदर्शक। प्रतिनियुक्ति :	सरकारी संस्थान वाणिज्य संगठनों के समकक्ष पर्दों वाले अधिकारी या जिन्होंने उन पर्दों पर 5 वर्ष सेवा की हो जिनके वेतनमान का न्यूनतम 1200 रु. से कम नहीं है।	सदस्यों को तरजीह दी जायेगी। अनुभव :	विसी बड़ी कंपनी/सरकारी संस्थान के सचिवालय विभाग में सचिवालय और प्रशासनिक मामलों को करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये जिसमें अपनी सचिव के रूप में काम करने का 3 वर्ष से कम अनुभव नहीं होना चाहिये।	45 वर्ष	लागू नहीं	पूर्ण
4. प्रबन्धक (सामान्य)	प्रेट "क"	₹. 1500-60- चयन 1800	प्रोलति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा में 3 वर्ष की सेवा कर चुके संयुक्त प्रबन्धक। अन्यथा 25 प्रति- शत सं.पी. भर्ती द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोलति :	प्रतिज्ञन संबंधी द्वारा ₹. 1300-1700 या इससे अधिक के वेतनमान में सामान्य प्रबन्ध संबंधी प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति :	प्रतिज्ञन संबंधी द्वारा ₹. 1300-1700 या इससे अधिक के वेतनमान में सामान्य प्रबन्ध संबंधी प्रतिनियुक्ति द्वारा सेवा कर चुके संयुक्त प्रबन्धक। प्रतिनियुक्ति :	सीधी भर्ती :	विशेषतया अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर छाप्री या अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुभव :	45 वर्ष	लागू नहीं	पूर्ण
								विशेषतया अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर छाप्री या अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट अर्थशास्त्री-1/ केन्द्रीय सेवाओं श्रेणी-1 में उस वेतनमान में लगभग 6 वर्ष की सेवा कर चुके हैं जिनका न्यूनतम 1200/- रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठनों में, वरिष्ठ प्रबन्धकीय स्तर पर 6 वर्ष का अनुभव और 2000/- रुपये प्रति मास जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है से कम वेतन नहीं ले रहे हैं।			

संख्या	ग्रेड	रुपये	वर्ष	समय	प्रोन्ति	प्रोन्ति	सीधी भर्ती	लागू नहीं	शृंखला	
5. संयुक्त प्रबन्धक	ग्रेड "क"	रु. 1300-50- 1700	नयन	75 प्रतिशत	प्रोन्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- नियुक्ति द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- नियुक्ति द्वारा।	कल ३ वर्ष की सेवा कर चुके हैं या सरकारी संस्थान के बै अधिकारी जो मध्य प्रबन्धकीय स्तर पर ३ वर्ष की सेवा कर चुके हैं।	अनुभव या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में मध्य प्रबन्धकीय स्तर पर तीन वर्ष का अनुभव।	40 वर्ष	लागू नहीं	शृंखला
6. उप प्रबन्धक (सामान्य)	ग्रेड "क"	रु. 1200-50- 1600	नयन	75 प्रतिशत प्रोन्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- नियुक्ति द्वारा ; 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- नियुक्ति द्वारा।	प्रोन्ति : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक/ वरिष्ठ साइंसिकीय अधिकारी जिन्होंने सचिव जो 700-1300 रुपये के वेतनमान में ५ वर्ष सेवा कर चुके हैं। नोट : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में उप-प्रबन्धक के लिए जाने के लिए पात्रता के लिए निजी सचिव को सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के हथ में कम से कम एक वर्ष कार्य किया होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में चार वर्ष की सेवा की है जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है या 6 वर्ष सेवा की	प्रोन्ति : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में उप-प्रबन्धक को नियम में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार में 1100-1600 रु. या इससे ऊपर के वेतनमान में पर्याप्त पर्याप्त काम कर रहे उपयुक्त अधिकारी या सरकारी क्षेत्र के उपकरणों में समकक्ष पर्याप्त पर्याप्त कार्य कर रहे वे अधिकारी जो 1600/- रुपये प्रति मास जिसमें नहंगाई भत्ता शामिल है, से कम वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नोट : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में उप-प्रबन्धक के लिए जाने के लिए पात्रता के लिए निजी सचिव को सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के हथ में कम से कम एक वर्ष कार्य किया होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में चार वर्ष की सेवा की है जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है या 6 वर्ष सेवा की	सीधी भर्ती शैक्षिक अद्यताएँ : विशेषज्ञता अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन/ श्रीदौषिक संबंध में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। अनुभव : सरकार में ६ वर्ष की सेवा जिसमें कम से कम ३ वर्ष की सेवा उस वेतनमान में होनी चाहिए जिसका न्यूनतम 1100/- रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में ६ वर्ष का अनुभव और तीन वर्षों के लिए 1600/- रुपये प्रति मास जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है, ने कम नहीं ले रहा है।	40 वर्ष	लागू नहीं	शृंखला

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11

7.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सामान्य)	ग्रेड "क"	१७	रु. ७००-४०- ११००-५०- १३००	चयन	प्रोन्ति ५० प्रतिशत सीधी भर्ती ५० प्रतिशत	है जिसका मूलतम ६५०/- रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान के समकक्ष स्तर पर उसी प्रकार का अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारी जो १३०० रुपये प्रतिमास जिसमें महगाई मत्ता शामिल है, तो कम नहीं ले रहे हैं।		सीधी भर्ती :	लागू नहीं	शून्य
8.	सहायक प्रबन्धक (सामान्य)	ग्रेड "ख"	२३	रु. ६५०-३०- ७४०-३५-८१०- ८०-३५-८८०- ४०-१०००-८०- ४०-१२००	चयन	प्रोन्ति १०० प्रतिशत	प्रोन्ति : कार्यकारी सहायक और वरिष्ठ कार्मिक सहायक जिन्हें चार वर्ष का अनुभव है, की साझी पावता सूची से प्रोन्ति । यह सूची उनको संबंधित पदों पर नियुक्ति की तारीखों के अनुसार तैयार की जानी है।	स्नातकोत्तर इयरी या कार्मिक प्रबन्ध, या श्रोतृपात्रिक संबंध या पत्र- कारिता या विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।	३० वर्ष	लागू नहीं	शून्य
9.	मण्डारण और निरीक्षण अधिकारी (गामान्य)	ग्रेड "छ"	७९	रु. ६५०-३०- ७४०-३५-८१०-८०- ३५-८८०-४०-१०००- ८०-४०-१२००	चयन	प्रोन्ति १०० प्रतिशत	प्रोन्ति : सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में अधीक्षक जो ५५०-९०० रुपये के वेतनमात्र में ५ वर्ष सेवा कर चुके हैं।	--	--	लागू नहीं	शून्य
10.	कार्यकारी सहायक	ग्रेड "छ"	२८	रु. ६५०-३०- ७४०-३५-८८०- ८०-४०-९६०	चयन	प्रोन्ति १०० प्रतिशत	प्रोन्ति : सहायक जिन्होंने उस पद पर ५ वर्ष सेवा की है।	--	--	लागू नहीं	शून्य
11.	अधीक्षक (सामान्य)	ग्रेड "झ"	३७७	रु. ५५०-२५-७५०- ३७७-८०-३०-९००	चयन	प्रोन्ति १०० प्रतिशत	प्रोन्ति : कठिन अधीक्षक जिन्होंने १२५-८०० रुपये के वेतनगात्र में ५ वर्ष सेवा की है।	--	--	लागू नहीं	शून्य

12. प्रबन्धक (धन- संधान तथा विकास)	प्रेड "क"	1	₹. 1500- 1800	चयन	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	लागू नहीं	शून्य		
13. वर्णित प्रयोगशास्त्री	प्रेड "क"	1	₹. 1300- 1700	चयन	प्रोलंति/सीदे भर्ती/प्रति- नियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रत्येक अवसर पर बोड द्वारा तिशिव्रत करना होगा।	प्रोनति: वर्णित विश्लेषक जिन्होंने 1200- 1600 रु. के बेतनमान में 3 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: ॥ केंद्रीय सरकार के बे उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस बेतनमान में 3 वर्ष सेवा की है और जिसका व्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान के बे उपयुक्त अधिकारी जिन्हें वाजार प्रनुसंधान, आर्थिक सूचना एकावित करने, वर्गीकरण और उसकी ध्यान्या करने का अनुभव है, जो 1600 रु. प्रतिमास जिरामें महगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले सके हैं ॥	सीधी भर्ती: शैक्षिक भर्ता : प्रयोगशास्त्र/सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। वांछनीय : ॥ कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने का अनुभव । प्रनुभव : ॥ मध्य प्रबंध स्तर पर किसी केंद्रीय सरकार या सरकारी संस्थान या आणिज्य संगठन में आर्थिक/सांख्यिकी सूचना इकाई करने और उसकी व्याख्या करने का 3 वर्ष का अनुभव ।	40 वर्ष	लागू नहीं	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

14. वरिष्ठ विश्लेषक	प्रेड "क"	1	रु. 1200- 1600	चयन	75 प्रतिशत प्रोनंति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- निधित्व द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रति- निधित्व द्वारा।	प्रोनंति: विश्लेषक जिन्होंने रु. 700-1300 के वेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है। प्रतिनिधित्व: केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है, 4 वर्ष की सेवा है या सरकारी संस्थान के वे उपयुक्त अधिकारी जिन्हें बाजार ग्रन्तुंधान, आर्थिक सूचना एकत्रित करने, वर्गीकरण और व्याख्या करने का 4 वर्ष का अनुभव है और जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	शैक्षिक भर्ता : अर्थशास्त्र/सांखिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो, कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने का अनुभव रखने वालों को तरजीह। अनुभव : जिन्होंने केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है, 4 वर्ष सेवा दी है और जिन्हें बाजार अनु- संधान, आर्थिक सूचना इकट्ठी करने और उसकी व्याख्या करने का अनुभव है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में इस प्रकार का 4 वर्ष का अनुभव है और जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	40 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
------------------------	--------------	---	-------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------	-------

15. विश्लेषक
प्रेड "क"
1 रु. 700-1300 चयन सीधी भर्ती

16. वरिष्ठ सांखिकी अधिकारी	प्रेड "ब"	700-1300	चयन	प्रतिनिधित्व पर स्थानान्तर अन्यथा साधन भर्ती द्वारा	प्रतिनिधित्व पर स्थानान्तर/प्रोफेशन केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में सांखिकी अधिकारी जिनका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है और सरकारी संस्थान वाणिज्य संगठनों में पर्यवेक्षक स्तर पर 3 वर्ष का सम्भव अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारी जो 1300 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई	प्रतिनिधित्व पर स्थानान्तर/प्रोफेशन केन्द्रीय सरकार में सांखिकी के गणित/अर्थशास्त्र/सांखिकी के साथ वाणिज्य/ग्रन्ति सांखिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिप्लो। अनुभव : केन्द्रीय सरकार में पर्यवेक्षक स्तर पर सांखिकी कार्य, जांच, सम्पादन, कोडिंग, विश्लेषण, वर्गीकरण	30 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
-------------------------------	-----------	----------	-----	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------	-------

17. सांखिकीय प्रविकारी प्रेड "ख" — 650-1200 रु. चयन पदोन्नति द्वारा प्रोत्तिः

अन्यथा सीधी सांखिकी सहायक जो 550—900 रु. सांखिकी/गणित/सांखिकी के साथ भर्ती द्वारा के बेतनमान में 5 वर्ष सेवा कर वाणिज्य/सांखिकी के साथ अर्थशास्त्र/कृषि सांखिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री है।

35 वर्ष लागू नहीं शून्य

भर्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं। नियम में सांखिकीय अधिकारी भी विवारार्थ पात्र होगी। यदि नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो पद को प्रोत्तिः द्वारा भरा गया माना जाएगा।

ध्यारणा और डेटा के सूचना देने का कार्य 3 वर्ष किया है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में पर्यावरण के हेतु विवरत में 3 वर्ष सेवा की है।

18. सांखिकीय सहायक प्रेड "ख" 5 550-900 रु. चयन सीधी भर्ती

अनुभवः
केन्द्रीय सरकार में अन्वेषक स्तर पर सांखिकीय डेटा के बारे में सांखिकीय कार्य, जांच करने, सम्पादन, कोडिंग विश्लेषण, वर्गीकरण, व्याख्या करने का 3 वर्ष का अनुभव या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में पर्यावरण स्तर पर 3 वर्ष की सेवा हो।

भारतीय सांखिकीय संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के साथ कला, विज्ञान या सांखिकी के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित स्नातक।

19. हिन्दी अधिकारी प्रेड "ख" 1 650-1200 रु. चयन प्रोत्तिः अन्यथा प्रोत्तिः

सीधी भर्ती हिन्दी अनुवादक जिन्होंने 425-800 रुपये के बेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है।

शैक्षिक अद्वैता:
(क) उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री।

35 वर्ष लागू नहीं शून्य

या
उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	निजी सचिव	प्रेड "क" 2	रु. 700—1300	चयन	प्रोत्तरि	प्रोत्तरि:	जयेष्ठ वैयक्तिक सहायक जिन्होंने 650—900 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है।	—	लागू नहीं	शून्य
21.	व्येष्ठ वैयक्तिक सहायक	प्रेड "ख"	रु. 650—960	—	प्रोत्तरि	प्रोत्तरि:	वैयक्तिक सहायक जिन्होंने 425—800 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है।	—	लागू नहीं	शून्य
22.	वैयक्तिक सहायक	प्रेड "ग"	रु. 425—800	मैर-	प्रोत्तरि	5 वर्ष की सेवा वाले आगू लिपिकों में से ज्येष्ठता के आधार पर प्रोत्तरि द्वारा सेकिन श्रोत्रीय की स्थिति में न मंजूर।	—	लागू नहीं	शून्य	
23.	पुस्तकालयाध्यक्ष	प्रेड "ग"	रु. 425—800	चयन	सीधी पर्टी 100 प्रतिशत	—	मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से 20 वर्ष लागू नहीं दियी। पुस्तकालय विज्ञान में हिस्सेदार।	—	लागू नहीं	शून्य
24.	कनिष्ठ पद्धीकारी	प्रेड "ग"	रु. 425-15-500- ग्रे-	रु. 15-560-20- चयन	प्रोत्तरि	इल्यू.ए.जी.-1/कमटिस्ट जिन्होंने उस प्रेड में कम से कम 4 वर्ष सेवा की है, में से प्रोत्तरि	—	लागू नहीं	शून्य	

5. हिन्दी प्रनुशासक	प्रेड "ग" 14 रु. 425—800	चयन 100 प्रतिशत सीधी भर्ती	—	(क) उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिप्री ।	35 वर्षे लागू नहीं शून्य
26. आशुलिपि	प्रेड "ग" 107 रु. 330—560 चयन चयन द्वारा 100 प्रतिशत प्रोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	क्षेत्र में कार्यरत वेमरहाउस सहायक प्रेड II में से जहां विचारात्मिक पैदा होती है आशुलिपि और टाइपिंग टैस्ट के आधार पर)	(ब) उपाधि स्तर पर विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी सहित संस्कृत में मास्टर डिप्री ।	(व) हिन्दी में शब्दावली कार्य या अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का अनुवाद का नगमण 3 वर्ष का अनुभव।	25 वर्षे लागू नहीं शून्य
27. आशुलिपि (हिन्दी)	प्रेड "सी" 5 रु. 330—560 चयन प्रोन्नति (अन्यथा सीधी भर्ती)	क्षेत्र में कार्यरत वेमरहाउस सहायक प्रेड-II (हिन्दी) में से प्रोन्नति जहां यह रिक्विट पैदा हुई है लेकिन स्तम्भ 8 में बतायी गई हिन्दी में आशुलिपि और टाइपिंग की प्रोफिलिट गति से टैस्ट पास होने पर।	मैट्रिक और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मि. गति तथा टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मि. गति।	हिन्दी विषयसहित स्तम्भक। हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में ऋम श: 80 श.प्र. मि. और 40 श.प्र. मि. की गति।	25 वर्षे लागू नहीं शून्य
28. वेमरहाउस सहायक	प्रेड "ग" 058 रु. 330—560 गैर चयन प्रेड I	वेमरहाउस प्रेड-II/प्रयोगशाला सहायक कार्पी होल्डर जिन्होंने अपने प्रेड में 3 वर्ष की सेवा की है और जो क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां विचाराधीन रिक्विट पैदा हुई है, में से ज्येष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान कार्यतय को एक अलग क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।	—	—	लागू नहीं शून्य
29. कमटिस्ट	प्रेड "ग" 3 (1) रु. १३०— — 2 560 (2) रु. 260— 400 और 15 रु. विशेष वेतन	टैस्ट के आधार पर वेमरहाउस सहायक प्रेड-II में से अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	30 श.प्र.मि. की टाइप करने की गति के साथ मैट्रिक अधिमानतः कार्यालय संबंधी कार्य का अनुभव। कम्पटोमीटर मशीन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए।	25 वर्षे लागू नहीं शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. रोकड़िया	ग्रेड 'ग'	1	(1) रु. 330-	—	—	अधिमानतः लेखा या वाणिज्य योग्यता वाले वैयरहाउस सहायक ग्रेड-1 कनिष्ठ अधीक्षक/सहायक में से उपयुक्त कर्मचारी की नियुक्ति।	—	—	लागू नहीं	कनिष्ठ अधीक्षक कार्यकारी सहायक / सहायक प्रबन्धक के पद के लिए प्रोत्साहित के प्रयोजन के लिए रोकड़िया को जैसी भी स्थिति होगी वैयरहाउस सहायक ग्रेड-1/क अधीक्षक कार्य- कारी सहायक के रूप अपने) ज्येष्ठता मिलेगी ।
31. वैयरहाउस सहायक ग्रेड-II	ग्रेड 'ग'	1879	रु. 260-6- 290-द.रो.- 6-326-8- 366-द.रो.- 8-390-10- 400	—	प्रोत्साहित 20 प्रति- शत सीधी भर्ती चतुर्थ श्रेणी नियमित कर्मचारी जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष सेवा की है में से प्रोत्साहित । यह नियुक्ति उनके विहित समय सीमा टाइपिंग टेस्ट पास करने पर होगी ।	30 ग्र. प्र. मि. टाइप करने की गति सहित मैट्रिक अधिमानतः कार्य- लय कार्य का अनुभव (तथापि, अन्यथा उपयुक्त पाये गए शारी- रिक दृष्टि से विकलांग उम्मीद- वारों के लिए टाइपिंग की गति की एक शर्त पूर्व निर्णय नहीं होगी ।	25 वर्ष	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए गए सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लिखित/टाइपिंग टेस्ट में सक- समता प्राप्त करनी होगी ।	
32. हिन्दी टाइपिंग (वैयर- ग्रेड 'ग' सहायक ग्रेड-II)	16	रु. 260-400	चयन	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	—	30 ग्र. प्र. मि. की न्यूनतम गति वाले एक विषय में हिन्दी के साथ स्नातक, अधिमानतः हिन्दी टाइप का कार्य करने का अनुभव	25 वर्ष	लागू नहीं	सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित एक लिखित/ टाइपिंग टेस्ट की प्रति- योगिता में माग लेना होगा ।	

33. स्टाफ कार इंजिन	प्रेड 'ग'	18	रु. 260-400	चयन	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	—	सीधी भर्ती प्रैक्षिक अहंता	30 वर्ष	लागू नहीं	नियम के नियंत्रण सित नियुक्त चतुर्थ लेबी कर्मचारी/ डिसेंच राह दर जो स्थान 8 में विद्वित ग्रहण रखते हैं को तरजीह दी जाएगी। पर्दि उनमें से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
34. लिफ्ट प्रैटेंडर	प्रेड 'ग'	6	रु. 260-400	चयन	चयन प्राधार पर 100 प्रतिशत प्रोत्साहन	जिस क्षेत्र में रिक्षित नीदा होती है वहां कम से कम 3 वर्ष की सेवा वाले कार्यरत चपरासियों में से (प्रधान कार्यालय को एक अलग क्षेत्र के रूप में मना जाएगा)।	—	—	लागू नहीं	शूल्य
35. दफ्तरी	प्रेड 'घ'	32	रु. 200-250	चयन	ज्येष्ठता-एवं-उप- पुनर्तता आधार द्वारा 100 प्रतिशत प्रोत्साहन	चपरासी के रूप में कम से कम 3 वर्ष सेवा वाले क्षेत्र में कार्यरत चपरासियों में से जहां विचाराधीन रिक्षित नीदा होती है (प्रधान कार्यालय को एक अलग क्षेत्र माना जाएगा)	—	—	लागू नहीं	शूल्य
36. चपरासी	प्रेड 'घ'	46	रु. 196-232	चयन	सीधी भर्ती 100 प्रतिशत	—	मिडिल स्तर उत्तीर्ण प्रधिमानतः उड़े दी जाएगी जिन्हें अंग्रेजी और हिन्दी/स्थानीय भाषा का कुछ शान है।	25 वर्ष	लागू नहीं	शूल्य
37. ज्येष्ठ माली/माली प्रेड I	प्रेड 'घ'	1	रु. 200-250		100 प्रतिशत प्रोत्साहन	वेतनमान में कम से कम 10 वर्ष सेवा वाले मालियों (रु. 196- 232) में से।	—	—	लागू नहीं	शूल्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. माली	प्रेड 'ब'	17	३. 196-232	चयन	100 प्रतिशत संघर्ष भर्ती	—	कम से कम एक वर्ष नसरों या उद्यान 25 वर्ष में माली के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	लागू नहीं	शून्य	
39. चौकेदार प्रेड-I	प्रेड 'ब'	385	३. 200-250	—	ज्येष्ठता-एवं- उपयूक्तता द्वारा 100 प्रतिशत प्रोत्साहन	सेक्रेट्री में जहाँ विवाराधान रिक्ति पैदा हुई है, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव वाले चौकेदारों प्रेड-II (चयन प्रतिशत ३. 196-232) में से।	—	—	लागू नहीं	शून्य
40. चौकेदार प्रेड-II	प्रेड 'ब'	2180	३. 196-232	चयन	संघर्ष भर्ती 100 प्रतिशत	—	संघर्ष भर्ती 1. मिडिल स्तर उत्तीर्ण 2. 2 वर्ष के लिए चौकेदार के रूप में कार्य करने का अनुभव	25 वर्ष	लागू नहीं	चौकेदार के रूप में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को नियम द्वारा विहित अपै- शित प्रशि- क्षण प्राप्त करना होगा।
41. वरिष्ठ सकारात्मका	प्रेड 'ब'	103	३. 200-250	—	ज्येष्ठता-एवं-उप- युक्तता द्वारा प्रोत्साहन 100 प्रतिशत	क्षेव जहाँ विवाराधान रिक्ति पैदा हुई है, कम से कम 3 वर्ष के अनुभव वाले सकारात्मकों (वेतन मात्र ३. 196-232) में से	—	—	लागू नहीं	शून्य
42. सफाई वाला	प्रेड 'ब'	584	३. 196-232	चयन	संघर्ष भर्ती 100 प्रतिशत	—	—	25 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
43. कराप्र	प्रेड 'ब'	10	३. 196-232	चयन	संघर्ष भर्ती 100 प्रतिशत	—	—	25 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
44. हैल्पर	प्रेड 'ब'	61	३. 196-232	चयन	संघर्ष भर्ती 100 प्रतिशत	—	—	25 वर्ष	लागू नहीं	शारीरिक उप- युक्तता और शारीरिक अभी- क्षमता की क्षमता मुख्य कसौटी हीगी कृश्चल अभी- क्षम में अनुभव रखने वाले अधिकारी को तर्जांह दी जाएगी।

1. प्रबन्धक (तकनीकी) प्रेड 'क'

1

1500-1800 रु. चयन

प्रोत्तिसंघर्ष भर्ती/ प्रोत्तिसंघर्ष

प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी संवर्ग में 1300-1700 स्थानात्मण, इपरे के वेतनमान में तन वर्ष का प्रत्येक अवसर सेवा दाले संयुक्त प्रबन्धक।

पर बोर्ड डारा, प्रतिनियुक्ति:

निश्चित किया केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जिन्होने जाना है।

उस वेतनमान में कम से कम 4 वर्ष सेवा की है। जिसका न्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान के वे अधिकारी जिन्होने मध्य प्रबन्ध स्तर पर कम से कम चार वर्ष सेवा की है।

2. संयुक्त प्रबन्धक
(तकनीकी)

प्रेड 'क'

1

1300-1700

रु.

चयन

75. प्रतिवृत्त प्रोत्तिसंघर्ष:

प्रोत्तिसंघर्ष तकनीकी संवर्ग में उप प्रबन्धक अन्यथा संघर्ष विन्होने 1200-1600 रु. के भर्ती दाग वेतनमान में 3 वर्ष सेवा की अन्यथा प्रतिवृत्त है।

नियुक्ति प्रतिनियुक्ति:

द्वाय 25 प्रति- केन्द्रीय सरकार उपयुक्त अधिकारी शत सीधे भर्ती जिन्होने उस वेतनमान में 3 वर्ष अन्यथा प्रतिवृत्त सेवा की है जिसका न्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थानों या वाणिज्य संगठनों के 3 वर्ष का अनुभव खते दाले अधिकारी और जो 1600 रु. प्रति मास जिसमें गंहाई भर्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

संघर्ष भर्ती:
शैक्षिक अहंता:

कट विज्ञान साहत कृषि या अण ज.व.विज्ञान या ज.व.रसायन में द्वित.य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कट विज्ञान सहित प्राणि विज्ञान में द्वित.ते श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री;

अनुभव :

केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में उस वेतनमान में कम से कम 4 वर्ष या अनुभव जिसका न्यूनतम वेतनमान 1100 रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में तुलनात्मक अनुभव।

संघर्ष भर्ती:

शैक्षिक अहंता:

कट विज्ञान सहित कृषि या कण ज.व.विज्ञान या ज.व.रसायन में द्वित.य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या ज.व.विज्ञान में द्वित.य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या ज.व.रसायन या अण ज.व.विज्ञान में द्वित.य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कट विज्ञान सहित प्राणि विज्ञान में द्वित.य श्रेणी हमें हस्तकोत्तर डिग्री।

अनुभव :

केन्द्रीय सरकार में 6 वर्ष सेवा जिसमें 3 वर्ष सेवा उस वेतनमान में हो जाए चाहिए जिसका न्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में 6 वर्ष का अनुभव और तन वर्षों से 1600 रु. प्रति मास जिसमें गंहाई मता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

45 वर्ष लागू नहीं शूल्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	उपभवनक (तकनीकी)	ब्रेड 'क'	1	₹. 1300—1600	चयन	75 प्रतिशत प्रोत्तरि	प्रोत्तरि :	सोधी भर्ती शैलिक अहंता	40 वर्ष	लागू नहीं शून्य
						दाय अन्यथा सीधी भर्ती दारा प्रत्यया प्रति- नियुक्ति दारा	तकनीकी संवर्ग में ज्येष्ठ सहायक प्रबन्धक जो 700-1300 रुपये रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं	कोट विज्ञान सहित कृषि या ब्रागुबीब विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो या जीव रसायन या प्रणुजीव विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो या कोट विज्ञान सहित प्राणि विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो।		
						25 प्रतिशत सीधी भर्ती केन्द्रीय सरकार से उपयुक्त ग्रधिकारी दाय अन्यथा प्रविस्तियुक्ति दारा	जो उस वेतनमान में 4 वर्ष सेवा कर चुके हैं जिसका न्यूनतम 650 रुपये से कम नहीं है।	प्रनुभव :	केन्द्रीय सरकार में चार वर्ष उक्त वेतनमान में सेवा की है जिसका न्यूनतम 650 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठनों के लम्बकाल ग्रधिकारी वर्ग जो 1300 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शायमल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	
4.	ब्लेड सहायक प्रबन्धक (तकनीकी)	ब्रेड 'क'	31	₹. 700—1300	चयन	50 प्रतिशत प्रोत्तरि	प्रोत्तरि :	सोधी भर्ती शैलिक अहंता	30 वर्ष	लागू नहीं शून्य
						50 प्रतिशत सोधी भर्ती	तकनीकी संवर्ग में भांडारण निरीक्षण ग्रधिकारी जो 650-1200 रुपए के वेतनमान में 3 वर्ष सेवा कर चुके हैं।	कोट विज्ञान सहित कृषि/ब्रागुबीब विज्ञान/जीवन रसायन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो या जीव रसायन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो या कोट विज्ञान सहित प्राणि विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लो।		
						100 प्रतिशत प्रोत्तरि	प्रोत्तरि :	—	—	लागू नहीं शून्य
						100 प्रतिशत प्रोत्तरि	तकनीकी संवर्ग में ग्रधीकार जो इस पद पर पांच वर्ष सेवा कर चुके हैं।	—	—	लागू नहीं शून्य
5.	भंडारण निरीक्षण ग्रधिकारी (तकनीकी)	ब्रेड 'क'	—	₹. 650—1200	चयन	100 प्रतिशत प्रोत्तरि	प्रोत्तरि :	—	—	लागू नहीं शून्य
							425-800 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा वाले तकनीकी सहायक।	—	—	लागू नहीं शून्य
6.	ग्रधीकार (तक- नीकी)	ब्रेड 'क'	—	₹. 550—900	चयन	100 प्रतिशत प्रोत्तरि	प्रोत्तरि :	—	—	लागू नहीं शून्य

7. उक्तीकी सहायक	प्रेड 'म' 377	रु. 425—800 चयन	75 प्रतिशत व्ये- प्रोत्तिः	सीधी भर्ती सैकिक अहंता : 30 वर्ष लागू नहीं शून्य
			ज्ञाता-एवं-उप- कनिष्ठ उक्तीकी सहायकों में से युक्तता आवार जिन्होंने उस प्रेड में कम से कम पर प्रोत्तिः 3 वर्ष सेवा की है।	इषि में डिप्री या एक विषय के रूप में प्राणि विज्ञान, रसायन या जीव रसायन के साथ डिप्री और इषि उत्पाद की गुनवत्ता निष्ठारण आशुलिक पद्धतियों द्वारा उसके भंडारण और परोक्षण का दोन वर्ष का अनुभव।
8. कनिष्ठ उक्तीकी	प्रेड 'म' 623	रु. 380—560	— 100% सीधी भर्ती	सीधी भर्ती 28 वर्ष लागू नहीं
सहायक			—	कृषि में डिप्री या एक विषय के रूप में प्राणि विज्ञान, रसायन या जीव रसायन के साथ डिप्री।
9. प्रदोषकाला	प्रेड "म" I	रु. 260—400	— 100 प्रदिशत सीधी भर्ती	प्रयोगशाला प्रशिक्षण के लिए साथ 22 वर्ष लागू नहीं शून्य
सहायक			—	विज्ञान युप सहित उच्चतर नाईट्रो- फिल उत्तीर्ण या फ्लटरमोडिएट विज्ञान
10. प्रदोषक डस्टिंग	प्रेड "व" 96	रु. 210—270	— ज्ञेष्ठा-एवं-उप- जिस क्षेत्र में विचारावीन रिक्ति युक्तता द्वारा पैदा हुई है, वहां कार्यरत डस्टिंग आपरेटरों जिन्होंने उस प्रेड में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है, में से	— सीधी भर्ती 22 वर्ष लागू नहीं शून्य
प्रापरेटर			—	—
11. डस्टिंग आपरेटर	प्रेड "व" 607	रु. 200—250	— ज्ञेष्ठा-एवं-उप- मिडिल स्तर उत्तीर्ण समूल "व" युक्तता द्वारा 100% प्रोत्तिः कर्मचारियों में से सकाई वालों के अतिरिक्त जिन्होंने क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है, यहां विचारावीन रिक्ति पैदा हुई है।	— सीधी भर्ती 22 वर्ष लागू नहीं शून्य
			—	—
1. प्रबन्धन	प्रेड "क" ।	रु. 1800—2250 चयन	प्रोत्तिः/सीधी भर्ती प्रोत्तिः प्रतिनियुक्ति प्रोत्तिः/सीधी भर्ती प्रोत्तिः पर स्थानांतरण संयुक्त प्रबन्धक (ईजी.) जो 1200- सैकिक अहंता: प्रत्येक अनुभव 1700 रु. के बेतनमान में 5 सिविल इंजीनियरिंग में डिप्री। पर बोर्ड द्वारा वर्ष सेवा कर चुके हैं। अनुभव: पर बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति: जिसी सरकारी विभाग में सिविल प्रतिनियुक्ति: इंजीनियर के रूप में लगभग 5 केन्द्रीय सरकार से उत्प्रवृत्त अधि- कारी जो उर बेतनमान में कम जाना है। से कम 5 वर्ष रोका कर चुके हैं जिसका न्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी चंस्थान/	सीधी भर्ती 45 वर्ष लागू नहीं शून्य
(ईजीनियरिंग)			—	—

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. दृष्ट प्रबंधक प्रेड "क" 1 रु. 1200-1700 चयन
(संजो.) प्रधीकारी
इंजीनियर

3. कार्बोरारी इंजी- फ्रेड "क" 19 रु. 1100-1600 चयन
नियरनिर्माण
सर्वेक्षक

कम नहीं है या सरकारी संस्थान/वाणिज्य संगठनों से अधिकारी जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण कार्य का 5 वर्ष का अनुभव है और जो 2000 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

75 प्रतिशत प्रोन्ट- प्रोन्टति:
ति द्वारा अन्यथा कार्बोरारी इंजीनियर/निर्माण सर्वेक्षक/सीधी भर्ती संरचनात्मक इंजीनियर जो रु. द्वारा अन्यथा 1100-1600 के वेतनमात्र में प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं। द्वारा, 25 प्रति- प्रतिनियुक्ति शत सीधी भर्ती केंद्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारी द्वारा अन्यथा जो तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं, प्रतिनियुक्ति जिसके वेतनमात्र का अनुत्तम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान/वाणिज्य संगठनों के अधिकारी जिन्हें समरूप अनुभव है और जो 1600 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

75 प्रतिशत प्रोन्ट- प्रोन्टति:
ति द्वारा अन्यथा सहायक इंजीनियर/सहायक निर्माण सीधी भर्ती द्वारा सर्वेक्षक (सिविल) जिन्होंने 650-अन्यथा प्रति- 1200 रु. के वेतनमात्र में 6 नियुक्ति द्वारा, वर्ष सेवा की है। 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार से उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमात्र में 4 वर्ष सेवा की है जिसके वेतन मान का अनुत्तम 650 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान/वाणिज्य संगठन के समरूप अनुभव वाले अधिकारी और जो 1300 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

वाणिज्व संगठनों में 5 वर्ष का समरूप अनुभव और 2000 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

सीधी भर्ती: 40 वर्ष लागू नहीं शूल्य

शीक्षक अनुंतः:
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्री।

अनुभव सरकार में कम से कम 6 वर्ष सेवा की है जिसमें कम से कम 3 वर्ष सेवा उस वेतनमात्र में की हो जिसका अनुत्तम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या निर्माण संगठन में 6 वर्ष का अनुभव और तीन वर्ष के लिए 1600 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, ले रहे हैं।

सीधी भर्ती: 40 वर्ष लागू नहीं शूल्य
सिविल इंजीनियरिंग या संरचना इंजी- नियरिंग में डिप्री।

अनुभव: सरकारी संस्थान/वाणिज्य संगठन में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य/संरचना इंजीनियरिंग से संबंधित 4 वर्ष का अनुभव और जो 1300 रु. प्रतिमास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4. सहायक ईंजीनियर/ प्रेड "ब" | 123 | रु. 650—1200 | चयन
सहायक निर्माण
सर्वेक्षक | 50 प्रतिशत
प्रोन्ति 50 प्रति-
शत सीधी भर्ती | प्रोन्ति 50 प्रति-
शत सीधी भर्ती
स्तातक एस. औ. जी तीन वर्ष
सेवा कर चुके हैं और टिप्सेमा
वाले एस. औ. जी उस पद
पर 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं। | सीधी भर्ती
सिविल/विद्युत/स्थापत्य ईंजीनियरिंग
में डिप्लोमा | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 5. सहायक वास्तुविद प्रेड 'ब' | — | रु. 650—1200 | चयन | प्रोन्ति 50 प्रति-
शत सीधी भर्ती डिप्लोमा
वाले स्थापत्य सहायक जिसने स्थापत्य में डिप्लो-
50 प्रतिशत उस पद पर बार वर्ष सेवा की
है। | प्रोन्ति 50 प्रति-
शत सीधी भर्ती
डिप्लोमा वाले स्थापत्य सहायक जिसने स्थापत्य में डिप्लो-
में डिप्लोमा | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य | |
| 6. स्थापत्य सहायक प्रेड 'ब' | 1 | रु. 550—900 | चयन | प्रोन्ति | नवशानवीस प्रेड में से जिन्होंने उस
प्रेड में कम से कम 5 वर्ष सेवा
की है। | — | — | लागू नहीं | शून्य |
| 7. नवशानवीस प्रेड-I प्रेड 'ग' | 8 | रु. 550—750 | चयन | प्रोन्ति | नवशानवीस प्रेड-II में से जिन्होंने
उस प्रेड में कम से कम 3 वर्ष
सेवा की है। | — | — | लागू नहीं | शून्य |
| 8. अनुमानीय अधिक- प्रेड "ग", 236 | — | रु. 425—700 | — | 100 प्रतिशत
सीधी भर्ती | किसी भान्यताप्राप्त संस्थान से
सिविल/मकेनिकल/इलेक्ट्रिकल
डिप्लोमा। | — | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 9. नवशानवीस प्रेड- प्रेड 'ब' | 25 | रु. 330—560 | चयन | 100 प्रतिशत
सीधी भर्ती
द्वारा | — | सीधी भर्ती
नवशानवीस या सिविल ईंजीनियरिंग
में डिप्लोमा अधिकानत 'स्लान
और अनुमान तैयार करने में
प्रवीणता, किसी अच्छे रेखा चित्र
कार्यालय में दो वर्ष का अनुभव। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 10. न्यैट्रल ग्राप रेटर प्रेड "ग" | 3 | रु. 330—560 | — | 100 प्रतिशत
सीधी भर्ती
द्वारा | — | सीधी भर्ती
उम्मीदवार के पास निम्नलिखित
योग्यता होनी चाहिए :
1. मैट्रिक उत्तीर्ण
2. राज्य सरकार द्वारा दिया गया
वैष्ठ विद्युत साइंसेस
3. रिफिजरेशन या एयर कंडीशनिंग
लाइट में कम से कम तीन वर्ष
कार्य करने का अनुभव। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------------------|-----------|----|-------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 11. | कनिष्ठ श्रापरेटर | प्रेड "ग" | 3 | रु. 260—400 | — 100 प्रतिशत
सीधी भर्ती | — | सीधी भर्ती
उम्मीदवार के पास निम्नतिवित
योग्यता होनी चाहिए। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 12. | मिस्ट्री (विडूत) | प्रेड "ग" | 18 | रु. 260—400 | — 100% सीधी
भर्ती | — | 1. मैट्रिक उत्तीर्ण
2. बिजली के जनरेटर और मोटरों
को चालाने का व्यावहारिक ज्ञान
और अनुभव।
3. किसी रिफिलरेजन या एयरकंडी-
शनिंग प्लॉट में काम करने का
कम से कम दो वर्ष का अनुभव। | 20 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 13. | ।मस्त्री (निर्माण) | प्रेड "ग" | — | रु. 260—350 | — 100% सीधी भर्ती | — | सीधी भर्ती
मैट्रिक या समकक्ष योग्यता, राज्य
सरकार द्वारा आरी बिजली वापर-
मैन या लाइसेंसदारी और कम से
कम दो वर्ष का अनुभव। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 14. | वायरमैन एवं पम्प | प्रेड "ग" | 6 | रु. 260—350 | — 100% सीधी भर्ती | — | प्रथम श्रेणी मिस्ट्री होना चाहिए और 30 वर्ष
प्रारम्भिक प्लानों की पढ़ने और
निर्माण कार्य करने में समर्थ होना
चाहिए। नियुक्ति से पूर्व ट्रेड ट्रेनिंग
देना होगा। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 15. | बड़ई | प्रेड "ग" | 1 | रु. 260—350 | — 100% सीधी भर्ती | — | मैट्रिक या समकक्ष योग्यता और कम
से कम दो वर्ष का अनुभव आई,
टी. आई. या किसी शृण्य सर-
कारी संस्थान या वायरमैन लाइसेंस
होना चाहिए। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 16. | स्टम्पर | प्रेड "ग" | 2 | रु. 260—350 | — 100% सीधी भर्ती | — | मान्यताप्राप्त ट्रेड प्रमाण पत्र या 30 वर्ष
लाइसेंस और फील्ड में दो वर्ष
का अनुभव। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| 17. | सहायक पम्प
श्रापरेटर | प्रेड "घ" | 2 | रु. 210—290 | — 100% सीधी भर्ती | — | मान्यता प्राप्त ट्रेड प्रमाण पत्र या 30 वर्ष
लाइसेंस और फील्ड में दो वर्ष
का अनुभव। | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |
| | | | | | | | मैट्रिक या समतुल्य योग्यता रेफी-
जरेटर, बिजली जनरेटर, मोटर
प्रादि चलाने का कम से कम
दो वर्ष का अनुभव। | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 4. उप प्रबंधक
(लेखा) | प्रेड "क" 10 | रु. 1200—1600 | चयन | 75% प्रोन्लिंग
दारा अन्यथा
प्रतिनियुक्ति
द्वारा, 25%
सीधी भर्ती
दारा अन्यथा
प्रतिनियुक्ति
द्वारा | प्रोन्लिंग:
दारा अन्यथा
सीधी भर्ती
दारा, अन्यथा
प्रतिनियुक्ति
द्वारा, 25%
सीधी भर्ती
दारा अन्यथा
प्रतिनियुक्ति
द्वारा | वर्ष का ग्रनुभव है जिसका व्यूनतम 1100 रु. से कम नहीं है या सरकारी संस्थानों/वाणिज्य संगठनों में तीन वर्ष के समरूप ग्रनुभव वाले प्रधिकारी जो 1600 रुपये प्रति मास जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं। | टेंट्स या इंस्टीट्यूट आ०क कास्ट्स एड वर्स एकाउटेंट्स का सदस्य।
ग्रनुभव :
केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की लेखा या एस. ए. एस. 6 वर्ष उस वेतनमान में सेवा की हो जिस का व्यूनतम 1100 रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में 6 वर्ष का ग्रनुभव और मंहगाई भत्ता समेत 1600 रु. प्रतिमास से कम न ले रहे हैं। | 40 वर्ष | मागू नहीं | शृण्य |
| 5. व्यापक सहायक
प्रबंधक (लेखा) | प्रेड "क" 18 | रु. 700—1300 | चयन | 50% प्रोन्लिंग
50% सीधी भर्ती | प्रोन्लिंग:
वित्त और लेखा संवर्ग में सहायक प्रबंधक जिन्हें 650-1200 रुपये के वेतनमान में 3 वर्ष का ग्रनुभव है। | सीधी भर्ती
शैक्षिक ग्रन्हताएँ
इंस्टीट्यूट आ०क चार्टेंड एकाउटेंट्स या इंस्टीट्यूट आ०क कास्ट्स एड वर्स एकाउटेंट्स का सदस्य या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से वित्त या लेखा में विशेषज्ञता सहित वाणिज्य या कारबाहर प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में डिप्री और 4 वर्ष का ग्रनुभव जो मंहगाई भत्ता समेत 1300 रुपये प्रतिमास से कम नहीं से रहे हैं। | 30 वर्ष | मागू नहीं | शृण्य | |
| | | | | | | | | | | |

6. सहायक प्रबन्धक प्रेड 'क' 28 रु. 650—1200 चयन प्रोत्तिः 100% प्रोत्तिः
प्रबन्धक (सेवा) जिन्होंने 500-900 रुपये के बेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है। — लागू नहीं शून्य

7. लेखाकार प्रेड 'क' 151 रु. 500—900 — 50% प्रोत्तिः 50% सीधी भर्ती प्रोत्तिः सहायकों/कनिष्ठ अधीक्षकों में से जिन्होंने उस प्रेड में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है। — 30 वर्ष लागू नहीं शून्य

1. मुख्य सतकंता प्रेड 'क' 1 1800—2250 रु. चयन प्रतिनियुक्ति प्रधिकारी प्रतिनियुक्ति वी. काम, दी. ए. (कामसं) या चार्टेड एकाउटेंट या कास्ट तथा बड़स एकाउटेंट या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से एस. प. एस. लेखाकार और आवांगिक/वाणिज्य/विभागीय उप-त्रमों में लेखों के अनुसरण और लेखा परीक्षण का लगभग 3 वर्ष का अनुभव। — लागू नहीं शून्य

2. प्रबन्धक (सुरक्षा) प्रेड 'क' 1 1800—2250 रु. चयन प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस मेवा/सुरक्षा सेवाओं से उपयुक्त प्रधिकारी जिन्होंने उस पद पर कम से कम 6 वर्ष सेवा की है जिसका औन्तरग 1300 रुपये से कम नहीं है। — लागू नहीं शून्य

3. प्रबन्धक (कराटम प्रेड 'क' 1 1500—1800 रु. चयन बांडिंग) प्रतिनियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क विभाग से उपयुक्त प्रधिकारी जिन्हें सहायक कलबटर (सीमा शुल्क) के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है। — लागू नहीं शून्य

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| ४. सुरक्षा प्रधिकारी प्रेड'ब' | 2 | 700—1300 वि. चयन | प्रतिनियुक्ति प्राप्त्या प्रतिनियुक्ति: | सीब्री भर्ती द्वारा | पुलिस बल/सशहत बल से उपयुक्त प्रधिकारी जिह्वेने उरा वेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है जिसका व्यूनतम 550 रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान से उपयुक्त प्रधिकारी जिह्वे पर्यवेक्षक स्तर पर सुरक्षा मामलों के निवंहन का 5 वर्ष का अनुभव है। | शैक्षिक अर्हता : | विश्वविद्यालय डिग्री या समतुल्य। अनुभव : | 40 वर्ष में सुरक्षा मामलों के निवंहन में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं जिसका व्यूनतम 550 रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थान या वाणिज्य संगठन में पर्यवेक्षक स्तर पर 5 वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं | पूर्ण |

नोट :—स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट पदों संघा से 1-1-1986 को स्थिति के बारे में विविध दोषों को सम्बन्धित होता है और इसमें समय-समग्र परिवर्तन हो सकता है।

विश्वस्ता और गोपनीयता की घोषणा

परिचय 3

(देखें विनियम 11)

का निष्पादन और पालन करना जो नेत्रोंग भाष्टागार निगम के एक कर्मचारी के हृप में मृत्यु से अपेक्षित विए जाते हैं और जो उस निगम में मेरे द्वारा धारण किसी पड़ या स्थिति से संबंधित है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं युक्त निगम के कार्यकारी संबंधित कोई भी गूचना किसी व्यक्ति, जो उसका कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, को न तो प्रकट करना या प्रकट करने की अनुमति देंगा और न ही मैं ऐसे किसी व्यक्ति को निगम से वंशित या कर्जे में और निगम के कारोबार के दारों में किन्हीं गुसाओं या दस्तावेजों का निरीक्षण या उन तक पहुँचने की अनुमति देंगा।

इस्ताप्ति

इस्ताप्ति

पदनाम

तारीख

मेरे सामने हस्ताक्षर किए

तारीख

[स. के भा. नि. XIV-4/सा.]

वी. के. वार्ष सारस्वी कामिक प्रबन्धक

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
 (A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1986

No. CWC/XIV-4/Estd.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER—I

1. Short Title, Commencement and Application.—

(1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986.

(2) These shall come into force at once.

(3) These shall apply to all the employees of the Corporation and all persons employed by the Corporation on contract or on deputation in respect of all matters not regulated by the contract or by the terms of deputation, as the case may be.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Appendix" means an Appendix to these regulations;

(b) "Board of Directors" means the Board of Directors of the Corporation;

(c) "Corporation" means the Central Warehousing Corporation established under Section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962);

(d) "Disciplinary Authority" in relation to the imposition of a penalty on an employee means the authority competent under these Regulations to impose on him that penalty;

(e) "Employee" means a person who is in the whole-time service of the Corporation but does not include a person employed by the Corporation on daily wages;

(f) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Corporation;

(g) "General Manager" means the General Manager of the Corporation;

(h) "Joint Manager (Personnel)" means the Joint Manager (Personnel) of the Corporation at Head Office;

(i) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation;

(j) "Pay" means the amount drawn by an employee as pay, special pay, personnel pay and any other emoluments excluding allowances, which may be specifically classified as pay by the Board of Directors;

(k) "Personnel Manager" means the Personnel Manager of the Corporation.

(l) "Public Institution" means a body, incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government;

(m) "Regional Manager" means the Officer-in-charge of a Regional Office of the Corporation;

(n) "Regular Employee" means an employee who has been declared to have completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority;

(o) "Selection Committee" means a Committee appointed by the Board of Directors of the Corporation or the appointing authority for selecting persons for various posts in the Corporation and shall include Departmental Promotion Committee;

(p) "Temporary Employee" means an employee on probation on initial appointment;

3. Interpretation.—If any doubt or difficulty arises in interpreting these regulations or in giving effect to them or if any lacuna, inconsistency or anomaly is discovered in their applications, it shall be open to the Board of Directors to issue general instructions not inconsistent with the Act and the rules and regulations made hereunder or any instructions issued by the Government from time to time to the extent it is applicable to the Corporation for the purposes of removing such doubt, difficulty, lacuna, inconsistency or anomaly.

CHAPTER—II

GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

4. Classification of Posts.—The posts under the Corporation shall be classified as given below :—

Group—A : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1,300.

Group—B : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900 but less than Rs. 1,300.

Group—C : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290 but less than Rs. 900.

Group—D : Posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 290 or less.

Note :—The above classification is based on the existing scales of pay and shall correspondingly be revised on revision of pay scales.

5. Creation of Posts.—The Board of Directors shall, from time to time, determine the strength of staff under various categories required for carrying out its functions.

The following authorities shall be empowered to create new or additional posts in the Corporation.

| Authority | Category of post |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board of Directors | Any post below the Board of Directors level. |
| Managing Director | Any post in any Group the maximum pay of which does not exceed Rs. 1600 per month subject to the norms and guidelines laid down by the Board of Directors from time to time. |

6. Appointing Authority.—The authorities competent to make appointments to the categories of posts indicated in column 2 of the Appendix-I will be those specified in the corresponding entries in column 3 of that Appendix.

7. General conditions relating to Appointment.—The following general conditions shall apply to all appointments to the service of the Corporation :—

- (a) No person shall be eligible for initial appointment unless he has attained the age of 18 years.
- (b) A candidate for appointment in the service of the Corporation shall be :
 - (i) a citizen of India, or
 - (ii) a subject of Nepal, or
 - (iii) a subject of Bhutan, or
 - (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or
 - (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government.

- (c) A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview and may also be appointed provisionally subject to the necessary certificate being given to him by the Government.
- (d) No person shall be initially appointed unless he has been certified by a qualified registered medical practitioner approved by

the appointing authority to be of sound constitution and medically fit to discharge his duties.

Explanation : Unless the appointing authority otherwise directs, the application of this provision shall be limited to regular appointments by direct recruitment.

- (e) No person shall be eligible for appointment who has previously been dismissed, or compulsorily retired from the service of the Corporation, a State Government, the Central Government or any Public Sector Undertaking.
- (f) No person shall be eligible for appointment who has been convicted in a court of law for any offence involving moral turpitude.
- (g) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment in the service of the Corporation :

Provided that the Managing Director may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- (h) Without prejudice to the generality of the provisions of clauses (d), (e), (f) and (g), no person shall be appointed unless the appointing authority is satisfied that the person is fit for appointment in all respects.

8. Mode of Appointment.—(1) Regular appointments in the service of the Corporation can only be made to the posts specified in Appendix-II sanctioned for a period of not less than one year and shall be made;

- (a) in accordance with any of the modes specified against each in the said Appendix-II
- (b) by permanent absorption of deputationists in the service of the Corporation.

(2) Where any qualification, or age limits, have been specified in the said Appendix-II in respect of any post with reference to any mode of appointment thereto, only persons satisfying such qualifications and within the age limits so specified shall be appointed to that category through such mode :

Provided that the Board may relax, by order, any of the provisions of the recruitment rules contained in Appendix-II for a class or category of persons, if in their opinion it is necessary or expedient so to do.

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations and subject to instructions of the Central

Government issued from time to time, appointments may be made to any post in the Corporation;

- (a) by deputation of suitable officers from the Central Government or from any State Government or from any public sector undertaking or with the prior approval of the Board of Directors from any private sector undertaking for an initial period of three years;
- (b) by re-employment of personnel superannuated from service of the Central or any State Government or of the Corporation for a period not exceeding two years : such re-employment being sanctioned by an authority not lower in rank than the Board of Directors, and with the approval of the Central Government;
- (c) on a purely temporary basis for a period not exceeding one year;
- (d) on special contract subject to such terms and conditions as may be decided by the Board of Directors.

9. Procedure for Recruitment and Promotion.—

(A) Procedure for direct recruitment :

- (i) Direct recruitment shall be regulated by the general instructions issued by the Board of Director from time to time.
- (ii) Selected candidates shall be required before appointment to submit themselves to a medical test by a qualified medical practitioner approved in this behalf by the appointing authority. The fee payable for the medical test shall be borne by the Corporation.

(B) Procedure for promotion :

- (i) Promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in respect of non-selection posts indicated in Appendix-II.
- (ii) Promotion in respect of selection posts indicated in Appendix-II, shall be made on the basis of merit, seniority being considered only when the merit of contending candidates is the same.
- (iii) All promotions shall be considered by a Selection Committee duly constituted for this purpose and shall be regulated by the general instructions to be issued by the Board of Directors, in regard to the field of choice of candidates, the size of the panel and the validity of the panel.

(C) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in services under the Corporation :

In making appointments in the services of the Corporation, reservations, relaxation of age limits and other concessions would be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other

categories of persons as directed by the Central Government from time to time. The Managing Director may issue detailed administrative instructions accordingly.

10. Probation :

- (i) Every person regularly appointed to any post either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a minimum period of one year from the date of assumption of charge.
- (ii) The Appointing Authority may, in its discretion, extend the period of probation upto a further period not exceeding one year.
- (iii) During the period of probation, an employee directly recruited shall be liable to be discharged from the service without assigning any reason by giving him a notice of one month or pay in lieu thereof. A departmental candidate appointed to any higher post through direct recruitment shall during the period of probation be liable to be reverted to the original post held by him prior to such appointment, without any notice and without assigning any reason.
- (iv) During the period of probation, an employee promoted to a higher post from a lower post shall be liable to be reverted to the lower post without notice and without assigning any reason.
- (v) Where an employee has rendered continuous temporary or officiating or ad-hoc service or continuous service in the post on deputation immediately preceding his regular appointment to such post, the period of service so rendered, may be counted against the period of probation if the appointing authority so directs. This will, however, not affect the seniority which will be governed by the normal rules of seniority in the grade.

11. Declaration of fidelity and secrecy.—Every person on first appointment to service of the Corporation shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form at Appendix-III. Such declaration shall be made by him before the Officer to whom he reports for duty and it shall be duly countersigned.

12. Liability for Service.—A person recruited to any post under the Corporation shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Training.—All employees are liable to undergo such training for such period and undertake such examinations as may be prescribed by the Corporation from time to time.

14. Seniority.—Seniority of the employees appointed in the Corporation shall be determined as follows :—

- (i) The relative seniority of direct recruits will be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment. When two or more candidates are

declared to be of equal merit at one and the same selection, their relative seniority will be determined by the date of birth the older candidate being the senior. Persons appointed as a result of earlier selection shall rank senior to those appointed as a result of subsequent selection.

- (ii) In categories of post partially filled by direct recruitment and partially by promotion, criteria for determination of seniority shall be the order in which the select list has been drawn by the Selection Committee for promotion in the case of promotees and the order of merit drawn by the Selection Committee for appointment in the case of direct recruits subject to maintenance of inter-se seniority of promotees and direct recruits among themselves. In determining the seniority, the promotee shall be placed over the direct recruit in the ratio in which the recruitment is made.
- (iii) Seniority for all Group 'D' posts and posts of Warehouse Assistant Grade-II in Group 'C' shall be maintained on Regional basis.

Explanation : For the purposes of paragraph (iii), Head Office of the Corporation shall be deemed to be a separate Region.

15. Seniority on Promotion.—Candidates selected for promotion at an earlier selection shall be senior to those selected later irrespective of the dates of joining. If a promotion order contains names of more than one person, their seniority shall be according to the merit list drawn by the Selection Committee in accordance with the relevant promotion rules.

16. Seniority on Transfer.—Seniority of employees on post having regional seniority if transferred from one region of the Corporation to the other region, in the interest of the Corporation will be regulated with reference to the date of promotion/appointment to the grade as the case may be. If, however, the transfer is at request of the employee seniority will be fixed below those in the relevant grade in the new region irrespective of length of service of the transferred employee in the grade.

17. Seniority on reduction as penalty.—(i) The seniority of an employee whose pay is reduced in the same time scale as a result of disciplinary action will not be affected by such order.

(ii) The seniority of an employee who is reduced to a lower grade or post as a result of disciplinary action and the period of such reduction is not specified in the order imposing the penalty shall be lost entirely. Such employee shall be required to render prescribed qualifying service in the reduced grade/post for being eligible for consideration for re-promotion. On re-promotion the seniority of such an employee shall be determined by the date of re-promotion without regard to the service rendered by him

in such service/grade prior to his reduction. Where the penalty of reduction to a lower grade or post or lower time scale is for specified period the employee concerned shall be re-promoted automatically to the post from which he was reduced and the seniority in the original grade or post or time scale shall be fixed at which it would have been but for his reduction.

- 18. Seniority of deputationists—on absorption.—(i) Seniority of deputationist absorbed in the same grade in which he was originally appointed on deputation shall count from the date of his original appointment on deputation in that grade in the Corporation.
 - (ii) Seniority of the deputationist on absorption vis-a-vis those directly recruited or promoted in the same grade will be decided based on the date of appointment to the grade. When the date of order of appointment in the case of direct recruits, promotees and the date of absorption in the case of deputationists happens to be the same, the deputationists will be placed above the direct recruits but below the promotees subject to inter-se seniority of direct recruits, drawn at the time of selection.
 - 19. Resignation.—(i) No employee shall resign from the service of the Corporation except by giving due notice in writing which shall be three months in the case of regular employee and one month in case of person on probation. A regular employee holding a higher post on probation either on promotion or on appointment against direct recruitment shall also be required to give three months' notice :
- Provided that it shall be open to appointing authority to waive such notice period.
- (ii) Resignation may be accepted by appointing authority with immediate effect or at any time before the expiry of the period of notice.
 - (iii) No employee who has submitted his resignation shall be allowed to withdraw it except with the prior approval of the Managing Director.
 - (iv) Resignation submitted by an employee will become effective only when it is accepted and the employee is relieved of his duties.
 - (v) An employee leaving the service of the Corporation without giving a proper notice and without acceptance of his resignation by the management and without being formally relieved of his duties shall be liable to disciplinary action under these Regulations.
 - (vi) An employee who is under bond to serve the Corporation for a specified period shall, in addition to the notice period, compensate

the Corporation by an amount as specified under the Surety Bond:

Provided that the Managing Director may, by an order in writing, waive wholly or in part, the requirement of such compensation or direct otherwise, depending on the merits of each case.

20. Termination of service and discharge.—(i) Except as may be specifically provided in the contract of service, the Corporation may at any time discharge an employee or terminate the service of an employee by giving the following notice or by payment of pay and allowances in lieu of such notice :—

| Category of employee— | Period of notice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (a) Regular employee | Three months |
| (b) Temporary employee | One month |
| (ii) The service of an employee may also be terminated by the Corporation on the following grounds among others :— | |
| (a) on abolition of the post ; | |
| (b) on being declared unfit for further service on medical grounds ; | |
| (c) insolvency ; | |
| (d) Conviction by a Court of Law for criminal offence amounting to moral turpitude ; | |
| (e) engaging himself in any other employment without the written permission of the management or found to have been working elsewhere during the period of leave of duty ; | |
| (f) loss of confidence by the Corporation in an employee holding position of trust or confidence or by virtue of his nature of duties ; | |
| (g) absence of an employee on grounds of sickness for a continuous period of more than 24 months if suffering from tuberculosis, leprosy, mental or malignant diseases or fracture of lower/upper extremity ; | |
| (h) unauthorised absence for a period exceeding one month without written permission of the competent authority to grant leave. | |

21. Superannuation and retirement.—(i) Every employee appointed to the service of the Corporation shall retire on the last day of the month in which he/she attains the age of 58 years :

Provided that an employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 58 years.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in the interest of the Corporation to do so, have the absolute right to retire a Group A, B, C and D employee if he has attained the age of 50 years by giving him a notice of not less than three clear months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice :

Provided that an employee belonging to the above Groups may, by giving a notice of not less than three clear months in writing to the appointing authority, voluntarily retire from the service of the Corporation after he has attained the age of 50 years.

Explanation 1.—Notice given under Sub-Regulation (ii) shall require acceptance by the appointing authority provided that in the absence of any refusal of permission for voluntary retirement, the same shall become effective from the date of the expiry of the period of notice.

Explanation 2.—An employee who has elected to voluntarily retire and has given a notice under sub-regulation (ii) shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of the appointing authority.

- (iii) Nothing contained in clauses (i) and (ii) above shall effect the right of the competent authority to retire an employee with due notice or pay in lieu thereof on his being certified by a Medical Examiner to be nominated for the purpose by such authority as being incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.
- (iv) An employee may be permitted to retire on his own request on the appointing authority being satisfied that such an employee is incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.

CHAPTER—III

22. Scales of Pay.—(i) The scales of pay applicable to various categories of posts in the Corporation are as indicated in column 4 in Appendix-II.
- (ii) The powers to revise the scales of pay of various posts in the Corporation shall be exercised by the Board of Directors with the prior approval of the Central Government :

Provident that the pay and allowances of an employee on deputation shall be regulated in accordance with such terms and conditions of foreign service as may be mutually decided between the Corporation and the lending organisation.

23. (i) Dearness Allowance.—Unless otherwise stipulated in the terms and conditions of employment, every employee shall be entitled to Industrial Dearness Allowances at the rates as determined by the Central Government on the basis of All India Consumer Price-Index published by the Labour Bureau in the Ministry of Labour, Government of India, 1960=100 series or such other series as may be prescribed by the Government.

(ii) Other Allowances.—The Corporation may, with the prior approval of the Board of Directors, prescribe from time to time the kinds of any other allowances and the terms and conditions on which such allowances may be granted. For the purposes of regulating payment of House Rent Allowance and City Compensatory Allowances, the classification of cities and towns shall be the same as notified by the Central Government for its employees for this purpose from time to time.

Provided that the powers vested in the Board of Directors in respect of this Regulation shall be exercised by the Board of Directors subject to such directives, guidelines and instructions as may be issued by the Central Government from time to time.

24. Pay on Initial Appointment.—The initial basic pay of an employee newly appointed to a post under the Corporation shall be fixed at the minimum of the time scale of the post to which he is appointed except in the following cases :—

- (i) Pay of departmental candidates selected for higher posts against open advertisement will be fixed as on promotion.
- (ii) In the case of emergency commissioned, short service commissioned officers and other category of employees for which special orders are issued by the Central Government the same shall be kept in view while fixing the pay of such employee in the Corporation's scale of pay.
- (iii) In the case of persons who are already in employment with the Central Government or a State Government or a Public Institution, pay on appointment to a post under the Corporation will be fixed at the stage in the scale so that total emoluments (comprising pay and Dearness Allowance) last drawn in the previous employment are protected and if there is no corresponding stage in the scale, at the next higher stage.
- (iv) Higher pay not exceeding five increments in the scale applicable to the post, as may

be recommended by the Selection Committee in deserving cases and accepted by the appointing authority, may be allowed on initial appointment. However, in exceptional circumstances and on merits more than five increments can be allowed with the prior approval of the Board of Directors.

25. Pay on Promotion.—(i) Where an employee is promoted to a higher post or grade, his initial pay in the new time scale shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay has accrued, in case this happens to be lower than the minimum of the higher scale.

(ii) Where an employee immediately before his promotion was drawing pay at the maximum of the time scale of the lower post, his initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in the lower post by an amount equal to the last increment of the time scale of the lower post.

(iii) If an employee is drawing pay at a stage where the increment is biennial, the benefit of notional increment will be given only if the service rendered in that stage is for one year or more.

(iv) If an employee had previously officiated for or has been promoted on ad hoc basic to a higher scale, the initial pay fixed on re-promotion at the same scale or another post having an identical scale of pay will not be less than that drawn on the last occasion in the higher scale and the period (s) for which it had been drawn shall count for the purpose of drawal of annual increment in the higher scale.

(v) Where an employee is specifically required by the competent authority to hold charge of a higher post in addition to his own duties, he shall not be deemed to have been promoted to that higher post and shall not be eligible for benefit of pay fixation as on promotion. He shall, however, be eligible to draw charge allowance in accordance with the instructions issued by the Board of Directors from time to time.

26. Treatment of Special Pay/Charge Allowance/ Personal pay on promotion.—(i) Special pay shall be ignored for purposes of fixation of pay in the higher grade unless it has been continuously drawn for a period of three years or it is allowed in lieu of higher grade.

(ii) Charge allowance shall not count for purposes of fixation of pay on promotion.

- (iii) Personal Pay wherever applicable shall be protected in accordance with the conditions attached to it.
27. Pay Fixation on Reversion.—The pay of an employee reverted from a higher grade, a post to a lower grade or post shall be fixed in the lower grade in such a manner that he does not draw less than what he should have drawn had he continued in the lower scale but for his promotion to the higher scale.
28. Pay Fixation of Deputationists.—The pay of a deputationist shall be regulated in accordance with his terms of deputation as mutually agreed upon between the Lending authority and the Corporation subject to the condition that in no case the benefit accruing to a deputationist shall exceed the limits prescribed by the Central Government in this regard, from time to time.
29. Increment.—(i) Increments in the time scale of a post to which a person is appointed shall be drawn as a matter of course except where such increments have been withheld as a result of penalty imposed under these regulations.
- (ii) All increments shall fall due on the preceding 1st day of January of every year in case of those employees whose actual increment dates fall between 1st January and 30th June and all increments shall fall due on the preceding 1st day of July of every year in case of those employees whose actual increment dates fall due between 1st July and 31st December.
- (iii) In the case of employees who are on probation no increment shall be allowed during the period of probation. The first increment shall be allowed to be drawn with effect from the first of the month in which the probation is completed or twelve months are completed, whichever is later. Where the period of probation is extended no increment shall be allowed till the probation is successfully completed, and on such completion the first increment shall be granted with retrospective effect from the first of the month in which the initial period of probation has come to an end or twelve months are completed, whichever is later, although no arrears will be paid for the extended period of probation upto the first of the month in which it is completed. Subsequent increment shall be regulated in accordance with the provisions of sub-regulation (ii).
- (iv) An employee in Group 'B' or 'C' or 'D' who has been stagnating or put at the maximum of the scale of his pay for two years or more may be granted an adhoc increment equivalent to the rate of increment last drawn by him in his existing
- scale. An employee against whom a disciplinary case is pending shall not be granted such increment till the finalization of disciplinary proceedings started against him.
30. Counting of Service for the Purpose of Increment.—(i) All duty in a post in a time scale shall count for increment in that time scale.
- (ii) All services in the Corporation in equivalent or higher posts shall count for increment.
- (iii) All leave, except extra-ordinary leave taken otherwise than on the ground of sickness supported by a medical certificate, shall count for increment in the time scale applicable to the post in which the employee was working at the time he proceeded on leave :
- Provided that the Managing Director may, if he is satisfied that the extra-ordinary leave was taken for any cause beyond the employee's control or for prosecuting higher scientific and technical studies, may direct that such extra-ordinary leave shall also be counted for increment.
- (iv) All foreign service shall count for increment in the time scale applicable to the post in the Corporation which the employee was holding before his transfer on foreign service.
31. Leave.—Every employee shall be governed in the matter of leave by the provisions contained in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.
32. Casual Leave.—(i) An employee shall be eligible for casual leave to the extent of twelve days on full pay in a year.
- (ii) Not more than eight days' casual leave will normally be granted at a time.
- (iii) Casual leave shall not be combined with any other leave.
- (iv) Sundays and holidays preceding or following or occurring during the period of casual leave shall be omitted in calculating the period of casual leave availed of.
33. Authority To Grant Leave.—The Board of Directors may, from time to time, specify the competent authority for grant of various kinds of leave for classes of employees.
34. Joining time on transfer and pay during joining time.—Every employee on transfer from one station to another shall be entitled to such joining time and to such pay during the period of joining as per provisions contained in Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, as amended from time to time.
35. Travelling Allowance on Tour and Transfer.—The Board of Directors may prescribe from time to

time the rates at which and the conditions subject to which travelling allowance may be paid to the employees in connection with journeys undertaken by them on tour or transfer in the service of the Corporation.

36. Leave Travel Concession Encashment.—Encashment of Leave Travel Concession shall be admissible to the employees of the Corporation on the basis of the guidelines laid down by the Central Government from time to time.

37. Gratuity.—(i) The employees of the Corporation shall be governed by the provisions contained in the Payment of Gratuity Act, 1972, as amended from time to time.

(ii) Such of the employees who do not come within the purview of the said Act, shall be governed by the Central Warehousing Corporation Death-cum-Retirement Gratuity Scheme and the guidelines issued by the Central Government in this regard, from time to time.

38. Deputation of Employee of the Corporation to other organisations.—Employees of the Corporation may be sent on deputation to the Central Government, a State Government or a Public Institution with the approval of the Managing Director and subject to such instructions as may be issued by the Board of Directors from time to time. The deputation of such employees shall be governed by the terms to be mutually agreed upon between the Corporation and the borrowing authority.

CHAPTER—IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL

39. General.—(i) Every employee of the Corporation shall at all times :

- (a) maintain absolute integrity;
- (b) maintain devotion to duty; and
- (c) do nothing which is unbecoming of a public servant.

(ii) Every employee of the Corporation holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees working under his control and authority.

40. Misconduct.—Without prejudice to the generality of the term 'misconduct', the following acts of omission shall be treated as misconduct :—

- (i) Theft, fraud or dishonesty in connection with the business or property of the Corporation or of property of another person within the premises of the Corporation.
- (ii) Taking or giving bribes or any illegal gratification.
- (iii) Possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known source of income by the employee or on his behalf by another person, which the employee cannot satisfactorily account for.

- (iv) Furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment.
- (v) Acting in a manner prejudicial to the interests of the Corporation.
- (vi) Wilful insubordination or disobedience whether or not in combination with others or any lawful and reasonable order of superior.
- (vii) Absence without leave or overstaying the sanctioned leave for more than four consecutive days without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation.
- (viii) Habitual late or irregular attendance.
- (ix) Neglect of work or negligence in the performance of duty including malingering or slowing down of work.
- (x) Damage to any property of the Corporation.
- (xi) Interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the Corporation.
- (xii) Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the Corporation or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment.
- (xiii) Gambling within the premises of the establishment.
- (xiv) Smoking within the premises of the establishment where it is prohibited.
- (xv) Collection without the permission of the competent authority of any money within the premises of the Corporation except as sanctioned by any law of the land for the time being in force or rules of the Corporation.
- (xvi) Sleeping while on duty.
- (xvii) Commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude.
- (xviii) Absence from the employee's appointed place of work without permission or sufficient cause.
- (xix) Purchasing properties, machinery, stores, etc. from or selling properties, machinery, stores, etc. to the Corporation without express permission in writing from the competent authority.
- (xx) Commission of any act subversive of discipline or good behaviour.
- (xxi) Abetment of or attempt at abetment of any act which amounts to misconduct.

Note : The above instances of misconduct are illustrative in nature and are not exhaustive.

41. Employment of near relatives of the Employees of the Corporation in any Company or Firm enjoying patronage of the Corporation.—(i) No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any person related, whether by blood or marriage, to the employees or to the employee's wife or husband, whether such a person is dependent on the employee or not.

(ii) No employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority permit his son, daughter or any member of the family to accept employment with any company or firm with which he has official dealings, or with any company or firm, having official dealings with the Corporation :

Provided that where the acceptance of the employment cannot await the prior permission of the competent authority, the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the competent authority, to whom the matter shall be reported forthwith.

(iii) No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other matter and the employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or the contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

42. Taking part in Demonstration.—No employee of the Corporation shall engage himself or participate in any demonstration which involves incitement to an offence.

43. Connection with Press or Radio.—(i) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication.

(ii) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority or the prescribed authority, or in the bona fide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person to any newspaper or periodical :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

44. Criticism of Government and the Corporation.—No employee shall, in any radio broadcast or in any document published under his name or in the name of any other person or in any communication to the press, or any public utterances, make any statement which :

(a) has the effect of adverse criticism of any policy or action of the Central or a State Government, or of the Corporation ;

(b) is capable of embarrassing the relations between the Corporation, Government and the public :

Provided that nothing in these Regulations shall apply to any statement made or views expressed by an employee of purely factual nature and which is of a confidential nature in his official capacity or in due performance of the duties assigned to him :

Provided further that nothing contained in this regulation shall apply to bonafide expression of views by him as an office bearer of a registered trade union for the purpose of safeguarding the conditions of service of such employees or for securing an improvement thereof.

45. Evidence before committee or any other authority.—(i) Save as provided in sub-regulation (iii) no employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of competent authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(ii) Where any sanction has been accorded under sub-regulation (i), no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government or of the Corporation.

(iii) Nothing in this regulation shall apply to —

(a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Government, Parliament or a State legislature or the Corporation.

(b) evidence given in any judicial enquiry, or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities subordinate to the Corporation.

46. Unauthorised Communication of Information.—

(i) No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Corporation or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof to any officer or other employee, or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

47. Gifts.—(i) Save as otherwise provided in these regulations, no employee of the Corporation shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf, to accept any gift.

Explanation : The expression "gift" shall include free transport, board, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend

having no official dealings with the employee.

Note : An employee of the Corporation shall avoid acceptance of lavish or frequent hospitality from any individual or firm having official dealings with him.

(ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, an employee of the Corporation may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the competent authority if the value of the gift exceeds Rs. 500/-.

(iii) On such occasions as are specified in sub-regulation (ii) an employee of the Corporation may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the competent authority if the value of any such gift exceeds Rs. 250/-.

(iv) In any other case, an employee of the Corporation shall not accept or permit any other member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift without the sanction of the competent authority if the value thereof exceeds Rs. 250/- :

Provided that when more than one gift has been received from the same person or firm within a period of 12 months, the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value of the gifts exceed Rs. 250/-.

48. No Employee of the Corporation shall.—(i) give or take or abet the giving or taking of dowry ; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation : For the purpose of this regulation 'Dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

49. Private trade or Employment.—(i) No employee of the Corporation shall except with the previous sanction of the competent authority, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that an employee may without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of literary, artistic or scientific character subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.

(ii) Every employee of the Corporation shall report to the competent authority if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(iii) No employee of the Corporation shall, without the previous sanction of the competent authority except in the discharge of his official duty, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (I of 1956) or

any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes :

Provided that an employee of the Corporation may take part in the registration, promotion or management of a consumer or a house building co-operative society substantially for the benefit of employees of the Corporation registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

(iv) No employee of the Corporation may accept any fee or any pecuniary advantage for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.

50. Investment, Lending and Borrowing.—No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank, the Life Insurance Corporation of India or a firm of standing, borrow money from or lend money to or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person with whom he has or is likely to have official dealings or permit any such borrowing, lending or pecuniary obligation in his name or for his benefit or for the benefit of any member of his family.

51. Insolvency and Habitual Indebtedness.—(i) An employee of the Corporation shall avoid habitual indebtedness unless he proves that such indebtedness or insolvency is the result of circumstances beyond his control and does not proceed from extravagance or dissipation.

(ii) An employee of the Corporation who applies to be, or is adjudged or declared insolvent shall forthwith report the fact to his competent authority.

52. Movable, Immovable and Valuable Property.—(i) No employee of the Corporation shall, except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

(ii) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority, enter into any transaction concerning any immovable or movable property with a person or a firm having official dealings with the employee or his subordinate.

(iii) Every employee of the Corporation shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him in his own name or in the name of a member of his family if the value of such property exceeds Rs. 2,500.

(iv) Every employee shall on first appointment in the Corporation submit a return of assets and liabilities in the prescribed form giving the particulars regarding :

(a) the immovable property inherited by him or owned or acquired by him, held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

- (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned acquired or held by him;
 - (c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him if the value of such property exceeds Rs. 2,500/-;
 - (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;
 - (e) every employee shall beginning 1st January, submit a return of immovable property inherited, owned or acquired every year.
- (v) The competent authority may, at any time by general or special order, require an employee to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall if so required by the competent authority include details of the means by which or the source from which such property was acquired:

53. Canvassing of non official or other Influence.—No employee shall bring or attempt to bring any outside influence to bear upon any Superior Authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Corporation.

54. Restriction Regarding Marriage.—(i) No employee shall enter into or contract a marriage with a person having a spouse living; and

(ii) No employee, having a spouse living, shall enter into or contract a marriage with any person :

Provided that the Board of Directors may permit an employee to enter into or contract any such marriage as is referred to in sub-regulation (i) or sub-regulation (ii) above if it is satisfied that :—

- (a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and
- (b) there are other grounds for so doing.

(iii) An employee who has married or marries a person other than that of Indian nationality, shall forthwith intimate the fact to the Corporation.

55. Consumption of Intoxicating Drinks and Drugs.—An employee of the Corporation shall take due care that the performance of his duties is not affected in any way by the influence of any intoxicating drinks or drug.

56. Suspension.—(i) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any authority empowered in that behalf by the management by general or special order may place an employee under suspension :—

- (a) where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.

(ii) An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention, by an order of the appointing authority, and shall remain under suspension until further orders.

(iii) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal and shall remain in force until further orders.

(iv) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on consideration of the circumstances of the case, decided to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal or removal and shall continue to remain under suspension until further orders.

(v) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

57. Subsistence Allowance.—An employee under suspension shall be entitled to draw subsistence allowance equal to 50 per cent of his basic pay provided that the disciplinary authority is satisfied that the employee is not engaged in any other employment or business or profession or vocation. In addition, he shall be entitled to Dearness allowance admissible on such subsistence allowance and any other compensatory allowance of which he was in receipt on the date of suspension provided the suspending authority is satisfied that the employee continues to meet the expenditure for which such compensatory allowance was granted.

(ii) Where the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :—

- (a) the amount of subsistence allowance may be increased to 75 per cent of basic pay and allowances thereon if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the employee under suspension.
- (b) the amount of subsistence allowance may be reduced to 25 per cent of basic pay and allowance thereon if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to the reasons to be

recorded in writing, directly attributable to the employee under suspension.

58. Treatment of the period of suspension.—(i) When the employee under suspension is reinstated, the competent authority may grant to him the following pay and allowances for the period of suspension:

- (a) If the employee is not awarded any of the penalties mentioned in regulation 59 the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the subsistence allowance already paid to him; and
- (b) if otherwise, such proportion of pay and allowances as the competent authority may prescribe.
- (ii) In cases falling under sub-clause (a), the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In cases falling under sub-clause (b), it will not be treated as a period spent on duty unless the Competent authority so directs.

59. Penalties.—The following penalties may be imposed on an employee as hereinafter provided for misconduct committed by him or for any other good and sufficient reason.

Minor Penalties :

- (a) Censure;
- (b) with-holding of increments of pay with or without cumulative effect;
- (c) with-holding of promotion;
- (d) recovery from pay of such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation by negligence or breach of orders.

Major Penalties :

- (e) Reduction to a lower grade or post or to a lower stage in a time scale;
- (f) compulsory retirement;
- (g) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.
- (h) dismissal.

Explanation : The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation :—

- (i) With-holding of increment of an employee on account of his work being found unsatisfactory or not being of the required standard or for failure to pass a prescribed test or examination;
- (ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in a time scale on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee to a higher post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;

- (iv) reversion to a lower grade or post of an employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered after trial to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;
- (v) reversion to his previous grade or post of an employee appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment;
- (vi) termination of services
 - (a) of an employee appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment;
 - (b) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment;
 - (c) of an employee appointed under a contract or agreement in accordance with the terms of such contract or agreement; and
 - (d) of an employee on reduction of establishment.

60. Disciplinary Authority.—The disciplinary authority as specified in the Appendix-I or any authority higher than it may impose any of the penalties specified in regulation 59 on any employee.

61. Procedure for Imposing Major Penalties.—(i) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 59 shall be made except after an inquiry is held in accordance with this regulation.

(ii) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself enquire into, or appoint any public servant (hereinafter called the inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

(iii) Where it is proposed to hold an inquiry, the disciplinary authority shall frame definite charges on the basis of the allegations against the employee. The charges together with a statement of the allegations on which they are based, a list of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained shall be communicated in writing to the employee who shall be required to submit within such time, not exceeding 15 days, as may be specified by the disciplinary authority a written statement whether he admits or denies any or all of the article of charges.

Explanation :—It will not be necessary to show the documents listed with the charge-sheet or any other document to the employee at this stage.

(iv) On receipt of the written statement of the employee or if no such statement is received within the time specified, an enquiry may be held by the disciplinary authority itself, or by any other public servant appointed as an inquiry authority under sub-clause (ii) :

Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the charges admitted by the employee in his written statement. The disciplinary authority shall, however, record its findings on each such charge.

(v) Where the disciplinary authority itself inquires or appoints an inquiring authority for holding an inquiry, it may, by an order, appoint any employee of the Corporation or a public servant to be known as the Presenting Officer to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(vi) The employees may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner.

(vii) On the date fixed by the inquiring authority, the employee shall appear before the inquiring authority at the time, place and date specified in the notice. The inquiring authority shall ask the employee whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee concerned thereon. The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.

(viii) If the employee does not plead guilty, the inquiring authority shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days after recording an order that the employee may, for the purpose prepare his defence,—

- (a) inspect the documents listed with the charge-sheet ;
- (b) submit a list of additional documents and witnesses that he wants to examine ; and
- (c) ask for and be supplied with the copies of the statements of witnesses, if any, listed in the charge-sheet.

Note : Relevancy of the additional documents and the witnesses referred to in regulation viii(b) above will have to be explained by the employee concerned and the documents and the witnesses shall be summoned if the inquiring authority is satisfied about their relevance to the charges under inquiry.

(ix) The inquiring authority shall ask the authority in whose custody or possession the documents are kept for the production of the documents on such date as may be specified.

(x) The authority in whose custody or possession the requisitioned documents are shall arrange to produce the same before the inquiring authority on

the date, place and time specified in the requisition notice :

Provided that the authority having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interest of the Corporation. In that event, he shall inform the inquiring authority accordingly.

(xi) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(xii) Before the close of the prosecution case, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case, the employee shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record or to cross-examine a witness, who has been so summoned.

(xiii) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee may be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any appointed.

(xiv) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provision applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(xv) The inquiring authority may after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(xvi) After the completion of the production of the evidence, the employee and the Presenting Officer may file written briefs of their respective cases within 15 days of the date of completion of the production of evidence.

(xvii) If the employee does not submit the written statement of defence referred to in sub-regulation (iii) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person or through

the Assisting Officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the inquiring authority may hold the enquiry ex parte.

(xviii) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross examine and re-examine any such witness as hereinbefore provided.

(xix) (1) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

- (a) a gist of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) a gist of the defence of the employee in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation : If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(2) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include:—

- (a) the report of the enquiry prepared by it under sub-regulation (i);
- (b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee referred to in sub-regulation (xiii);
- (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
- (d) written briefs referred to in sub-regulation (xvi), if any; and
- (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

62. Action on the Inquiry Report.—(i) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority, may, for reasons, to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for fresh or further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of regulation 61 as far as may be practicable.

(ii) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(iii) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in regulation 59 should be imposed on the employee, he shall notwithstanding anything contained in regulation 63, make an order imposing such penalty.

(iv) If the disciplinary authority having regard to his finding on all or any of the article of charge, is of the opinion that no penalty is called for, he may pass an order exonerating the employee concerned.

63. Procedure for Imposing Minor Penalties.—(i) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clause (a) to (d) of regulation 59, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of misconduct or misbehaviour against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days. The defence statement, if any, submitted by the employee shall be taken into consideration by the disciplinary authority before passing orders.

(ii) The record of the proceedings shall include:—

- (a) a copy of the statement of imputations of mis-conduct or misbehaviour delivered to the employee;
- (b) his defence statement, if any, and
- (c) the orders of the disciplinary authority together with the reason thereof.

64. Communication of Orders.—Orders made by the disciplinary authority under regulation 61, 62 or 63 shall be communicated to the employee concerned who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.

65. Common Proceedings.—Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common proceedings and the specified authority may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings.

66. Special Procedure in Certain Cases.—Notwithstanding anything contained in regulation 61, 62 or 63, the disciplinary authority may impose any

of the penalties specified in regulation 59 under any of the following circumstances :—

- (i) the employee has been convicted on a criminal charge, or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial; or
- (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an enquiry in the manner provided in these regulations;

67. Employees on Deputation from the Central Government or the State Government.—(i) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an employee who is on deputation to the Corporation from the Central or State Government or another public undertaking or a local authority, the authority lending his services (hereinafter referred to as the "Lending Authority") shall forthwith be informed of the circumstances lending to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(ii) In the light of the findings of the disciplinary proceedings taken against the employee :—

- (a) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the minor penalties should be imposed on him, he may pass such orders on the case as he deems necessary after consultation with the Lending Authority;

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority.

- (b) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it should place his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary.

- (iii) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under sub-regulation (ii)(a), it will be disposed of after consultation with the Lending Authority :

Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it deems necessary.

68. Appeals.—(i) An employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 59. The appeal shall lie to the authority specified in Appendix-I.

(ii) An appeal shall be preferred within one month from the date of communication of the order appealed against. The appeal shall be addressed to appellate authority specified in Appendix-I and submitted to the authority whose order is appealed against. The authority whose order is appealed against shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the appellate authority within fifteen days. The appellate authority shall consider whether the findings, are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months of the date of appeal. The appellate authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 59 and an inquiry as provided in regulation 61 has not already been held in the case, the appellate authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 61 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in regulation 61, the appellate authority shall give a show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The Appellate Authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee.

69. Review.—Notwithstanding anything contained in these regulations, the reviewing authority as specified in the Appendix-I may call for the records of the case within six months of the date of the final order and after reviewing the case pass such orders thereon as it may deem fit.

Provided that if the enhanced penalty which the reviewing authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 59 and an inquiry as provided under regulation 61 has not already been held in the case, the reviewing authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 61 and thereafter, consider the record of the inquiry and pass such order as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 61, the reviewing authority shall issue show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The reviewing authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee.

70. Service of Orders, Notices, etc.—Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address.

71. Power to relax time limit and condone delay.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

72. Repeal and Saving.—(i) The Central Ware-

housing Corporation (Staff) Regulations, 1966 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulations so repealed shall in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

APPENDIX-I

Competent Authorities for Appointment; Disciplinary Action and Appeals/Review

(See Regulations 6, 60, 68 and 69)

| S.
No. | Posts | Appointing
Authority | Authority competent
to impose penalties | | Appellate Authority | Reviewing Authority |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Authority | Penalty | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Group 'D' | | | | | | |
| | (a) Regional Offices | Regional Manager | Regional Manager | all | Secretary | General Manager |
| | (b) Head Office | Joint Manager
(Personnel) | Joint Manager
(Personnel) | all | Secretary | General Manager |
| 2. Group 'C' | | | | | | |
| | (i) Warehouse Assistant
Grade-II | | | | | |
| | (a) Regional Offices | Regional Manager | Regional Manager | all | General Manager | Managing Director |
| | (b) Head Office | Personnel Manager | Personnel Manager | all | General Manager | Managing Director |
| | (ii) All other posts | Personnel Manager | Personnel Manager | all | General Manager | Managing Director |
| 3. Group 'B' | | | | | | |
| | | General Manager | General Manager | all | Managing Director | Executive Committee |
| 4. Group 'A' | | | | | | |
| | (i) Officers below the level
of Managers | Managing Director | Managing Director | all | Executive Committee | Board of Directors |
| | (ii) Officers of the level of
Managers and above
(posts with the scale of
pay of Rs. 1500-1800
and above). | Board of
Directors | Board of
Directors | all | Board of Directors | Board of Directors |

APPENDIX-II

**Method of Recruitment, Qualifications etc. for Different Posts
(See Regulations 8, 9 and 22)**

| Name of the post | Classification | No. of posts | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Method of recruitment. |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GENERAL MANAGEMENT CADRE | | | | | |
| 1. General Manager | Group 'A' | 1 | Rs. 2000-125/2-2500 | Selection | Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion |
| 2. Secretary | Group 'A' | 1 | Rs. 1800-100-2000-125/2-2250. | Selection | Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion. |

In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made Educational and other qualifications required for direct recruitment Age limit for direct recruitment Whether age limit & other qualifications will apply to promoted. - Remarks

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|
| Promotion : Officers of the Corporation in the scale of Rs. 1800-2250 with 4 years service in the scale in general management cadre. | Direct recruitment: A post-graduate degree in IInd Division preferably in Economics/Commerce/Business Administration with atleast 6 years experience in a Public Institution or a Commercial Organisation in senior managerial position or 6 years service in the Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1500. | 45 years | Not applicable | Nil |
| Deputation: Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I with 6 years in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1500. Officers of Public Institutions at senior management level with 6 years of service may also be considered for appointment alongwith other candidates. | | | | |
| Promotion: All Managers with 3 years service in the scale of Rs. 1500-1800/1500-2000 in the general management cadre. | Direct recruitment: Degree from a recognised University in IInd Division in Economics/Commerce/Business Administration/Law. Preference will be given to members of Institute of Company Secretaries/Institute of Chartered Accountants. | 45 years | Not applicable | Nil |
| Deputation: Officers of the All India Services/Central Services and Central Secretariat Services Class-I Public Institutions/Commercial Organisations holding analogous posts or with 5 years service in posts in the scale of pay the minimum of which is not less than Rs. 1200. | Experience: Should have atleast 5 years experience in the Secretarial Department of a large company/Public Institutions handling secretarial and administration matters of which not less than 3 years shall be as Company Secretary. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3. Commercial Manager Group 'A' | 1 | Rs. 1800-100-2000-125/2-2250. | Selection | Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion. | |
| 4. Manager (General) Group 'A' | 5 | Rs. 1500-60-1800 | Selection | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| Promotion:
All Managers with 3 years service in the scale of Rs. 1500-1800 or above.
Deputation:
Officers from All India Services or Central Services/Central Secretariat Service Class-I with atleast 6 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or Officers of Public Institutions with 5 years service at management level drawing not less than Rs. 2000 per month inclusive of Dearness Allowance. | Direct recruitment:
Educational qualification
A second class post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration or a qualified Chartered Accountant.
Experience:
About 6 years service in All India Services or Central Services Class-I/Central Secretariat Service Class-I in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or 6 years experience in the Public Institutions or Commercial organisations at senior management level drawing not less than Rs. 2000 per month inclusive of Dearness Allowance. | 45 years | Not applicable | Nil |
| Promotion:
Joint Managers in the general management cadre with 3 years service in the scale of Rs. 1300-1700 or above.

Deputation:
Suitable Officers from the Central Government with at least 3 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or Officers from Public Institutions with 3 years service at the middle management level. | Direct recruitment Educational qualification:
A second class post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations.

Experience:
Three years experience in Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200 or 3 years experience in a Public Institution or Commercial organisation at the middle management level. | 45 years | Not applicable | Nil. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|-----------|----|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Joint Manager
(General) | Group 'A' | 13 | Rs. 1300-50-1700. | Selection | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |
| 6. Deputy Manager
(General) | Group 'A' | 34 | Rs. 1200-50-1600. | Selection | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| Promotion: | Direct Recruitment | Educational Qualifications: | 40 years | Not applicable |
| Deputy Managers in the general management cadre with three years service in the Corporation. | A post-graduate degree in second Class preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations. | | | Nil |
| Deputation: | Experience: | | | |
| Suitable Officers from Central Government holding posts in the scale of Rs. 1100—1600 or above or Officers of Public Institutions holding posts at equivalent level drawing not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance. | 6 years service in Government of which at least 3 years should be in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100 or 6 years experience in a Public Institution or a Commercial organisation drawing for three years not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |
| Promotion: | Direct Recruitment | Educational Qualification: | 40 years | Not applicable |
| Senior Assistant Managers/ Senior Statistical Officer in general management cadre/ Private Secretaries with 5 years service in the scale of Rs. 700—1300. | A post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations. | | | Nil |
| Experience: | | | | |
| NOTE : Private Secretary should have worked at least for one year as Senior Assistant Manager in general management cadre for eligibility for consideration for promotion as Deputy Manager in the general management cadre. | 4 years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 700 or 6 years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650 or similar experience at equivalent levels in Public Institutions or commercial organisations, drawing not less than Rs. 1300 per month inclusive of Dearness Allowance. | | | Nil |
| Deputation : | | | | |
| Suitable Officers from Central Government with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 700 or 6 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650 or suitable officers from Public Institutions with similar experience at equivalent level drawing not less than Rs. 1300 per month inclusive of Dearness Allowance. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 7. Senior Assistant Manager (General) | Group 'A' | 97 | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection | Promotion 50%, direct recruitment 50%. |
| 8. Assistant Manager (General) | Group 'B' | 23 | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion 100% |
| 9. Storage and Inspection Officer (General) | Group 'B' | 79 | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion 100% |
| 10. Executive Assistant | Group 'B' | 28 | Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960. | Selection | Promotion 100% |
| 11. Superintendent (General) | Group 'B' | 377 | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Selection | Promotion 100% |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|
| Promotion : | | | | |
| Assistant Managers/Storage and Inspection Officers in the general cadre with 3 years service in the scale of Rs. 650-1200. Promotion will be made from a combined seniority list. Assistant Managers will be eligible for consideration, provided they have 2 years experience in a Warehouse as Assistant Manager. | Direct recruitment; Essential Qualifications: A post-graduate degree or a post graduate diploma in personnel management or industrial relations or journalism or advertisement. | 30 years | Not applicable | Nil |
| Promotion: | | | | |
| Promotion from a common eligibility list of Executive Assistants and Senior Personnel Assistants with four years experience to be prepared with reference to dates of appointment to their respective posts. | | | Not applicable | Nil |
| Promotion: | | | | |
| Superintendents in the general management cadre with 5 years service in the scale of Rs. 550-900. | | | Not applicable | Nil |
| Promotion: | | | | |
| Assistants with 5 years service in the post. | | | Not applicable | Nil |
| Promotion: | | | | |
| Junior Superintendent with 5 years service in the scale of Rs. 425-800. | | | Not applicable | Nil |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|-----------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Manager (Research & Development) | Group 'A' | 1 | Rs. 1500-60-1800. | Selection | Deputation. |
| 13. Senior Economist | Group 'A' | 1 | Rs. 1300-50-1700. | Selection | Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by Board on each occasion. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|---|----------------|-----|
| Deputation : | | — | Not applicable | Nil |

Suitable Officers from Central Services Class-I with at least 6 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1300 per month having 1st Class post-graduate degree in Economics/Commerce, Business Administration/ Statistics/Operation Research/ Agricultural Statistics or Officers of Public Institutions with 6 years experience in developing, planning and organising research in market survey and investigation and drawing not less than Rs. 2,000 per month inclusive of Dearness Allowance.

Preference will be given to the persons having doctorate in any subjects mentioned above. Officers of the Corporation in the next below grade would also be eligible for a fixed tenure provided they fulfil the aforementioned qualifications.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Promotion : | Direct Recruitment | 40 years | Not applicable | Nil |
| Senior analyst with 3 years service in the scale of Rs. 1200-1600. | Educational qualification. | A post-graduate degree in 1st Class in Economics/Statistics. | | |
| Deputation : | Desirable : | Experience in computer programming. | | |
| Suitable Officers from Central Government with 3 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100 or suitable officers from Public Institutions with experience in market research, collecting, classification and interpretation of economic information, and drawing not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance. | Experience : | 3 years experience in collection and interpretation of economic/statistical information in any Central Government or Public Institutions or Commercial Organisations at middle management level. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Senior Analyst | Group 'A' | 1 | Rs. 1200-50-1600. | Selection | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |
| 15. Analyst | Group 'A' | 1 | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection | Direct recruitment |
| 16. Senior Statistical Officer | Group 'A' | 1 | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection | Transfer on deputation/promotion, failing which by direct recruitment. |
| Promotion : | Educational Qualification : | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Analyst with 5 years service in the scale of Rs. 700-1300. | A post-graduate degree in 1st Class in Economics/Statistics preferably having experience of computer programming. | | 40 yrs. | N.A. | Nil |
| Deputation : | Experience : | 7 | | | |
| Suitable Officers from Central Government, with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 700/- or suitable officers from Public Institutions with 4 years experience in market research, collection, classification and interpretation of economic information and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | 4 years service in the Central Government in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 700/- in market research, collection and interpretation of economic information or 4 years similar experience in a Public Institution or Commercial Organisation, drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | | |
| Transfer on deputation/promotion | Educational Qualification : | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Statistical Officers with 3 years service in the Central Government in the scale of pay the minimum of which is not less than Rs. 700/- and suitable officers with 3 years' similar experience at supervisory level in Public Institutions or Commercial Organisations drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. The statistical Officer in the Corporation would also be eligible for consideration. In case he is selected for appointment, the post will be treated to have been filled on promotion. | A post-graduate degree in 1st Class in Economics/Statistics preferably with knowledge in computer science. | 30 yrs. | Not applicable | Nil | |
| Experience : | Experience : | 7 | | | |
| | 3 years experience of collection and interpretation of economic data in Central Government, Public Institution or Commercial Organisation at supervisory level. | | | | |
| Transfer on deputation/promotion | Educational qualification : | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Statistical Officers with 3 years service in the Central Government in the scale of pay the minimum of which is not less than Rs. 700/- and suitable officers with 3 years' similar experience at supervisory level in Public Institutions or Commercial Organisations drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. The statistical Officer in the Corporation would also be eligible for consideration. In case he is selected for appointment, the post will be treated to have been filled on promotion. | A 1st Class Master's degree in Statistics/Mathematics/Economics/Economics with Statistics/Commerce with Statistics/Agricultural Statistics. | 30 yrs. | N.A. | Nil | |
| Experience : | Experience : | 7 | | | |
| | 3 years in dealing with Statistical work, checking, editing, coding, analysing, classification, interpretation and reporting of data in the Central Government at supervisory level or 3 years service in a Public Institution or a Commercial Organisation in a supervisory capacity. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 17. Statistical Officer | Group 'B' | — | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion failing which by direct recruitment. |
| 18. Statistical Assistant | Group 'B' | 5 | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Selection | Direct recruitment |
| 19. Hindi Officer | Group 'B' | 1 | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion failing which by direct recruitment. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Promotion :
Statistical Assistant with 5 years service in the scale of Rs. 550-900 | Educational qualifications:
A post-graduate degree in 1st Class in Statistics/Mathematics/Commerce with Statistics/Economics with Statistics/Agricultural Statistics.
Experience:
3 years experience of Statistical work, checking, editing, coding, analysis, classification, interpretation of Statistical data of Investigators level in Central Government or 3 years service in a Public Institution or Commercial Organisation at supervisory level. | 35 yrs. | N.A. | Nil |
| — | Graduate in Arts, Science or Commerce with Statistics, Economics or Mathematics with post-graduate Training at the Indian Statistical Institute or any other recognised Institution. | 35 yrs. | Not applicable | Nil |
| Promotion:
Hindi Translator with 5 years service in the scale of Rs. 425-800. | Educational Qualifications:
(a) Second Class Master's degree in Hindi with English as a subject at the degree level;
Or
Second class Master's degree in English with Hindi as subject at degree level;
Or
Second class Master's degree in Sanskrit with Hindi and English as subjects at degree level.
(b) Should possess proficiency in Hindi and English and should be able to do noting and drafting.
(c) About 5 years experience of terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice versa.
Experience is relaxable in case of candidate having Ph.D. degree in Hindi. | 35 yrs. | N.A. | Nil |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 20. Private Secretary | Group 'A' | 2 | Rs. 700-40-900-EB-
40-1100-50-1300. | Selection | Promotion |
| 21. Senior Personal Assistant | Group 'B' | 6 | Rs. 650-30-740-35-
880-EB-40-960. | Selection | Promotion |
| 22. Personal Assistant | Group 'C' | 27 | Rs. 425-15-500-EB-
15-560-20-700-EB-
25-800. | Non-Selection | Promotion |
| 23. Librarian | Group 'C' | 1 | Rs. 425-15-500-EB-
15-560-20-700-EB-
25-800. | Selection | Direct recruitment 100%. |
| 24. Junior Superintendent | Group 'C' | 515 | Rs. 425-15-500-EB-
15-560-20-700-EB-
25-800. | Non-selection | Promotion |
| 25. Hindi Translator | Group 'C' | 14 | Rs. 425-15-500-EB-15-
15-560-20-700-EB-
25-800. | Selection | 100% direct recruitment |

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|----|----|

Promotion:

Senior Personal Assistant with
5 years service in the scale of
Rs. 650—960.

Promotion.

Personal Assistant with 5 Not applicable
years service in the scale of Rs.
425—800.

By promotion from amongst
the Stenographers who have
put in 5 years in that grade
on the basis of seniority sub-
ject to the rejection of un-
fit.

Degree from a recognised Uni-
versity. Diploma in Library
Science.

30 yrs. Not applicable Nil

Promotion from Warehouse
Assistant Grade-I/Comptist
who have put in at least 4
years service in that grade.

Not applicable Nil

- (a) Master's degree in Hindi or in English with Hindi as a subject at degree level, or Master's degree in Sanskrit with Hindi and English as subjects at degree level.
- (b) About 3 years experience of Terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice versa.

35 yrs. Not applicable Nil

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 26. Stenographer | Group 'C' | 107 | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560. | Selection | Promotion 100% by selection failing which by direct recruitment. |
| 27. Stenographer (Hindi) | Group 'C' | 5 | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560. | Selection | Promotion failing which by direct recruitment. |
| 28. Warehouse Assistant Grade-I | Group 'C' | 958 | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560. | Non-selection | Promotion 100% |
| 29. Comptist | Group 'C' | 3 | (i) Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.
2 (ii) Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400 & Rs 15/- Special pay | — | 100% by promotion (By selection) |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|
| From Warehouse Assistant Grade-II working in the region where the vacancy in question has arisen (on the basis of test in Shorthand and typewriting). | Matric with a minimum speed of 80 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in typing. | 25 Yrs. | Not applicable | Nil |
| Promotion from amongst Warehouse Assistant Grade-II (Hindi) working in the region where the vacancy in question has arisen subject to their qualifying in the test with the required speed of Shorthand and typing in Hindi indicated in column 8. | Graduate with Hindi as one of the subjects. Should have 80 words per minute and 40 words per minute speed in Hindi Shorthand and Hindi typing respectively. | 25 yrs. | Not applicable | Nil |
| Promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst Warehouse Assistant Grade-II/Laboratory Assistant/Copy Holder working in the Regions (Head Office will be created as a separate region) where the vacancy in question has arisen with at least 3 years service in that grade. | — | — | Not applicable | Nil |
| From amongst Warehouse Assistant Grade-II on the basis of a test, failing which by direct recruitment. | Matric with minimum typing speed of 30 words per minute preferably with experience of office work. Should have undergone training on Comptometer machine. | 25 yrs. | Not applicable | Nil |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 30 Cashier | Group 'C' | 1 | (i) Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.
(ii) Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.
In addition Special Pay amounting to 20% of the basic pay Subject to minimum of Rs. 35 and maximum of Rs. 50/-. | Selection | |
| 31. Warehouse Assistant Grade-II | Group 'C' | 1879 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | — | Promotion 20%, direct recruitment 80%. |
| 32. Hind Typist (Warehouse Assistant Grade-II) | Group 'C' | 16 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | Selection | 100% direct recruitment |
| 33. Staff Car Driver | Group 'C' | 18 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | Selection | Direct recruitment 100%. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appointment of suitable officials from amongst Warehouse Assistant Grade-I/junior Superintendent/Assistant, Preferably with Accounts or Commerce qualification. | — | — | Not applicable | For the purpose of promotion to the post of Junior Superintendent/Superintendent/Executive Assistant/Assistant Manager, the Cashier will take his seniority as Warehouse Assistant Grade-I/junior Superintendent, Assistant as the case may be. |
| Promotion :
Promotion from amongst matriculate Class-IV employees with 3 years regular service in that grade. The appointment would be subject to their passing the required typing speed within the prescribed time limit. | Matric with a minimum typing speed of 30 words per minute preferably with experience of office work (typing speed will, however, be not a condition precedent for physically handicapped candidates found otherwise suitable). | 25 yrs. | Not applicable | All candidates, by direct recruitment, will have to compete in written/typing tests prescribed by the appointing authority. |
| | Graduate with Hindi as one of the subjects with a minimum speed of 30 words per minute in Hindi typing preferably with experience of Hindi typing work. | 25 yrs. | Not applicable | All candidates will have to compete in written/typing tests prescribed by the appointing authority. |
| | Direct recruitment
Educational qualification
(i) Middle School standard pass
(ii) Licence for driving light motor vehicles.
(iii) Three years experience as Driver.
Desirable :
(i) Licence for driving heavy motor vehicles. | 30 yrs. | Not applicable | Preference will be given to regular appointed Class-IV employees/Despatch Rider of the Corporation who possess the qualification prescribed in col. 8. If no suitable persons from amongst them available, posts may be filled by direct recruitment. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 34. Lift Attendant | Group 'C' | 6 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | Selection | Promotion 100% Selection basis |
| 35. Daftry | Group 'D' | 32 | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250. | Non-Selection | Promotion 100% by seniority cum-fitness basis. |
| 36. Peon | Group 'D' | 46 | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Selection | Direct recruitment 100% |
| 37. Senior Gardener,
Gardener Grade-I | Group 'D' | 1 | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250. | — | 100% promotion |
| 38. Gardener | Group 'D' | 17 | Rs. 196-3-220-EB-3-232 | Selection | Direct recruitment 100% |
| 39. Chowkidar Grade-I | Group 'D' | 385 | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250. | — | Promotion 100% by seniority-cum-fitness basis. |
| 40. Chowkidar Grade-II | Group 'D' | 2180 | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Selection | Direct recruitment 100%. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| From amongst Peons with at least 3 years service working in the region where the vacancy in question has arisen (Head Office would be treated as a separate region). | — | — | Not applicable | Nil |
| From amongst Peons working in the region (Head Office will be treated as a separate region) where the vacancy in question, has arisen with at least 3 years service as Peon. | — | — | Not applicable | Nil |
| — | Middle school standard pass, preference will be given to those with some knowledge of English and Hindi/Local language. | 25 yrs. | Not applicable | Nil |
| From amongst Gardeners (Rs. 196—232) with atleast 10 years service in the scale. | — | — | Not applicable | Nil |
| — | Should have experience of working as a Mali in a nursery or a garden for atleast one year. | 25 yrs. | Not applicable | Nil |
| From amongst Chowkidars Grade-II (Scale Rs. 196—232) in the region where the vacancy in question has arisen with atleast 3 years experience | — | — | Not applicable | Nil |
| — | Direct recruitment
(i) Middle school standard pass.
(ii) Experience of working as Chowkidar for 2 years. | 25 yrs. | Not applicable | Every person appointed as Chowkidar shall undergo requisite training as prescribed by the Corporation. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. Senior Sweeper | Group 'D' | 103 | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250. | — | Promotion 100% by seniority-cum-fitness basis. |
| 42. Sweeper | Group 'D' | 584 | Rs. 196-3-220-EB-3-232 | Selection | Direct recruitment 100% |
| 43. Farash | Group 'D' | 10 | Rs. 196-3-220-EB-3-232 | Selection | Direct recruitment 100% |
| 44. Helper | Group 'D' | 61 | Rs. 196-3-220-EB-3-232 | Selection | Direct recruitment 100% |
| 1. Manager (Technical) | Group 'A' | 1 | Rs. 1500-60-1800 | Selection | Promotion/Direct recruitment/transfer on deputation to be determined by the Board on each occasion. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| From amongst Sweepers (scale Rs. 196-232) in the region where the vacancy in question has arisen with at least 3 years experience. | — | — | Not applicable | Nil |
| — | — | 25 yrs. | Not applicable | Nil |
| — | — | 25 yrs. | Not applicable | Nil |
| — | — | 25 yrs. | Not applicable | Physical fitness & ability to do manual labour will be the main consideration. Experienced persons in skilled labour will be given preference. |

Technical Cadre

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Promotion | Direct recruitment | 45 yrs. | Not applicable | Nil |
| Joint Manager in the Technical cadre with three years service in the scale of Rs. 1300-1700. | Educational qualification : A post Graduate Degree in Second Class in Agriculture with Entomology or Micro-biology or Bio-Chemistry or a post Graduate Degree in Bio-Chemistry or Micro-biology or a Post Graduate Degree in Second Class in Zoology with Entomology. | | | |
| Deputation | Experience | | | |
| Officers from the Central Government with at least 4 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from the Public Institutions with minimum of atleast four years at the middle management level. | At least 4 years experience in a Central Government Department in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or comparable experience in a Public Institution or Commercial Organisation. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|-----------|----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Joint Manager
(Technical) | Group 'A' | 1 | Rs. 1300-50-1700 | Selection | By promotion 75% failing which by direct recruitment, failing which by deputation; direct recruitment 25%, failing which by deputation. |
| 3. Deputy Manager
(Technical) | Group 'A' | 11 | Rs. 1200-50-1600 | Selection | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Promotion | Direct recruitment | 40 yrs | Not applicable | Nil |
| Deputy Managers in Technical cadre with three years service in the scale of Rs. 1200-1600. | Educational qualification | | | |
| Deputation : | A post graduate degree in Second Class in Agriculture with Entomology or Micro-biology or Bio-Chemistry or a Post Graduate Degree in Second Class in Bio-Chemistry or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in Second Class in Zoology with Entomology. | | | |
| Suitable officers from Central Government with 3 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from Public Institutions or commercial organisations with 3 years experience and drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance. | Experience | | | |
| | 6 years service in Central Government, of which three years should be in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or six years experience in a Public Institution or Commercial Organisation; drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance for three years. | | | |
| Promotion | Direct recruitment | 40 yrs. | Not applicable | Nil |
| Senior Assistant Managers in Technical Cadre with 5 years service in the scale of Rs. 700-1300. | A Post Graduate Degree in Second Class in Agriculture with Entomology or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in second class in Bio-Chemistry or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in Second Class in Zoology with Entomology. | | | |
| Deputation | Experience | | | |
| Suitable officers from Central Government with 4 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 650/- | Four years service in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- or officers from Public Institutions or Commercial Organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |
| Or | | | | |
| Officers from Public Institutions or Commercial Organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4. Senior Assistant Manager (Technical) | Group 'A' | 21 | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection | Promotion 50%, Direct recruitment 50%. |
| 5. Storage and Inspection Officer (Technical) | Group 'B' | — | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion 100%. |
| 6. Superintendent (Technical) | Group 'B' | — | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Selection | Promotion 100% |
| 7. Technical Assistant | Group 'C' | 377 | Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800. | — | 75% by promotion on seniority-cum-fitness basis, 25% by direct recruitment |
| 8. Junior Technical Assistant | Group 'C' | 623 | Rs. 380-12-500-EB-15-560. | — | 100% direct recruitment |
| 9. Laboratory Assistant | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | — | 100% direct recruitment |
| 10. Selection Grade Dusting Operator | Group 'D' | 96 | Rs. 210-4-250-EB-5-270. | — | 100% promotion by seniority-cum-fitness. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| Promotion | Direct recruitment | 30 yrs. | Not applicable | Nil |
| Storage and Inspection Officers in Technical cadre with three years of service in the scale of Rs. 650-1200. | Educational qualification
A post graduate degree in IInd Class in Agriculture with Entomology/Micro-Biology/Bio-Chemistry or a Post Graduate Degree in IInd class in Bio-Chemistry or a Post Graduate Degree in IInd Class in Zoology with Entomology. | — | — | — |
| Promotion | — | — | Not applicable | Nil |
| Superintendents in Technical cadre with five years service in the post. | — | — | Not applicable | Nil |
| Promotion | — | — | Not applicable | Nil |
| Technical Assistants with five years service in the scale of Rs. 425-800. | Direct recruitment | 30 years | Not applicable | Nil |
| Promotion | — | — | Not applicable | Nil |
| From amongst Junior Technical Assistants who have put in at least three years service in that grade. | Degree in Agriculture or a Degree with Zoology, Chemistry of Bio-Chemistry as one of the subjects with three years experience of quality determination of agricultural produce, its storage and preservation by modern methods. | — | — | — |
| — | Direct recruitment | 28 yrs. | Not applicable | Nil |
| — | Degree in Agriculture or a degree with Zoology, Chemistry or Bio-Chemistry as one of the subjects. | — | — | — |
| — | Higher Secondary pass with Science Group having laboratory training or Intermediate Science. | 22 yrs. | Not applicable | Nil |
| From amongst Dusting Operators working in the region where the vacancy in question has arisen and who have put in at least three years service in that grade. | — | Not applicable | Nil | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Dusting Operator | Group 'D' | 607 | Rs. 200-3-206-4-
234-EB-4-250. | — | 100% promotion by seniority-cum-fitness. |
| 1. Manager(Engineering) | Group 'A' | 1 | ENGINEERING CADRE
Rs. 1800-100-1000-
125/2-2250 | Selection | Promotion/Direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion. |
| 2. Joint Manager(Engineering)/Superintending Engineer. | Group 'A' | 1 | Rs. 1200-50-1700 | Selection | By Promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|
| From amongst the Middle School Standard pass/Group D' employees except Sweepers with at least three years service in the Region where the vacancy in question has arisen. | — | — | Not applicable | Nil |
| ENGINEERING CADRE | | | | |
| Promotion | Direct recruitment | 45 years | Not applicable | Nil |
| Joint Manager (Engineering) with five years service in the scale of Rs. 1200-1700. | Educational qualifications
A degree in Civil Engineering. | | | |
| Deputation | Experience | | | |
| Suitable Officers from Central Government with at least five years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from Public Institutions/Commercial Organisations with five years experience in civil engineering construction work and drawing not less than Rs. 2000/- per month inclusive of Dearness Allowance. | About five years experience as Civil Engineer in a Government Department in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or similar experience of five years in Public Institution/Commercial organisation and drawing not less than Rs. 2000/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |
| Promotion | Direct recruitment | 40 years | Not applicable | Nil |
| Executive Engineers/ Surveyor or Works/Structural Engineers with three years service in the scale of Rs. 1100-1600. | Educational qualification
A degree in Civil Engineering. | | | |
| Deputation | Experience | | | |
| Suitable officers of Central Government with three years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from Public Institutions/Commercial Organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance. | Minimum of six years service in Government of which at least three years should be in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or six years experience in Public Institution or construction organisation and drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance for three years. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Executive Engineer/
Surveyor of Works. | Group 'A' | 19 | Rs. 1100-50-1600 | Selection | By promotion 75%, failing
which by direct recruit-
ment failing which by depu-
tation; by direct recruit-
ment 25%, failing which by
by deputation. |
| 4. Assistant Engineer/
Assistant Surveyor of
Works. | Group 'B' | 123 | Rs. 650-30-740-35-
810-EB-35-880-40-
1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion 50% Direct re-
cruitment 50%. |
| 5. Assistant Architect | Group 'B' | — | Rs. 650-30-740-35-
810-EB-35-880-40-
1000-EB-40-1200. | Selection | Promotion 50%, direct
recruitment 50%. |
| 6. Architectural Assistant | Group 'B' | 1 | Rs. 550-25-750-EB-
30-900. | Selection | Promotion |
| 7. Draftsman Grade-I | Group 'C' | 8 | Rs. 550-20-650-EB-
25-750 | Selection | Promotion |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|
| Promotion | Direct recruitment | 40 years | Not applicable | Nil |
| Assistant Engineers, Assis-
tant Surveyor of Works
(Civil) with 6 years service in
the scale of Rs. 650-1200. | A degree in Civil Engineering
or Structural Engineering.
Experience
Four years experience relating
to Civil Engineering Con-
struction work/structural engi-
neering in Government,
Public Institution/Commer-
cial Organisation and draw-
ing not less than Rs. 1300/-
per month inclusive of Dear-
ness Allowance. | | | |
| Deputation | | | | |
| Suitable officers from Central
Government with 4 years
service in the scale the
minimum of which is not
less than Rs. 650/- or the
officers from public institu-
tions/Commercial organisa-
tions with similar experience
and drawing not less than
Rs. 1300/- per month inclu-
sive of Dearness Allowance. | | | | |
| Promotion | Direct recruitment | 30 years | Not applicable | Nil |
| Graduate Sectional Officers
with three years service and
Diploma Holder Sectional
Officers with five years ser-
vice in the post. | A degree in Civil/Electrical,
Architectural Engineering. | | | |
| Promotion | Direct recruitment | 30 years | Not applicable | Nil |
| Degree Holder Architectural
Assistant with four years
service in that post. | A degree in Architecture. | | | |
| From amongst the Draftsmen
Grade-I who have put in at
least 5 years service in that
grade. | — | — | Not applicable | Nil |
| From amongst Draftsmen
Grade-II who have put in at
least 8 years service in that
grade. | — | — | Not applicable | Nil |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 8. Sectional Officer
(Overseer) | Group 'C' | 326 | Rs. 425-15-500-EB-
15-560-20-700. | — | 100% direct recruitment |
| 9. Draftsman Grade-II | Group 'C' | 25 | Rs. 330-10-380-EB-
12-500-EB-15-560. | Selection | 100% by direct recruitment |
| 10. Senior Operator | Group 'C' | 3 | Rs. 330-10-380-EB-
12-500-EB-15-560. | — | 100% by direct recruitment. |
| 11. Junior Operator | Group 'C' | 3 | Rs. 260-6-290-EB-6
326-8-366-EB-8-390
10-400. | — | 100% by direct recruitment. |
| 12. Mistry (Electrical) | Group 'C' | 18 | Rs. 260-6-290-EB-6-
326-8-366-EB-8-390-
10-400. | — | 100% direct recruitment. |
| 13. Mistry (Works). | Group 'C' | — | Rs. 260-6-326-EB-8-
350. | — | 100% direct recruitment. |
| 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
| — | Diploma in Civil/Mechanical
Electrical Engineering from
any recognised Institution. | 30 years | Not applicable | Nil | |
| — | Diploma in Draftsmanship or
in Civil Engineering prefera-
bly with proficiency in draft-
ing plans and preparing
estimates, with two years
experience in a drawing
office of standing. | 30 years | Not applicable | Nil | |
| — | Direct recruitment:
The candidate should have: | 30 years. | Not applicable. | Nil. | |
| | (i) Pass Matric.,
(ii) A valid Electrical Licence
as conducted by the
State Government.
(iii) Working experience of
at least three years in
refrigeration or air-con-
ditioning plant. | | | | |
| — | Direct recruitment:
The candidate should have: | 30 years. | Not applicable. | Nil. | |
| | (i) Pass Matric;
(ii) Practical knowledge and
experience of running
electric generators and
motors;
(iii) At least two years ex-
perience in any refrig-
eration or air-condition-
ing plant. | | | | |
| — | Direct recruitment : | | | | |
| | Matric or possessing equivalent
qualification, holding electri-
cal wireman's licence issued
by the State Government and
with at least two years ex-
perience. | 30 years. | Not applicable. | Nil. | |
| — | Should be 1st class Mason and
should be able to read elemen-
tary plans and execute works.
Have to undergo Trade Test
before appointment. | 30 years. | Not applicable. | Nil. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Wireman-cum-Pump-Operator. | Group 'C' | 6 | Rs. 260-6-326-EB-8-350. | — | 100% direct recruitment. |
| 15. Carpenter | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-326-EB-8-350. | — | 100% direct recruitment. |
| 16. Plumber. | Group 'C' | 2 | Rs. 260-6-326-EB-8-350. | — | 100% direct recruitment. |
| 17. Assistant Pump Operator. | Group 'D' | 2 | Rs. 210-4-226-4-250
EB-5-290. | — | 100% direct recruitment. |
| 18. Financial Adviser. | Group 'A' | 1 | Rs. 1800-100-2000-125/2-2250. | Selection | FINNCE AND ACCOUNTS CADRE
Promotion/Direct Recruitment/transfer on deputation, to be determined by Board on each occasion. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| — | Matric or equivalent qualification having at least two years experience. Must be possessing Wireman's licence from Industrial Training Institute or any other Government Institute. | 30 years. | Not applicable. | Nil. |
| — | A recognised trade certificate or licence with two years experience in the field. | 30 years. | Not applicable. | Nil. |
| — | A recognised trade certificate or licence with two years experience in the field. | 30 years. | Not applicable. | Nil. |
| — | Matric or equivalent qualification. Having at least two years experience of running refrigerators, electric generators, motors etc. | 30 years. | Not applicable. | Nil. |
| Promotion:
Deputy Financial Adviser and Manager in Finance and Accounts Cadre with three years service in the scale of Rs. 1500—1800. | Direct Recruitment :
Educational qualification :
A Fellow of the Institute of Chartered Accountants or Institute of the Costs and Works Accountants. | 45 years. | Not applicable. | Nil. |
| Deputation :
Officers from All India Services or Central Services Class-I with at least 5 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200/- or officers of Public Institutions with 5 years similar experience drawing not less than Rs. 2000/- per month inclusive of Dearness Allowance. | Experience :
Five years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200/- or five years similar experience in Public Institutions/commercial organisations drawing pay not less than Rs. 2,000/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------|-----------|---|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Deputy Financial Adviser & Manager (Accounts). | Group 'A' | 1 | Rs. 1500-60-1800. | Selection. | Promotion /direct recruitment/transfer on deputation to be determined by Board on each occasion. |
| 3. Joint Manager, (Accounts). | Group 'A' | 2 | Rs. 1300-50-1700. | Selection. | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; and by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Promotion:
Joint Managers in the Finance and Accounts cadre with three years service in the scale of Rs. 1300—1700. | Direct recruitment :
Educational qualification :
A Fellow of the Institute of Chartered Accountants or Institute of the Costs and Works Accountants. | 45 years. | Not applicable. | Nil. |
| Deputation: | Experience: | | | |
| Suitable officers from the Central Government with four years experience in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from Public Institutions/Commercial organisations with 3 years similar experience at middle management level. | Three years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or 3 years similar experience at middle management level in Public Institutions/ Commercial organisations. | | | |
| Promotion :
Deputy Managers in Finance and Accounts cadre with 3 years service in the scale of Rs. 1200—1600 | Direct recruitment.
Educational qualification :
A post graduate degree in the Second Class in Commerce or Business Administration with Specialisation in Finance or Accounts from a reputed Institution or a Member of the Institute of Chartered Accountants or of the Institute of Cost and Works Accountants. | 40 years. | Not applicable. | Nil. |
| Deputation :
Suitable officers from Central Government with 2 years experience in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers with 3 years similar experience in Public Institutions/Commercial Organisations drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance. | Experience :
3 years service in Central Govt. or Subordinate Accounts Service (SAS) with 6 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or 6 years experience in a Public Institution or a Commercial organisation drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Deputy Manager
(Accounts). | Group 'A' | 1 | Rs. 1200-50-1600. | Selection. | By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation. |
| 5. Senior Assistant Manager (Accounts) | Group 'A' | 18 | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection. | Promotion 50%, Direct recruitment 50%, Promotion 100%. |
| 6. Assistant Manager (Accounts). | Group 'B' | 28 | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. | Selection. | |
| 7. Accountant | Group 'B' | 151 | Rs. 500-20-700-EB-25-900. | — | 50% Direct Recruitment, 50% Promotion. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Promotion: | Direct recruitment : | 40 years. | Not applicable. | Nil. |
| Senior Assistant Managers in the Finance & Accounts Cadre with five years service in the scale of Rs. 700—1300. | Qualifications:—
A Member of the Institute of the Chartered Accountants or of the Institute of Costs & Works Accountant with two years experience or a degree in second class in Commerce or Business Administration, with specialisation in finance or accounts from reputed institution with 4 years experience, drawing not less than Rs.1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | |
| Deputation : | | | | |
| Suitable officers from Central Government with four years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- or officers with similar 4 years experience in Public Institutions/Commercial Organisations drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance. | | | | |
| Promotion: | Direct recruitment: | 30 years. | Not applicable. | Nil. |
| Assistant Managers in Finance and Accounts cadre with three years experience in the scale of Rs. 650—1200. | Educational qualifications:—
(i) A member of the Institute of the Chartered Accountants or of the Institute of Costs and Works Accountants; or
(ii) A Post-Graduate Degree in second class in Commerce or Business Administration with specialisation in Finance or Accounts from a reputed institution with two years experience; or
(iii) SAS with five years experience. | | | |
| Promotion: | | | | |
| Accountants with five years service in the scale of Rs. 500—900. | | | Not applicable. | Nil. |
| Promotion: | Direct Recruitment: | | | |
| From amongst Assistants/ Junior Superintendents who have put in at least three years service in that grade. | B. Com. or B.A. (Commerce) or Chartered Accountant or Costs and Works Accountants or SAS Accountants of the Indian Audit & Accounts Department with about three years experience in Maintaining and auditing of accounts in Industrial/Commercial/Departmental Undertakings. | 30 years | Not applicable. | Nil. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| ISOLATED CADRE | | | | | |
| 1. Chief Vigilance Officer. | Group 'A' | 1 | Rs. 1800-100-2000- Selection
125/2-2250. | Deputation. | |
| 2. Manager (Security). | Group 'A' | 1 | Rs. 1800-100-2000- Selection
125/2-2250. | Deputation. | |
| 3. Manager (Custom Bonding). | Group 'A' | 1 | Rs. 1500-60-1800. Selection | Deputation. | |
| 4. Security Officer. | Group 'A' | 2 | Rs. 700-40-900-EB- Selection
40-1100-50-1300. | Deputation, failing which by direct recruitment. | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|----|----|
|---|---|---|----|----|

ISOLATED CADRE**Deputation:**

Suitable Officers from All India Services or Central Services Class-I eligible for appointment as Deputy Secretary and above under Central Government with experience in vigilance work.

Not applicable.

Nil.

Deputation :

Suitable officers from Indian Police Service/Defence Services with at least 6 years service in the post the minimum of which is not less than Rs. 1300/-.

Not applicable.

Nil.

Deputation:

Suitable Officers from the Indian Customs & Excise Department with at least 3 years experience as Assistant Collector (Customs).

Not applicable.

Nil.

Deputation :

Suitable officers from Police force/army forces with 5 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 550/- or suitable officers from Public Institutions with 5 years experience of dealing with security matters at supervisory level.

Educational qualification :
A University degree or equivalent.

40 years.

Not applicable.

Nil.

Experience :

5 years service in Police/Armed Forces in the scale the minimum of which is not less than Rs. 550/- dealing with security matters or 5 years experience at supervisory level in a Public Institution or a Commercial Organisation.

NOTE :—The number of posts specified in column 3 shows the position as on 1-1-1986 and is subject to change from time to time.

APPENDIX-III

(See regulation 11)
(Declaration of Fidelity and Secrecy)

I _____ declare that I will faithfully, truly and to the best of my judgment, skill and ability execute and perform the duties which are required of me as an employee of the Central Warehousing Corporation and which properly relate to any office or position in the said Corporation held by me.

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Corporation nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to, or in the possession of, the Corporation and relating to the business of the Corporation.

Signature _____

Signature _____

Signature _____

Designation _____

Date _____

Signed before me

Date: _____

V.K. PARTHASARATHY, (Personnel Manager).



भारत का आज्ञापन The Gazette of India

सामान्य
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शत्रुघ्नी, अप्रैल 3, 1987/चैत्र 13, 1909

No. 9] NEW DELHI, SHATRUZHNA, APRIL 3, 1987/CHAITRA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

संकूल वैश्वरहाउडिंग कारपोरेशन

(भारत गवर्नर का उपक्रम)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

गद्या सी. डब्ल्यू. सी. / 14/4/एस्ट.—वैश्वरहाउडिंग कारपोरेशन अधिनियम,
1962 (1962 का 53) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त गवितयों का प्रयोग करते
हुए, संकूल वैश्वरहाउडिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से संकूल
वैश्वरहाउडिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में पुनः संशोधन कर,
निम्ननियित विनियम बनाती है:

1. (1) इन विनियमों को संकूल वैश्वरहाउडिंग कारपोरेशन (स्टाफ)
मंजोरित विनियम, 1987 कहा जाएगा।

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC 4]

(2) ये 28 फरवरी, 1986 से प्रवृत्त भाने जायेंगे।

2. सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के विनियम 4 में दिए गए नोट को दुबारा अंकित कर नोट-1 कर दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नोट शामिल किया जाएगा :

“नोट 2 : 550-750 रुपये के बेतनमान में ड्राप्टसमैन ग्रेड-1 के केवल वर्तमान पदधारी ही अपने पहले बाले अर्थात् समूह “ख” कर्मचारियों के स्तर पर बने रहेंगे।”

व्याख्यातमक ज्ञापन

सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन ने इस प्राधिकार को 28-2-1986 से लागू करने का निर्णय किया है ताकि यह सुनिष्ठित हो सके कि संशोधित स्टाफ विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सेवारत ड्राप्टसमैन ग्रेड-1 की सेवा शर्तों में फिरवर्ती रूप से कोई उनको अहित न हो। यह प्रामाणित किया जाता है कि पहले से हो लागू इन विनियमों से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं उत्पन्न जिन पर ये लागू हैं।

बी.के. प्रार्थसारथी, प्रबन्धक कार्मिक

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

No. CWC[XIV-4]Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff), Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall be deemed to have come into force on the 28th February, 1986.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 4, the Note shall be renumbered as Note 1 thereof and after the Note so renumbered, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note 2 : The present incumbents in the post of Draftsman Grade-I in the scale of Rs. 550-750 will continue to enjoy the status as Group 'B' employees as personal to them."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Warehousing Corporation has decided to give effect to the revision w.e.f. 28-2-1986 in order to ensure that the service conditions of the Draftsmen Grade-I who were in position immediately before the publication of the revised Staff Regulations are not changed to their disadvantage. It is certified that the retrospective effect being given to these regulations will not affect adversely any employee to whom these regulations apply.

V. K. PARTHASARATHY, Personnel Manager



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

प्र० 22]
No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1987/ज्येष्ठ 29, 1909
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 1987/JYAIESTHA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है बिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपकरण)

नई दिल्ली, 19 जून 1987

अधिसूचनाएँ

संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. 1:—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शिविरों का प्रयोग
करने हुए सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में संशोधन कर
नियन्त्रित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) (द्वितीय) संशोधित विनियम, 1987 कहा जायेगा।
- (2) ये व्यापक में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिणाम-II में एकत्र संवर्ग शीर्षक के अन्तर्गत श्रम संघात 3 पद प्रबन्धक (कस्टम बोर्डिंग) के पद में वंचनित प्रविधियों के कालम 7 में नियन्त्रित वाचक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“कस्टम बोर्ड के अन्तर्गत माल के भण्डारण से संबंधित रख-खाल तथा संगठनात्मक कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा गानान्य प्रबन्ध कैडर में 1300-1700 रुपये के बेतनमात्र में काम करने वाले कारपोरेशन के अधिकारी एक नियन्त्रित अवधि के लिये नियुक्ति के पाव देंगे:—”

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र ग्राहावारण भाग-III खण्ड 4 में पृष्ठ 1 से 80 तक संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 26
फरवरी, 1936 के द्वारा अधिसूचित किये गये थे तथा वाद में नियन्त्रित द्वारा संशोधित किये गये:

- (1) संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 1-4-87

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th June, 1987

No. CWC/XIV-4/Estd.1:—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Second) Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the sub-heading "ISOLATED CADRE", the following sentence shall be added to the entry in column 7 in relation to the post of Manager (Custom Bonding) appearing against serial number 3, namely :—

"Officers of the Corporation with at least 3 years' experience in handling and organising work relating to storage of goods under custom bond, who are in the scale of Rs. 1300-1700 and in the general management cadre, shall also be eligible for appointment for a fixed tenure."

Note : The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estd. dated the 28th February, 1986 in the Gazette of India—Extraordinary, Part III Section 4 at pages 1 to 80 and subsequently amended vide :

- (i) No. CWC/XIV-4/Estd. dated 1-4-1987.

सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्थापना 2:—वेश्वरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) द्वारा 42 दृष्टि प्रदत्त घटियाँ ता खेति करते हुए सेंट्रल वेश्वरहाउसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से सेंट्रल वेश्वरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में यह यह यह निम्नलिखित विनियम दनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेश्वरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) (द्वितीय) संशोधित विनियम, 1987 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेंट्रल वेश्वरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिणाम (II) में एकल संवर्ग शीर्षक के अन्तर्गत क्रम मंच्या-3 पर प्रवन्धक कस्टम (बोर्डिंग) के पद तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जीड़ा जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की संख्या | वेतनमात्र | चयन पद है | भर्ती की पद्धति | प्रीन्हति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे किस पद से की जानी है |
|--------------------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "उक. वरिष्ठ तकनीकी परीक्षक (निर्माण कार्य) | समूह "क" | 1 | 1200-50-1700 | चयन | प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति :
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा/भारत मर्यादा के सार्वजनिक उपकरणों में अधिकारी अधिकारी अधिकारी समकक्ष पद पर सिविल निर्माण कार्य का कम से कम तीन बष्टे का प्रबन्धन। |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के
लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ | सीधी भर्ती के लिये प्रायः सीमा | प्रायः सीमा और अन्य अर्हताएँ प्रीनियति की
दशा में लागू होंगी या नहीं | कैफियत |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | लागू नहीं | अन्य |

टिप्पणी : — मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III खण्ड-4 में पृष्ठ 1 में 80 तक संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना, दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किये गये थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गये :—

वी.के. पार्थसारथी, कार्यालय प्रदर्शक

- (1) संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना, दिनांक 1-4-87।
- (2) संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना, दिनांक 19-6-87।

3 \rightarrow Amendment

No. CWC/XIV-4/Ett. 2:—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Third) Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading ISOLATED CADRE, after serial number 3 relating to the post of Manager (Custom Bonding) and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

| Name of the post | Classification | No. of posts | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Method of Recruitment |
|------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| “3A. Senior Technical Examiner
Works) | Group ‘A’ | 1 | Rs. 1200-50-1700. | Selection | Deputation |

| In case of Recruitment by promotion/deputation, post from which to be made | Educational and other qualifications required for direct recruitment | Age limit for direct recruitment | Whether age limit and other qualifications will apply to promotee. | Remarks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DEPUTATION :
Suitable Officers of the Central Public Works Department/Military Engineering Service/Public Sector Undertakings under the Government of India having atleast three years experience in Civil Construction Works at the level of Executive Engineer or equivalent rank. | | | Not applicable | NIL |

V. K. PARTHASARATHY,
Personnel Manager

Note : The principle regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated the 28th February, 1986 in the Gazette of India—Extraordinary, Part III—Section 4 at pages 1 to 80 and subsequently amended vide :—
 (i) No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-87.
 (ii) No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 1988/माघ 9, 1909
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 1988/MAGHA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न हो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

संन्देश वे अरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था :—केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से तथा संन्देश
वे अरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संन्देश वे अरहाउसिंग कारपोरेशन, संन्देश वे अरहाउसिंग कारपोरेशन

(स्टाफ) विनियम, 1986 में पुनः संशोधन कर एवं द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम सन्ट्रल वेबरहाइसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) (बतुर्स संशोधन) विनियम, 1988 कहलायें।
 (2) ये भासकीय राजपद में प्रकाशन होने की विधि से सार्वजनिक।
2. सन्ट्रल वेबरहाइसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के अस्थिरण 2 में एकल संचार शीर्षक के अधीन कम से स्था 4 पर्सनल विविधि के पद संबंधित पद इससे संबंधित प्रविधियों के बाद निम्नलिखित कम से स्था तथा इससे संबंधित प्रविधियों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:—

| पद का नाम | वर्गीकरण
संख्या | पद की
संख्या | वेतनमान | चयन अथवा
गैर-चयन पद | भर्ती की
विधि |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "4क. कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक (निर्माण) | वर्ग "ख" | 2 | र. 650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-1000-द.रो.-40-1200 | चयन | प्रति-नियुक्ति |
| | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| प्रोफ्रेशनलियुक्ति | सीधी भर्ती के लिए | सीधी भर्ती के लिए | आयु सीमा व अन्य विधियाँ |
| द्वारा भर्ती के मामले में | अपेक्षित शैक्षिक | आयु सीमा | अहताएं क्या |
| पद का नाम | व अन्य अहताएं | | प्रोफ्रेशनलियुक्ति में लागू होंगी |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|---|---|-----------|-------|
| प्रतिनियुक्ति : | — | — | लागू नहीं | शून्य |

केन्द्रीय लोक निर्माण
विभाग/सेवा अधिकारी सेवा/भारत
सरकार के नियंत्रण में
सार्वजनिक उपक्रम में

नियमित विनियम

सरकार का दिलचस्पी: प्रशासनिक

नियमित विनियम
प्रत्येक सालों वर्षे का
व्यापक रूप से अधिक
व्यापक विविध अवधि
संबंधी स्तर/पद के
सुनिश्चित होती है।

वी. के. पाठीसारदी, कार्यालय प्रबन्धक

टिप्पणी:—मुख्य विनियम दिनांक 28-2-1986 की अधिसूचना सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था.
तथा उत्तरोत्तर संशोधन:—

1. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 1-4-87
2. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
3. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 29th January, 1988

NOTIFICATION

No.CWC/XIV-4/Ests:—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix II under the heading Isolated Cadre, after serial number 4, relating to the post of Security Officer and the

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II - SEC. 4]

entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

| Name of the post | Classification | No. of posts | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Method of recruitment |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "4A. Junior Technical Examiner
(Works). | Group 'B' | 2 | Rs. 650-30-740-
35-810-EB-35-
880-40-1000-
EB-40-1200. | Selection | Deputation |

| In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made | Educational and other qualifications required for direct recrt. | Age limit for direct recrt. | Whether age limit and other qualifications will apply to promotion | Remarks |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Deputation:
Suitable officers from Central Public Works Department/
Military Engineering Service/
Public Sector Undertakings under the Govt. of India having atleast two years experience in Civil Construction Works at the level of Assistant Engineer or equivalent rank. | — | — | Not applicable | Nil." |

V.K. PARTHASARATHY, Personnel Manager

NOTE:—The Principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-87.
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, KING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, गुरुवार, जून 24, 1988/ग्राषाढ़ 3, 1910

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 1988/ASADHA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

संटूल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत भवन का उद्घाटन)

नई दिल्ली, 24 जून, 1988

प्रधिकृतना

मे. नी. डब्ल्यू. मी./14-4/भा. —वेअरहाउसिंग कारपोरेशन व्यवस्थितयम्, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाएँ या व्यवस्था करते हुए संटूल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 1 से बंदूल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में व्यवस्था कर नियन्त्रित विनियम बनाती है, अस्ति:—

1. (1) इन विनियमों को संटूल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (टाफ़) (वार्षिक नियन्त्रण) विनियम, 1988 कहा जाएगा :

(2) ये विनियम व्यवस्थाएँ की तरीके से प्रकृत होंगे।

2. संटूल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (टाफ़) विनियम, 1986 के विनियम 68 के उपचिनियम (II) के रूपमें पर नियन्त्रित उपचिनियम होने प्रयोगः—

"(II) अपेक्षित जिम्मा आदेश के विद्युत करनी है, उसकी मंसुकता का वार्तावार से पैतालीय दिन के भीतर दावत की जायी :

इन्हें यह कि यदि अपेक्षित प्राविधिकी नलिका हो तो अपीलकारी व्यवस्था में निर्धारित अवधि में अर्थात् तीस दिन भवति तो वह उपचिनियम के नियम द्वारा के बाद भाग अपील को अड्डा नहीं खोता है।

"(III) अपेक्षित परिशिष्ट—III में विस्तृत द्वारा अपीलकारी मन्त्रालय की अपील और उस प्राविधिकी को प्रत्यक्षी की विस्तृत द्वारा अपील की गयी है। अपील उस नलिका को दायर की गयी मानी जाएगी जब लारीदाल को यह उस प्राविधिकी को प्रस्तुत की गयी है जिसके माध्यम के विस्तृत द्वारा अपील की गयी तो अपील अपीलकारी नामने के अपेक्षित प्राविधिकी विनियम के बाबत व्यक्ति या उपचिनियम में 15 दिन के अन्तर अपेक्षित प्राविधिकी यो सेव देगा। चारांहा अपीलकारी उम्मीद पर विवाद करेगा कि यह विनियम उपचिनियम II का बाहर जास्ति व्यापक है या अपेक्षित है अतः यह अपील प्राविधिकी की नियम ये तीन वर्षों के अंतर अपेक्षित द्वारा एक बार कर देगा। यानी अपीलकारी नामने की पूर्ण व्यवस्था, कम करने का अपावृत्त करने का अद्वितीय वायर का नियम दिव्यांशु के माध्यम से वायर करने की प्रक्रियाओं के ऊपर नियमित विनियम में उपचिनियम जो तो यह विनियम :

उल्लेख है कि यदि व्यक्ति अपीलकारी अपीलकर्ता की उपचिनियम व्यवस्था की उपचिनियम व्यवस्था है वह विनियम 68 के विषय (अ), (च), (छ) और (ज) में विस्तृत विवरणीय विवरण है और उस वायर से विनियम 61 में उपचिनियम जो तो यह हो की तो वायर ही को अपेक्षित प्राविधिकी

कारी यह निदेश दे कि ऐसा जांच विनियम 61 के उपबन्धों के भनुसार की जाएगी और उसके बाद जांच के अधिलेख पर विचार करेगा और ऐसे अदेश पास करेगा जैसा वह उचित समझेगा। यदि अपीली प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनिश्चय करता है, लेकिन विनियम 61 में उपबन्धित रूप में “हले ही जांच की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी कर्मचारी को इस बात का कारण बताओ नोटिस देगा कि वर्तों न बढ़ायी गई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए। अपीली प्राधिकारी, यदि कर्मचारी द्वारा कोई अव्यावेदन दिया जाता है, तो उस पर विचार करने के बाद अन्तिम आदेश पास करेगा”।

वी. के. पार्थसारथी, कार्मिक प्रबन्धक

टिप्पणी:—मूल विनियम सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:—

- (1) सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 1-4-1987
- (2) म. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. दिनांक 19-6-1987
- (3) सं. नी. डब्ल्यू. सी./14-4-/स्था. दिनांक 19-6-1987
- (4) सं. गी. डब्ल्यू. सी./14-4-/स्था. दिनांक 29-1-1988

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 24th June, 1988

NOTIFICATION

No. CWC|XIV-4|Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 1988.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 68 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, for sub-regulation (ii), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(ii) An appeal shall be preferred within forty five days from the date of communication of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the

said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within such time.

“(iii) The appeal shall be addressed to appellate authority specified in Appendix-I and submitted to the authority whose order is appealed against. The appeal shall be treated to have been filed on the day on which it was submitted to the authority whose order is appealed against and such authority shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the appellate authority within fifteen days therefrom. The appellate authority shall consider whether the findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months from the date of the receipt of appeal. The appellate authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case”.

Provided that if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (c), (f), (g) and (h) of Regulation 59 and an inquiry as provided in Regulation 61 has not already been held in the case, the appellate authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 61 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in Regulation 61, the appellate authority shall give a show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The Appellate Authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee”.

V. K. PARTHASARATHY, Personnel Manager

Note:—The principal regulations were notified vide No. CWC|XIV-4|Estt dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:—

- (1) No. CWC|XIV-4|Estt dated 1-4-1987
- (2) No. CWC|XIV-4|Estt dated 19-6-1987
- (3) No. CWC|XIV-4|Estt dated 19-6-1987
- (4) No. CWC|XIV-4|Estt dated 29-1-1988.



भारत का गज़ेट The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]
No. 18]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1989/ज्येष्ठ 19, 1911
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1989/JYAISTHA 19, 1911

इस भाग में फिल्म पृष्ठ कल्पना दो जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संस्कृत वेप्र कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1989

सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-3/रिकॉर्ड.

वेप्रहार्डिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58)
को धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ द्वा प्रदान करते हुए संस्कृत वेप्रहार्डिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार द्वारा दो दूर्दृष्टि से एक्स्ट्राम
संस्कृत वेप्रहार्डिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में संशोधन
कर निम्नलिखित विविध बदलाव हैं, अधीन:-

I. (1) इन विविधों को संस्कृत वेप्रहार्डिंग कारपोरेशन (स्टाफ) (छाया संशोधन) विनियम, 1989 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।

II. संस्कृत वेप्रहार्डिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986
के विनियम 42 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"42क. राजनीति में भाग लेना:—(i) कोई भी कर्मचारी किसी
भी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का

न तो सहस्र होगा और न किसी प्रकार इससे सम्बद्ध होगा, किसी
राजनीतिक संगठन अथवा संस्थान के भाग नहीं लेगा और
न ही सहायतार्थ चन्दा देने वाला किसी अन्य प्रकार ते सहायता
करेगा।

(ii) प्रतोड़ जनसंघ की यह अवृत्ति विवरण विवरण के लिये भी सदरू की रिपोर्ट दाता। विवरण प्राप्त नारकार
के विएड प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष हृष से कार्य करने वाले अथवा कर
भक्ति देने वाले अथवा कार्यकलाप में भाग लेने, सहायतार्थ
चन्दा देने, किसी अन्य प्रकार से सहायता देने से दूर रहेगा। यदि
कोई कर्मचारी अपने विविध के लिये यहाँ तो किसी ऐसे आम्ल-
लत अथवा कार्यकलाप में नहीं जो अपना लाभान्वय उत्ता देने
अथवा किसी अन्य प्रकार से सहायता करने से नहीं रोक सकेगा तो
यह कारपोरेशन को इस आशय को रिपोर्ट करेगा।

स्पष्टीकरण:—यदि यह प्रश्न उठता है कि यह कोई दल राजनीतिक
दल है अथवा कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है, कोई आन्दोलन अथवा
कार्यकलाप है नियम (i) और (ii) के अन्तर्गत आता है तो ऐसों
प्रवस्था में प्रवन्ध निवेदक का निर्णय अंतिम होगा।

४२८. चुनावों से भाग लेना:—फोर्ड थो कर्बचारो बोट नहीं जाते। न किसी अन्य प्रकार से विधान मंडल ग्रथा ल्यानोप सत्तावा के तुरंत में हस्तक्षेर करेगा और य भाग लेगा।

- (i) परन्तु यदि कोई कर्मचारी में भी किसी नृत्य में लोह आता है तो वह अपने बोड डाररे के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसका जब वह ऐसा करता है तो वह उन्हीं बताएगा कि वह इस प्रकार अपना बोड देगा अपना दे चुका है;

(ii) उस समय जिसी कर्मचारी द्वारा इस फिल्म के प्राचलनों का उत्पन्न लहों सवाल आएगा जब वह उस समय जागू किसी विधि हारा अवश्य इसके अवश्य सौरे यह कर्तव्य के क्षेत्रों में लाभान्वत रहेगा।

हस्तीदरोः—मैंने कई राएँ द्वारा प्राप्त होते हैं जैसे यद्यपि अपने निशाचर भय। यह जिसे चुगाव विड़ को प्रशंसित करता है वह विलियम के श्रध्योदय चुगाव में प्राप्त भवाव का प्रतीक करता समझा जाएगा।”

ए.न. भवेत्त, कानिक प्रपन्थक

टिप्पणी :—

दृष्टव विद्युति भौ. उम्मीदो. 14-4/सारां, फिल्ड 23-2-36
हारा अभियन्त्रित हो गए थे तब बार में विद्युति डाक चैकिटि
किए गए।

- | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1. सं. श्री. उद्धव. सो. / 14-4/स्था. | दिनांक | 1-4-1987 |
| 2. सं. श्री. उद्धव. सो. / 14-4/स्था. | दिनांक | 19-6-1987 |
| 3. सं. श्री. उद्धव. सो. / 14-4/स्था. | दिनांक | 19-6-1987 |
| 4. सं. श्री. उद्धव. सो. / 14-4/स्था. | दिनांक | 29-1-88 |
| 5. सं. श्री. उद्धव. सो. / 14-4/स्था. | दिनांक | 24-6-88 |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt of India Undertaking)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1989
NO. CWC/XIV-4/Recd.

New Delhi, the 9th June, 1989
NO. CWC/XIV-4/Recd.

NO. CWC|XIV-4|Rectt.

New Delhi, the 9th June, 1989
NO. CWC/XIV-4/Recd.

NO. CWC|XIV-4|Rectt.

In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

I. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Sixth Amendment) Regulations, 1989.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

II. After Regulation 42 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, the following regulations shall be inserted, namely :—

"42. A. Taking part in politics - (i) No employee shall be a member of, or otherwise

be associated with, any political party or any Organisation which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

- (ii) It shall be the duty of every employee to prevent any member of his family from taking part in subscribing in aid of, assisting in any other manner, any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be subversive of the Corporation or of the Government as by law established, where an employee is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Corporation.

Explanation.—If any question arises whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics, whether any movement or activity falls within scope of sub-regulation(i) and (ii), the decision of the Managing Director thereon shall be final.

42 B. Taking part in elections—No employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local authority,

(ii) Provided that an employee qualified to vote at such an election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation.—The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this regulation".

M. MASEEH, Personnel Manager

Note :-

The Principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estdt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 1-4-1987.
 2. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-6-87.
 3. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-6-87.
 4. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 29-1-88.
 5. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 24-6-88.



भारत का दृष्टिपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—पार्ट 4
PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 1989/अग्रहायण 3, 1911

No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 1989/AGRAHAYANA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह असाधारण संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सेंट्रल वेमरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

आधिकारिक

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1989

सं. मा. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्ट्रिक्ट--वेमरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल वेमरहाउसिंग कारपोरेशन के द्वारा सरकार का पूर्ण स्वीकृति से एन्ड द्वारा सेंट्रल वेमरहाउसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) विनियम, 1986 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, घर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेमरहाउसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) (सातवां संशोधन) विनियम, 1986 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी गजट में प्रकाशन की सारीष से प्रवत्त होंगे।

2. सेंट्रल वेमरहाउसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिचय-II में 'एफल संबंध' के प्रत्यक्ष विविध तकनीकी परिकल्पना (निर्माण कार्य) से संबंधित क्र.सं. 3 के बावजूद निम्नलिखित क्र.सं. दश इथो अंशित प्रतिष्ठित जोड़ी जाएगी घर्थात् :-

1

2

3

4

5

6

"3 (क) सतर्कता अधिकारी:

सम्मह "क"

4

1200-501600

(संशोधन पूर्व)

चयन

प्रतिनियुक्ति

7

8

9

10

11

प्रतिनियुक्ति:

हेंड्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारियों में से जिन्होंने ऐसे घेतनमान में जिसका न्यूनतम 650/- रु. (संशोधन पूर्व) हो, कम से कम चार वर्ष की सेवा की हो तथा सतर्कता एवं जांच कार्य का अनुभव हो तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों में कार्यरत अधिकारी स्तर के एवं इसना ही अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारियों में से।

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

गंद्य"

टिप्पणी --- मध्य विनियम सं. सी. डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 28-2-1986 द्वारा प्राधिसूचित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 1-4-1987
2. मं.सी. डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
3. सं.सी. डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
4. सं.सी. डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 29-1-88
5. सं.सी. डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 24-6-88
6. सं.सी. डब्ल्यू.सी./14-4/रिकूट दिनांक 9-6-89

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1989

No.CWC/XIV-4R(ctl).— In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Seventh Amendment) Regulations, 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II under the heading 'ISOLATED CADRE' after serial number 3 A relating to the post of Senior Technical Examiner (Works), the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|------------|
| Group 'A' | | | Rs. 1200-50-1600
(Pre-revised) | Selection | Deputation |
| •3(B)
Vigilance Officer | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Deputation :

Suitable Officers from Central Government with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- (pre-revised) and having experience of vigilance and inquiry work or suitable officers from Central Public Enterprises with similar experience at equivalent level.

| | | | |
|------|------|------|------|
| N.A. | N.A. | N.A. | nil* |
|------|------|------|------|

F.M. MASBEH, Personnel Manager

Note : --The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estd. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :--

1. No. CWC/XIV-4/Estd. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estd. dated 19-6-87.
3. No. CWC/XIV-4/Estd. dated 19-6-87.
4. No. CWC/XIV-4/Estd. dated 29-1-88
5. No. CWC/XIV-4/Estd. dated 24-6-88
6. No. CWC/XIV-4/Recd. dated 9-6-89.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

No. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 1990/आश्विन 27, 1912

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 1990/ASVINA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संन्दूल वेप्रहाउसिंग कारपोरेशन

7

(भारत सरकार का उपक्रम)

“पदोन्नति”

अधिमूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1990

स्थापत्य सहायक जिन्होंने उस पद पर 4 वर्ष की सेवा की है। ”

(2) “सामान्य प्रबन्ध संवर्ग” शीर्षक के अधीन :

(क) वैदेशी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 22 पर:

(i) कॉलम संख्या 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“प्रोन्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा”

(ii) कॉलम 8 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :-

8

“सीधी भर्ती”

सीनियर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण और आशुलिपि में 100
शब्द प्रति मिनट तथा टार्फिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की
गति होनी चाहिए। ”(iii) कॉलम 9 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :-

9
"25 वर्ष";

(ब) आशुलिपिक (हिन्दी) के पद से संबंधित कम संख्या 27, कॉलम 8 को प्रविट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविट प्रतिस्थापित की जाएगी भर्ता :

8

"हिन्दी विषय सहित मैट्रिक हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में कमश्व 80 शब्द प्रति मिनट और 40 शब्द प्रति मिनट की गति।"

(ग)

हिन्दी टाइपिंट (वेमरहाउस सहायक ग्रेड-II) के पद से संबंधित कम संख्या 32 के कॉलम 8 को प्रविट के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविट प्रतिस्थापित को जाएगी भर्ता :

8

हिन्दी एक विषय के साथ मैट्रिक तथा हिन्दी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की अनुभव गति, कार्यालय कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्रायमिकता दी जाएगी। (अन्यथा उपर्युक्त पाए गए शास्त्रात्मक रूप से विवलांग घटितयों के लिए टाइपिंग की गति की कोई शर्त नहीं होगी।)

कश्मीर सिंह, प्रबन्धक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी

मूल्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड-4 दिनांक 26-2-86 को अधिसूचित किये गये थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किये गये :

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 1-4-87
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 19-6-87
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 19-6-87
4. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 29-1-88
5. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 24-6-88
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 9-6-89
7. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्था. दिनांक 24-11-89

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1990

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Eighth Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986,—(1) under the heading "Engineering Cadre" against serial No. 5 relating to the post of Assistant Architect, in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7

"Promotion :

Architectural Assistants with four years' service in the post";

(2) Under the heading "General Management Cadre",

(a) against serial No. 22 relating to the post of Personal Assistant,—

(i) in column 6, from the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

6

"Promotion failing which by direct recruitment";

(ii) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Direct Recruitment Passed Senior Secondary (10+2). Should have 100 words per minute speed in Shorthand and 40 words per minute in type writing";

(iii) in column 9, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

9

"25 Years";

(b) against Serial No. 27 relating to the post of Stenographer (Hindi), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Matric with Hindi as one of the subjects. Should have 80 words per minute and 40 words per minute speed in Hindi Shorthand and Hindi Typing respectively";

(c) against serial No. 32 relating to the post of Hindi Typist (Warehouse Assistant Grade II), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Matric with Hindi as one of the subjects. with a minimum speed of 30 words per minute in Hindi Typing preferably with experience of office work. (Typing speed will however, be not a condition precedent for physically handicapped persons found otherwise suitable)".

KASHMIR SINGH, Manager (Personnel)

Foot Note : The principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 9-6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-11-1989



भारत का गज़त पत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 1990/कार्तिक 4, 1912

No. 33]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1990/KARTIKA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1990

सं. सी. डब्ल्यू सी. / 14-4 रिक्रूट :— वेअरहाउसिंग
कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण
निगम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय
भंडरण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन
कर निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम
(कर्मचारी) (नवां संशोधन) विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त
होंगे :

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम,
1986 के परिशिष्ट-2 में “सामान्य प्रबंध संवर्ग” शीर्षक
के अन्तर्गत महा प्रबन्धक के पद से संवंधित क्रम सं. 1 के
कालम 7 में “पदोन्नति” शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी
अर्थात् :—

“पदोन्नति”

निगम के 1800-2250 रु. के वेतनमान में ऐसे
श्रधिकारी जिन्होंने इस वेतनमान में कम से कम चार वर्ष
लगातार सेवा की हो।

श्राव. एन. दास, प्रबंध निदेशक
पाद टिप्पणी

मुख्य विनियम भारत के राजपत्र भाग 3 खंड 4
दिनांक 28-2-36 में ग. सी. डब्ल्यू सी. /14/4 भर्ती

दोनों अधिसूचित किये गए थे तथा वाट में निम्नलिखित दोनों इनमें संशोधन किया गया :—

1. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 1-4-87
2. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 19-6-87
3. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 19-6-87
4. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 29-1-88
5. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 24-6-88
6. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 9-6-89
7. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 24-11-89
8. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/भर्ती दिनांक 15-10-90

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1990

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Nineth Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, under the heading "General Management Cadre" against Sl. No. 1 relating to the post of General Manager, in Column 7, for the existing entry, under the heading "Promotion" the following entry shall be substituted namely :—

"Promotion.—Officers of the Corporation in the scale of Rs. 1800-2250 with at least 4 years of continuous service in the said scale."

R. N. DAS, Managing Director

FOOT NOTE :

The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Rectt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III Section-4 dt. 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 01-04-1987
2. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-06-1987
3. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-06-1987
4. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-01-1988
5. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-06-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, मुक्तवार, नवम्बर 30, 1990/ग्रहायण 9, 1912
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1990/AGRAHAYANA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को जाती हैं जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

ग्रधसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1990

सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती.—वेग्रहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1961 का 58) की धारा 42 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम
(कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं—

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (दसवां संशोधित) विनियम, 1990 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिषष्ट-II में "सामान्य प्रबन्ध संचर्ग" शीर्षक के अन्तर्गत नम सं. 44 के बाद निम्नलिखित नम संख्या एवं उनसे संबंधी प्रविज्ञाया जोड़ी जाएगी अथवा—

| नम सं. | पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की नं. | दंजनमाल | चयन पद है अथवा
मैर चयन पद |
|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| सामान्य प्रबन्ध संचर्ग | | | | | |
| 45. रोनियो आपरेटर | समूह "ग" | 14 | र. 260-6-326-
द.रो.-8-350 | मैर चयन पद | |
| 46. फैरो प्रिन्टर | समूह "ग" | 1 | र. 260-6-326-
द.रो.-8-350 | मैर चयन पद | |
| 47. वरिष्ठ स्टाफ बार ड्राइवर | समूह "ग" | 6 | र. 330-8-370-
10-400-द.रो.-
10-480 | मैर चयन पद | |
| 48. डिस्पेच राइडर | समूह "ग" | 1 | र. 260-6-326-
द.रो.-8-350 | चयन पद | |
| 49. रिकार्ड शॉटर | समूह "ग" | 1 | र. 260-6-326-
द.रो.-8-350 | मैर चयन पद | |
| 50. चयन ग्रेड दफ्तरी | समूह "घ" | 6 | र. 210-4-250-
द.रो.-5-270 | मैर चयन पद | |
| 51. कर्तिष्ठ कलाकार | समूह "ग" | 1 | र. 330-10-380-
द.रो.-12-500-
द.रो.-15-560 | | |
| 52. कापी होल्डर | समूह "ग" | 1 | र. 260-6-290-
द.रो.-6-326-
8-366-द.रो.-
8-390-10-400 | | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भर्ती की पद्धति | प्रोत्त्रति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे किस पद से की जानी हैं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती के लिए आयु, यादु सीमा और अन्य कैफियत अर्हताएं प्रोत्त्रति की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|--------|----|
| प्रोत्त्रति
100% | सीनियर ग्रेड डिस्ट्रिंग आपरेटर
सीनियर ग्रेड दफ्तरी
जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूरी की है तथा गेस्टेटर
मशीन चलाने का ज्ञान है
ऐसा संभव न होने पर 10 | — | — | लागू नहीं | शृंखला | |

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| प्रोत्तिः
100% | वर्ष की सेवा वाले दफतरी/
डिस्ट्रिंग आपरेटर/चौकीदार
ग्रेड-1 में से जिन्हें गेस्टेटनर
मशीन चलाने का अनुभव
है। | | | | | |
| प्रोत्तिः
100% | सीनियर ग्रेड डिस्ट्रिंग आपरेटर/
सीनियर ग्रेड दफतरी
जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा
पूरी की है तथा फैरो
प्रिंटिंग का ज्ञान रखते हैं।
ऐसा संभव न होने पर 10
वर्ष की सेवा वाले डिस्ट्रिंग
आपरेटर/दफतरी/चौकीदार
ग्रेड-1 जिन्हें फैरो प्रिंटिंग
कार्य का अनुभव है। | -- | -- | लागू नहीं | शून्य | |
| प्रोत्तिः
100% | पद पर 8 वर्ष की सेवा वाले | -- | -- | लागू नहीं | शून्य | |
| प्रोत्तिः
100% | स्टाफ कार ड्राइवरों में से | | | | | |
| प्रोत्तिः
100% | सीधी भर्ती | सीधी भर्ती | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य | |
| अन्यथा | समूह “ब” के कम्बिएरियों
में से जो आठवीं कक्षा पास
हैं एवं उनके पास मोटर
साइकिल/हल्का वाहन चलाने
का अनुभव होना चाहिए
यथार्थे कि ड्राइविंग ट्रैस्ट में
उत्तीर्ण करें। | (1) आठवीं कक्षा पास
(2) मोटर साइकिल/
हल्का वाहन चलाने
का मात्र्य लाइसेंस
(3) मोटर साइकिल
यथार्थे कि ड्राइविंग ट्रैस्ट में
उत्तीर्ण करना होगा। | | | | |
| प्रीर्धी भर्ती
द्वारा | पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले | -- | -- | लागू नहीं | शून्य | |
| प्रोत्तिः
100% | सीनियर ग्रेड दफतरी | -- | -- | | | |
| प्रोत्तिः
100% | पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले | -- | -- | कागू नहीं | शून्य | |
| प्रीर्धी भर्ती
100% | दफतरी | -- | -- | | | |
| प्रीर्धी भर्ती
100% | -- | (1) सीनियर रक्कम
प्रमाण-पत्र
(2) कल/वाणिज्यिक
कला में किसी मान्यता
प्राप्त नस्था से
दिल्लीया | 30 वर्ष | लागू नहीं | शून्य | |
| प्रीर्धी भर्ती
100% | -- | (1) सीनियर रक्कम
प्रमाण-पत्र
(2) प्रृकरीडिंग एक
वर्ष का अनुभव | 25 वर्ष | लागू नहीं | प्रोत्तिः के उद्देश्य
के लिए वैश्वरहाऊम
सहायक ग्रेड-2 के
साथ विचार
किया जाएगा। | |

(3) केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम 1986 के परिशिष्ट-II में “अभियांत्रिकी संवर्ग” शीर्षक के अन्तर्गत कम सं. 17 के बाद कम संख्या 18 एवं उत्तर संबंधी प्रविलिट्यां जोड़ी जाएंगी अर्थात् :—

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं. | वेतनमान | चयन पद है अथवा
गैर चयन पद | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| अभियांत्रिकी संवर्ग | | | | | |
| 18. मैकेनिकल पर्यवेक्षक | समूह “ग” | 1 | रु. 260-6-326-
द.रो.-8-1350 | चयन | |
| भर्ती की प्रोब्रति/प्रतिनियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती किए जाने सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अन्य कीफियत पद्धति भर्ती को दशा में वे किस वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा अर्हताएँ प्रोब्रति की दशा में लागू होंगी या पद से की जानी है शैक्षक तथा अन्य अर्हताएँ नहीं | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| सीधी भर्ती
100% | -- | अनिवार्य :
(1) फोटो ट्रैड अथवा
मैकेनिक ट्रैड में
आई. टी. आई.
प्रमाण-पत्र
(2) ट्रैड का 2 वर्ष
का अनुभव
वांछनीय :
मैट्रीकुलेशन अथवा
समकक्ष। ट्रैड ट्रेस्ट के
आधार पर चयन
किया जाएगा। | 35 वर्ष | लागू नहीं | शून्य |

कर्मीर मिह, कार्मिक प्रबन्धक

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खंड 4 दिनांक 28-2-1986 में सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्था. द्वारा प्रधिसूचित किए गए तथा वाद में निम्न द्वारा इनमें संशोधन किया गया :—

- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 1-4-1987
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 19-6-1987
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 19-6-1987
- सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ती, दिनांक 29-1-1988
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 24-6-1988
- सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ती, दिनांक 9-6-1989
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 24-11-1989
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 15-10-1990
- सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 26-10-1990

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1990

No. CWC/XIV-4/Recd.—In exercise of powers conferred by Section-42 of Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (STAFF) Regulations, 1986, namely:—

(1) (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Tenth Amendment) Regulations, 1990.
(ii) These shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(2) In the Central Warehousing Corporation (STAFF) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading 'General Management Cadre', after serial number 44, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

| Sl. No. | Name of Post | Classification | No. of post. | Scale of Pay | Whether Selection post or non-selection post |
|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

GENERAL MANAGEMENT CADRE

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|---------------|
| 45. Ronco Operator | Group 'C' | 14 | Rs. 260-6-326-EB-8-350 | Non-selection |
| 46. Ferro Printer | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-326-EB-8-350 | Non-selection |
| 47. Senior Staff Car Driver | Group 'C' | 6 | Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480 | Non-selection |
| 48. Despatch Rider | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-326-EB-8-350 | Selection |
| 49. Record Sorter | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-326-EB-8-350 | Non-selection |
| 50. Selection Grade Dafty | Group 'D' | 6 | Rs. 210-4-250-EB-5-270 | Non-selection |
| 51. Junior Artist | Group 'C' | 1 | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 | — |
| 52. Copy Holder | Group 'C' | 1 | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400 | — |

| Method of Recd. | In case of recd. by promotion/deputation, posts from which to be made | Educational & other qualifications required for direct recd. | Age limit for direct recd. | Whether age limit & other qualifications will apply to promotees. | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Promotion 100% | SGDO, SG Dafty with 7 years service and having knowledge of operating Gestetner machine, failing which from Dafty/DO/ Chowkidar Gr.-I with 10 years service & having knowledge of operating Gestetner machine. | — | — | N.A. | Nil | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|
| Promotion 100% | SGDO/SG Dastry with 7 years service and having knowledge of ferro printing work, failing which DO/Dastry/Chowkidar Gr-I with 10 years service and having knowledge of Ferro Printing work. | — | — | N.A. | Nil |
| Promotion 100% | From amongst staff car drivers with 8 years service in the post. | — | — | N.A. | Nil |
| Promotion 100% failing Promotion which by direct recrt. | From amongst Gr. 'D' employees who are 8th Std. pass possessing valid licence for driving motor cycle/light vehicle and have experience of driving a motor cycle/light vehicle subject to passing the driving test. | Direct recrt.
(i) 8th Standard pass.
(ii) Valid licence for driving motor cycle/light vehicle.
(iii) 3 years experience of driving a motor cycle or light vehicle. The candidate will be required to pass the driving test. | 30 years | N.A. | Nil |
| Promotion 100% | SG Dastryies with 5 years service in the post | — | — | N.A. | Nil |
| Promotion 100% | Dastryies with 5 years service in the post | — | — | N.A. | Nil |
| Direct Recrt. 100% | — | (i) Senior School 30 Certificate.
(ii) Diploma in Art/Commercial Art from a recognised Institution. | 30 yrs. | N.A. | Nil |
| Direct Recrt. 100% | — | (i) Senior Shcool Certificate
(ii) One year experience of proof reading. | 25 yrs. | N.A. | For purpose of promotion will be considered along with WAG-JI. |

(3) In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading "Engineering Cadre", after serial number 17, the Serial No. 18 and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

| Name of Post | Classification | No. of posts | Sacle of posts | Whether Selection post or Non-selection post |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ENGINEERING CADRE

| 18. Mechanical Supervisor | Group 'C' | 1 | Rs. 260.6-326.EB.8-350 | Selection | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Method of Recrt. | In case of recrt. by promotion/deputation, posts from which to be made | Educational & other qualifications required for direct recrt. | Age limit for direct recrt. | Whether age limit and other qualifications will apply to promotees | Remarks |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Direct recrt. 100% | — | Essential
(i) E.T.I. Certificate in Fitter's Trade or Machinist Trade.
(ii) 2 years experience in the Trade.
Desirable
Matriculation or equivalent.
Selection to be made on the basis of trade test. | 35 yrs. | N.A. | Nil |

FOOT NOTE : The Principal Regulations were Notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4 dated 28-2-1986, and subsequently amended vide:-

1. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 1.4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Recit. dated 19.6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19.6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29.1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24.6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9.6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990
9. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Sections 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ल. 42]

मई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 1990/अग्रहायण 30, 1912

No. 42) NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 1990/AGRAHAYANA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे फिर यह प्रत्येक संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 दिसम्बर, 1990

सं. सी. डब्ल्यू. सी./एक्स आई बी-4/भर्ती:—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) घारहवां संशोधन विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन कर्मचारी विनियम, 1986 (जिहे वाद में कथित विनियम कहा गया है) के विनियम

24 के खण्ड-4 के न्याय पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(1) निम्नलिखित प्राविकारी किसी व्यक्ति को उसकी आरपित नियमित व्यवसाय चयन नियमी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा व्यापारों को रिकार्ड करने हुए अधिक से अधिक पांच वेतन वृद्धि देकर उच्चतर वेतन देने की अनुमति दे सकता है। गिरेशक मण्डल के पूर्व अनुमोदन से असाधारण परिस्थितियों में योग्यता पर पांच वेतन वृद्धियों से अधिक की अनुमति दी जा सकती है।

3. संदर्भित विनियमों के विनियम 56 के उपविनियम

(4) के वाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस प्रकार की आगामी जांच के आदेश तब तक नहीं दिये जाएंगे जब तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि

न्यायालय ने मामले की गृणाखण पर ध्यान दिए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर आदेश पारित किए हैं।"

कश्मीर सिंह, प्रबन्धक कार्यालय

टिप्पणी : मुख्य विनियमों को सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 28-2-86 द्वारा अधिसूचित किया गया था एवं तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किया गया :—

| | |
|-----------------------------------------|----------|
| (1) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 1-4-87 |
| (2) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 19-6-87 |
| (3) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 19-6-87 |
| (4) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 21-9-87 |
| (5) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 24-6-90 |
| (6) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 9-6-90 |
| (7) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 24-11-90 |
| (8) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 15-10-90 |
| (9) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 26-10-90 |
| (10) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 30-11-90 |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1990

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation with the prior approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Eleventh Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 24 for clause (iv) the following clause shall be substituted, namely :—

(iv) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, allow higher pay not exceeding five increments to a person on his initial appointment. In exceptional circumstances and on merits of each case more than five increments may be allowed with the prior approval of the Board of Directors.

3. In the said Regulations, in Regulation 56, after sub-regulation (iv) the following proviso shall be added, namely :

"Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case."

KASHMIR SINGH, Personnel Manager

NOTE.—The principle Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estdt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

- (i) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 1-4-87.
- (ii) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-87.
- (iii) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-87.
- (iv) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-9-88.
- (v) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-6-88.
- (vi) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-89.
- (vii) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89.
- (viii) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-90.
- (ix) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90.
- (x) No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90.

121K Amendment

राजस्व सं. नं. (डी.ए.ए.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 1991/माघ 19, 1912

No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1991/MAGHA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है इससे कि यह अलग संकाहन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपकरण)

भविष्यवता

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991

मंद्या : सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/सर्टी :—वेग्रहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58)
की धारा 42 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भण्डारण निगम, केन्द्रीय सरकार के

348GI/91

(1)

प्रत्युमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में मंशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, प्रथम् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (वारहवां संशोधन) विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के “सेवा की सामान्यता” शीर्षक के अध्येता अध्याय-II में “पदों के सजन” से संबंधित विनियम 5 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, प्रथम् :—

प्राधिकारी

पद का प्रवर्ग

निदेशक भंडल

निदेशक भंडल में शामिल पदाधिकारियों के लिए लागू वेतनमानों में कम वेतनमान का निदेशक भंडल के दीचे के स्तर दा कोई पद।

अद्वितीय, दाता, प्रबन्ध निदेशक

बाद टिप्पणी :

मृदृष्ट विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3, खण्ड 4, दिनांक 28-2-1986 में संख्या दी: इडल्यू श्री./14-4 भर्ती द्वारा आधिकारित किये गये थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये :—

1. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 1-4-1987.
2. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19-6-1987.
3. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19-6-1987.
4. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 29-1-1988.
5. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24-6-1988.
6. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 9-6-1989.
7. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24-11-1989.
8. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 15-10-1990.
9. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 26-10-1990.
10. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 31-11-1990.
11. संख्या श्री.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 21-12-1990.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1991

No.CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twelfth Amendment) Regulations, 1991.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Chapter-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading 'General conditions of service' against Regulation 5, for the existing entry, under the heading 'Creation of posts' the following entry shall be substituted namely:—

| Authority | Category of post |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board of Directors | Any post below the Board of Directors level on the scales of pay which are below the scales of pay applicable to those on the Board level. |

R. N. DAS, Managing Director

FOOT NOTE:

The principle Regulations were notified vide No.CWC/XIV-4/Rectt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section-4 dated 28-2-1986 and Subsequently amended vide:

1. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 1-4-1987.
2. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987.
3. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987.
4. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-1-1988.

5. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-6-1988.
6. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989.
7. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989.
8. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990.
9. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990.
10. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 31-11-1990.
11. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990.

13th Amendment

रजस्ट्री सं. नं. (डी.एच.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का अजापत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—हिंदू 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 1991/वैशाख 27, 1913
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 1991/VAISAKHA 27, 1913

इस भाग में दिनांक पृष्ठ रखना यों जाती है कि वह अलग संख्याएँ के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 2
separate compilation

केन्द्रीय भण्डारण नियम

(भारत सरकार का उपायम्

प्रधिकारना

नई दिल्ली, 17 मई, 1991

संघ्या के भ. नि. / 14-4-भर्ती—वेत्रहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962
(1962 का 58) की धारा 42 हारा प्रदत्त अविसर्यों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय
सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण नियम एलद्वारा केन्द्रीय भण्डारण नियम
(कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करते हुए निष्पत्तिवित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) तेरहवां संशोधन
विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) ये राजसत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्गचारी) विनियम, 1986 के विनियम 52 के उप-विनियम (iii) में "2,500 रुपये" अंकों एवं शब्दों के लिए समूह "क" तथा समूह "ख" के मामले में "10,000 रु." तथा समूह "ग" एवं समूह "घ" के मामले में "5,000 रु." अंग एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

रवि ना. दास, प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी:— मुख्य विनियम में के. भ. नि. 14-4-स्था दिनांक 28-2-1986 द्वारा प्रविधिसूचित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए।

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट 1 दिनांक 1-4-1987
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 19-6-1987
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 19-6-1987
4. संख्या गो. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 29-1-1988
5. संख्या गो. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 24-6-1988
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिकूट दिनांक 9-6-1986
7. संख्या सी. डब्ल्यू. गो. 14/5 रिकूट दिनांक 24-11-1989
8. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिकूट दिनांक 15-10-1990
9. संख्या गो. डब्ल्यू. सी 14/4 रिकूट दिनांक 26-10-1990
10. संख्या सी. डब्ल्यू. गो. 14/4 रिकूट दिनांक 30-11-1990
11. संख्या सी. डब्ल्यू. सी 14/4 रिकूट दिनांक 21-12-1990
12. संख्या सी. डब्ल्यू. सी 14/4 रिकूट दिनांक 08-02-1991

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 1991

No. CWC XIV-4, Rect.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

- I. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff), Thirteenth Amendment Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

H. In regulation 52 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in sub-regulation (iii), for the letters and figures "Rs. 2,500", the words, letters and figures "Rs./ ८,००० in case of Group 'A' and group 'B' employees and Rs. ५,००० in case of Group 'C' and Group 'D' employees" shall be substituted.

R. N. DAS, Managing Director.

Note.—The Principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4|Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :

1. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 1-4-1987.
2. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 19-6-1987.
3. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 19-6-1987.
4. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 29-1-1988.
5. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 24-06-1988.
6. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 9-6-1989.
7. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 24-11-1989.
8. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 15-10-1990.
9. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 26-10-1990.
10. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 30-11-1990.
11. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 21-12-1990.
12. No. CWC/XIV-4|Recrt. dated 8-2-1991.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, 4, 1091/आश्विन 12, 1913
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 1991/ASVINA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तथा दो जाती हैं जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय बंडारण नियम
(भारत सरकार का उपकरण)
प्रधानमंत्री
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1991

सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती:- वेश्वरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) को आया 42 द्वारा प्रदत्त गणितमें
का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय बंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर केन्द्रीय बंडा-
रण नियम निम्नलिखित विविध बदलाव हैं, घराना:-

1. (1) इन विविधों को केन्द्रीय बंडारण नियम (कर्मचारी) ओद्धां संशोधन विनियम, 1991 द्वारा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से यागू होंगे।
2. केन्द्रीय बंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिणाम-II में इंजीनियरिंग संबंधी शीर्षक के घोषना:-
- (1) प्रबन्धक (इंजीनियरिंग) के बदले संबंधित कम संक्षय ! तथा उससे संबंधित प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया
जाएगा घराना:-

1

2

3

4

5

6

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "1. मुख्य प्रसिद्धि | मूल "क" | 1 | ₹. 1800-100-
2000-125/-
2250 | घयन | प्रोत्तिः द्वारा मन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्था-
नान्वरण द्वारा और मन्यथा सीधी
भर्ती द्वारा। |
|---------------------|---------|---|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 7 | 8. | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| पदोन्नति : | संक्षिक अर्हता : | 45 वर्ष | लागू नहीं | शुल्क |
| भ्रष्टीकारक प्रभियंता जो उस घेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। | किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लो। स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। | | | |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : | अनुभव : | | | |
| (1) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में समान पदों पर कार्य करने वाले भ्रष्टीकारी अध्यवा | किसी सरकारी विभाग/सरकारी संस्था/वाणिज्यिक संस्था में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम केन्द्रीय सरकार के अधीन भ्रष्टीकार प्रभियंता के पद पर 3 वर्ष का अनुभव हो। | | | |
| (2) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में अधीकारक प्रभियंता के पद पर 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखने वाले भ्रष्टीकारी। | | | | |
| (2) संयुक्त प्रबन्धक (इंजीनियरिंग)/भ्रष्टीकारक प्रभियंता से संबंधित क्रम सं. 2 तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|----------|---|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| "2. भ्रष्टीकारक प्रभियंता | समूह "क" | 5 | ₹. 1500/-
60-1800. | चयन | (क) 75 प्रतिशत प्रोत्साहित द्वारा मन्यवा |
| | | | | | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा मन्यवा सीधी भर्ती हारा। |
| | | | | | (ख) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती हारा मन्यवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण हारा। |

| 7 | 8. | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| पदोन्नति : | संक्षिक अर्हता : | 45 वर्ष | लागू नहीं | शुल्क |
| भ्रष्टीकारी प्रभियंता/कार्य सर्वेक्षक/संरचनात्मक इंजीनियर जो उस घेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। | किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लो। स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। | | | |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : | अनुभव : | | | |
| (1) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में समान पदों पर कार्य कर रहे विविल इंजीनियरिंग स्नातक अध्यवा | किसी सरकारी विभाग/सरकारी संस्था/वाणिज्यिक संस्था में केन्द्रीय सरकार के अधीन भ्रष्टीकार प्रभियंता के पद का 6 वर्ष का अनुभव। | | | |
| (2) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में भ्रष्टीकारी प्रभियंता समकक्ष पद पर 6 वर्ष का अनुभव रखने वाले विविल इंजीनियरिंग स्नातक। | | | | |

| |
|-------------------------------------------------|
| सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 1-4-87 |
| 2. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-87 |
| 3. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-87 |
| 4. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-1-88 |
| 5. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-6-88 |
| 6. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 9-6-89 |
| 7. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 24-11-89 |

सी. डी. पटनायक, प्रबन्धक कार्मिक

टिप्पणी :—मुख्य विनियम 28-2-1986 की संस्था सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना द्वारा भित्तिचित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए।

8. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 18-10-90
 9. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 26-10-90
 10. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 30-11-90
 11. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 21-12-90
 12. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 8-2-91
 13. सी. छल्लू, सी./14-4/मर्ती दिनांक 17-5-91

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th Oct. 1991

No.CWC/XIV-4/Recd.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (fourteenth Amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, under the heading ENGINEERING Cadre,—

(i) for serial number 1 relating to the post of Manager (Engineering) and entries there-to, the following shall be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| "1. Chief Engineer | Group 'A' | 1 | Rs.1800-100-2000-
125/2-2250. | Selection | By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|----|----|
|---|---|---|----|----|

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| Promotion : | Educational Qualifications : | 45 years. | Not applicable. | Nil"; |
| Superintending Engineers with
3 years regular service in the
grade. | A degree in Civil Engineering
from a recognised University.
Preference shall be given to candidates with post-Graduate qualification. | | | |
| Transfer on deputation : | | | | |

- (i) Officers holding analogous posts in Central Government/ Public Institution/
OR
(ii) Officers of the rank of Superintending Engineer having 3 years experience in the post in Central Government/Public Institution.
- Experience : 10 years experience in any Government Department/Public Institution/Commercial Organisation, out of which atleast 3 years' experience should be in a post of the rank of Superintending Engineer under the Central Government.

(ii) for serial number 2 relating to the post of Joint Manager (Engineering)/Superintending Engineer and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Selection. | 6 |
|------------------------------|-----------|---|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| "2. Superintending Engineer. | Group 'A' | | Rs. 1500-60-1800. | | (a) 75% by promotion, failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.
(b) 25% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation. | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| Promotion : | Educational Qualifications : | 45 Years. | Not applicable. | "Nil". |
| Executive Engineer/Surveyor of Works Structural Engineer with six years' regular service in the grade. | A degree in Civil Engineering from a recognised University. Preference shall be given to candidates with Post-Graduate qualification. | | | |
| Transfer on deputation : | Experience : | | | |
| (i) Civil Engineering Graduates holding analogous posts in Central Government/Public Institution. | Six years' experience in a Government Department/Public Institution/Commercial Organisation in a senior position of the rank of Executive Engineer under Central Government. | | | |
| OR | | | | |
| (ii) Civil Engineering Graduates holding the post of Executive Engineer or a comparable post with six years experience in the post in Central Government/Public Institution. | | | | |

B.B. PATTANAIK, Personnel Manager.

Note : The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dt. 1-4-87
2. CWC/XIV-4/Estt. dt. 19-6-87
3. CWC/XIV-4/Estt. dt. 19-6-87
4. CWC/XIV-4/Estt. dt. 29-1-88
5. CWC/XIV-4/Estt. dt. 24-6-88
6. CWC/SIV-4/Rectt. dt. 9-6-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 8-2-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 17-5-1991



15th Amendment

भारत का जनपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड ४ +
PART III—Section 4

PUBLISHED BY AUTHORITY

£.0-491

नई दिल्ली, शुक्रवार विसम्बर 18, 1992/अप्रृष्टायण 27, 1992

No. 49] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 1992/AGRHYANA 27, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती हैं जिससे कि पहले संकाशन के लिए में रखा था स्क्रीन

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

केन्द्रीय पंडारण नियम

(भारत सरकार का डाकघर)

प्रधिकार

नं६ दिनां, १८ दिसंबर १९९०

ग. सोः डॉ॒ : सोः / 14-4/पर्याः ॥—वेचकाऽविग्रह कार्यप्रेरण
परिवित्यम्, १९६२ (१९०२ वा '५८) को घाटा ४२ द्वारा प्रदत्त अधिकारी
का प्रपोग करने हुए केंद्र संस्कार का पूर्ण स्वोहति से केन्द्रोप्य भंडारण
विषय प्रदर्शय केन्द्रोप्य भंडारण निपाम (कर्मवारोपण) दिनियम,
१९८६ में संस्थान कर निर्मालिति विनियम बनाता है। इसपर—

1 (1) इन दिनिकों का केव्रीय भंडारन नियम (कर्वचारोग) (15वीं संसोधन) दिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) ये यादेवत में प्रकाशित होने का जारी रखे जाएं हों।

३. केन्द्रीय वैदारण निगम (कर्नवारो) विनियम, १९८६ के विनियम ४२ के स्वातन पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्वाक्षित किया जायेगा। प्रधार्थत :—

43 "ZESTA".

(1) इन नियमों में पदा "उपरिक्षत के नियम," नियम का कोई नवचारों न तो स्वयं है उहार प्रहण करेगा यीर न भपने परिवार के किसी सत्त्य को या प्रत्येकों से कार्यक्रम रहे कि किसीम पर्याप्ति को कोई उहार प्रहण करते को प्रत्यक्षित होए।

साहित्यकाण्ड

“चपहार” पद के प्रत्यक्षित निश्चल वरिवहन, भीमन व्यवस्था, निदास प्रदान घट्य सेवा या प्रभ्य काई धन संरक्षण लग सम्बितिहै जो किसी निकटतम तरंगी प्रदान व्यक्तिगत निव वित्तान रूप चाहे के साथ कोई पदोन्न व्यवहार न हो, न दिल किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाये।

टिप्पणी (१) : भारतीय नोडन, तिस्त तथा थम्ब भारतीय प्रतिष्ठ इंदू के उद्घार नहीं माना जाश्वेत।

टिप्पणी (२) : निगम का कोई कानून वाले वित्तीय व्यवस्था में अंतर्भुक्त नहीं है। इसका कानून वाले वित्तीय व्यवस्था कोई नहीं है। इसका कानून वाले वित्तीय व्यवस्था कोई नहीं है।

(1)

(ii) विशाह, यरमो, मन्देविंद प्रबद्धा ग्रामीक भवत्तरों २५ भवसरों पर जर्चर उत्तर देने प्रवसित भारिक या सामाजिक प्रथा के घनुसार हो, नियम का कर्मचारी परने निकट संबंधियों ने उत्तर प्रह्लण वर सोना किन्तु यदि उत्तर लोक निवलितित हो प्रधिक है तो उपरोक्त गृहना सभाप्राधिकारी को देता।

(क) समूह "क" प्रबद्धा "ध" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 1000 रुपये।

(घ) समूह "ग" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 500 रुपये।

(ग) समूह "घ" के किसी पर पर कार्यकर रहे कर्मचारी के मामले में 200 रुपये।

(iii) उत्तरायण (2) में विनियम किसी प्रवसर पर नियम का कोई कर्मचारी परने नियम मित्रों से उत्तर प्रह्लण कर सकता भिन्नके साथ उसका कोई वदय संबंध न हो किन्तु यदि किसी ऐसे उत्तर का मूल्य निवलितित से प्रधिक है तो उसकी सूचना सभाप्राधिकारी को देता।—

(क) समूह "क" प्रबद्धा "ध" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 100 रुपये।

(घ) समूह "ग" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 200 रु।

(ग)-समूह "घ" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 100 रु।

(iv) किसी भव्य दशा में यदि उत्तर सो गृह निवलितित से प्रधिक न हो तो नियम का कोई कर्मचारी सभाप्राधिकारी सो स्वीकृति के दिन उत्तर प्रह्लण नहीं होता।

(रु) उत्तर "क" प्रबद्धा "ध" के किसी पर पर कार्य कर रहे कर्मचारी के मामले में 150 रुपये।

(घ) समूह "ग" प्रबद्धा "घ" के किसी पर पर कार्यकर रहे कर्मचारी के मामले में 50 रुपये।

(v) उत्तरायण (ii) (iii) वा (iv) में किसी बात के होते हुए नियम का कर्मचारी गालेंगे प्रतिनिविष्टत के सदस्य के रूप में प्रबद्धा घन्या, किसी विदेशी गालान्य व्यक्ति से उत्तर प्राप्त कर सकता है तथा उन्हे खावा जाता है वरन्ते किसी एक प्रवसर पर प्राप्त किये गये उत्तरों का यत्तर मूल्य 1000 रुपये से प्रधिक न हो। शन्दर तपो गमनों के दौरान सोना उत्तर स्वीकृत करने तथा उन्हे खाने पर गारंड उत्तर तथा मनवन्नमय पर जारी घटुदेश जागू होगा।

(vi) नियम का कोई कर्मचारी किसी ऐसी विदेशी फैल, नियम भारत सरकार के साथ डेना किया जाया है प्रबद्धा विज्ञके दाय नियम के कर्मचारी के पदय संबंध रहे तथा है प्रबद्धा विज्ञके साथ पदय संबंध होने का अन्मानना है ऐसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं करेगा। कर्मचारी द्वाय किसी प्रभय क्षमं से उत्तरों को स्वीकृत पर उत्तरायण (4) के प्रावद्यान लाना नहीं।

बो.दो. वटनायक, प्रबद्धक (कामिक)

टिप्पणी :—

मूल्य विनियम सं. सो. डल्लू. ता. /14-4/सामना दिनांक 28-2-1986 द्वारा प्रधिकूचित किये गये तथा बार में नियम द्वारा संशोधित किये गये।

1. सो. डल्लू. सो. 14-4 सामना दिनांक 14-1-1987
2. सो. डल्लू. सो. 14-4 सामना दिनांक 19-6-1987
3. सो. डल्लू. सो. 14-4 सामना दिनांक 19-6-1987
4. सो. डल्लू. सो. 14-4 सामना दिनांक 29-1-1988
5. सो. डल्लू. सो. 14-4 सामना दिनांक 24-6-1988
6. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 9-6-1989
7. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 15-10-1990
9. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 8-2-1991
13. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 17-5-1991
14. सो. डल्लू. सो. 14-4 भर्ती दिनांक 4-10-1991

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1992

No. CWC/XIV-4/Recd.—In exercise of powers conferred by Section-42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Fifteenth Amendment) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, for-regulation 47, the following regulation shall be substituted, namely :—

47. "GIFTS":—

(i) Save as provided in these Regulations, no employee of the Corporation shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation :—The Expression 'gift' shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee.

Note (1) : A casual meal, list or other social hospitality shall not be a gift.

Note (2) : An employee of the Corporation shall avoid accepting lavish or frequent hospitality from

any individual, industrial or commercial firms, organisations, etc. having official dealings with him.

(ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, an employee of the Corporation may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the competent authority, if value of any such gifts exceeds:—

- (a) Rs. 1000 in the case of an employee holding any Group 'A' or 'B' posts;
- (b) Rs. 500 in the case of an employee holding any Group 'C' posts; and
- (c) Rs. 200 in the case of an employee holding any Group 'D' posts,

(iii) On such occasions as are specified in sub-Regulation (ii) an employee of the Corporation may accept gifts from his personal friends having no official dealing with him, but he shall make a report to the competent authority, if the value of any such gift exceeds:—

- (a) Rs. 400 in the case of an employee holding any Group 'A', or 'B' posts;
- (b) Rs. 200 in the case of an employee holding any Group 'C' posts; and
- (c) Rs. 100 in the case of an employee holding any Group 'D' posts.

(iv) In any other case, an employee of the Corporation shall not accept any gift without the sanction of the competent authority, if the value of the gift exceeds:—

- (a) Rs. 150 in the case of an employee holding any Group 'A' or 'B' posts, and
- (b) Rs. 50 in the case of an employee holding any Group 'C' or 'D' posts.

(v) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (ii), (iii) and (iv), a Corporation's employee being a member of Indian Delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries, if the market value of gifts received on one occasion does not exceed Rs. 1000. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

(vi) A Corporation's employee shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the Government of India or is one with which the Corporation employee has/had or is likely to have official dealings. Acceptance of gifts by an employee from any other firm shall be subject to the provisions of sub-regulation (iv).

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note :—

The principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide Nos :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988.
6. CWC/XIV-4/Recd. dated 9-6-1988.
7. CWC/XIV-4/Recd. dated 24-11-1989.
8. CWC/XIV-4/Recd. dated 15-10-1990.
9. CWC/XIV-4/Recd. dated 26-10-1990.
10. CWC/XIV-4/Recd. dated 20-11-1990.
11. CWC/XIV-4/Recd. dated 21-12-1990.
12. CWC/XIV-4/Recd. dated 8-2-1991.
13. CWC/XIV-4/Recd. dated 17-5-1991.
14. CWC/XIV-4/Recd. dated 4-10-1991.

1675 Amendment

रजस्ट्री नं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92



भारत का द्वापत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1992/पौष 8, 1914
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1992/PAUSA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पुँछ संख्या दी जाती है जिससे इक यह भाग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1992

सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ती—वैश्वरहाउसिंग, कारपोरेशन प्रधिनियम, 1962
(1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय

3158 GI/92

(1)

सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारीगण) विनियमावली, 1986 में संशोधन कर केन्द्रीय भण्डारण निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारीगण) (सोलहवां संशोधन) विनियम, 1992 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारीगण) विनियमावली, 1986 के परिशिष्ट-II में तकनीकी संवर्ग में क्रम संख्या 7 पर तकनीकी सहायक के पद से संबंधित कालम 5, 6, 8 एवं 9 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्: “गैर चयन”, “100% पदोन्नति द्वारा”, “लागू नहीं” तथा “लागू नहीं”।

बी. बी. पटनायक, प्रबन्धक (कार्मिक)

टिप्पणी :—

मुख्य विनियम सं. रो. डब्ल्यू. सी. / 14-4 स्थापना दिनांक 28-2-1986 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए:—

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 एस्ट दिनांक 01-04-87
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 एस्ट दिनांक 19-06-87
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 एस्ट दिनांक 19-06-87
4. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 एस्ट दिनांक 29-01-88
5. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 एस्ट दिनांक 24-06-88
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 13-4 रिकू. दिनांक 09-06-89
7. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 24-11-89
8. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 19-10-90
9. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 26-10-90
10. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 30-11-90
11. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 21-12-90
12. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 रिकू. दिनांक 08-02-91
13. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 145-4 रिकू. दिनांक 17-05-91

14. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4 रिकूट. दिनांक 04-10-91

15. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4 रिकूट. दिनांक 18-12-92

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1992

CWC|XIV-4|Recit.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Sixteenth Amendment) Regulations, 1992.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, against serial No. 7 relating to the post of Technical Assistant in the Technical cadre, in Columns 5, 6, 8 and 9, for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely :—
 “Non-selection”, “100% by promotion”, “Not applicable” and “not applicable”.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE :

The Principal Regulations were notified vide No. CWC|XIV-4|Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 01-04-87
2. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-06-87
3. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-06-87
4. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 29-01-88
5. No. CWC|XIV-4|Estt. dated 24-06-88

6. No. CWC|XIV-4|Recd dated 09-06-89
7. No. CWC|XIV-4|Recd dated 24-11-89
8. No. CWC|XIV-4|Recd dated 19-10-90
9. No. CWC|XIV-4|Recd dated 26-10-90
10. No. CWC|XIV-4|Recd dated 30-11-90
11. No. CWC|XIV-4|Recd dated 21-12-90
12. No. CWC|XIV-4|Recd dated 08-02-91
13. No. CWC|XIV-4|Recd dated 17-05-91
14. No. CWC|XIV-4|Recd dated 04-10-91
15. No. CWC|XIV-4|Recd dated 18-12-92



भारत का गज़त्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 8] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1993/माघ 28, 1914
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1993/MAGHA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भंडारण नियम

(भारत सरकार का उत्तम)

अधिकृतना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

सं. सी. डब्ल्यू. दो./14-4/पर्टी:—वेमरहुउर्सिय कारपोरेशन
प्रधिनियम, 1962 (1962 का 58) को धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को पूर्ण मंजूरी से केन्द्रीय भंडारण
नियम एवंद्राग केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारीगण) विनियम, 1986
में संशोधन कर निम्ननिवित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारीगण)
(सतरहां मंजूरीधन) विनियम, 1993 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तारीख से लागू होंगी।

2. केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम
61 के उपनियम (6) के व्याप पर निम्ननिवित विनियम प्रतिस्थापित
किया जाएगा, यथार्थ:—

"(6) कर्मचारी नियम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से
सकेगा तकित इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी की

नहीं रख सकेगा सिवाए तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारी
द्वारा नामनिविष्ट व्यक्ति विधि व्यवसायी हो। निम्ननिवित
शर्तों के अधीन कर्मचारी नियम के किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी
को सहायता ले सकेगा:—

(क) संबंधित कर्मचारी केन्द्रीय भंडारण नियम से सेवा-निवृत्त होना
चाहिए।

(ख) प्रारंभित अधिकारी ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारी को नहीं रख
सकेगा जो विधि व्यवसायी हो सिवाए तब के जब अनु-
शासनिक प्राधिकारी द्वारा नाम निविष्ट प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
विधि व्यवसायी हो।

(ग) सेवा निवृत्त कर्मचारी किसी भी रूप में जांच किए जा रहे
मामले से नेबद्ध नहीं होता चाहिए।

(घ) सेवा निवृत्त कर्मचारी एक समय में पांच से अधिक मामलों में
दबाव सहायक के रूप में कार्य न कर रहा हो। उसे जांच
अधिकारी को संतुष्ट करता होगा कि जांच किए जा रहे
मामले सहित उसके पास पांच से अधिक मामले नहीं हैं।

बी. बी. पटनायक, प्रबन्धक (कार्यालय)

टिप्पणी:—

मुख्य विनियम सं. सी. डब्ल्यू./14-4/स्थापना दिनांक 28-2-1986 द्वारा अधिसूचित किए गए तर्दा बार में विमलिकिन द्वारा संशोधित किए गए:—

1. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 01-04-87
2. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-06-87
3. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-06-87
4. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-01-88
5. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-06-88
6. थं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 09-06-89
7. सं. सी. डब्ल्यू. मो./14-4/भर्ती दिनांक 24-11-89
8. सं. सी. डब्ल्यू. मो./14-4/भर्ती दिनांक 19-10-90
9. सं. मो. डब्ल्यू. मो./14-4/भर्ती दिनांक 26-10-90
10. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 30-11-90
11. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 21-12-90
12. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 08-02-91
13. नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 17-05-91
14. नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 04-10-91
15. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती दिनांक 18-12-92
16. नं. सी. डब्ल्यू. मो./14-4/भर्ती दिनांक 29-12-92

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A. Govt. of India Undertaking)

41 NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1993

No. CWC/XIV-4|Recit.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :

1. (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Seventeenth Amendment) Regulations 1993.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in official gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 61, for sub-regulation (vi), the following shall be substituted, namely :—

(vi) The employees may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner. The employees may also take the assistance of any retired employee of the Corporation subject to the following conditions :—

- (a) the employee concerned should have retired from the service of the Central Warehousing Corporation;
- (b) the charged officer shall not engage such retired employee who is a legal practitioner unless the Presenting Officer nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner;
- (c) the retired employee should not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity; and
- (d) the retired employee should not act as a defence assistant in more than five cases at a time. He shall satisfy the Inquiring Officer that he does not have more than five cases in hand including the case in question."

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE.—The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4|Estt., dated the 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 01-04-87
2. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 19-06-87
3. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 19-06-87
4. No. CWC/XIV-4|Estt., dated 20-01-88
5. No. CWC/XIV-4|Estt. dated 24-06-88
6. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 09-06-89
7. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 24-11-89
8. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 19-10-90
9. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 26-10-90
10. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 30-11-90
11. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 21-12-90
12. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 08-02-91
13. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 17-05-91
14. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 04-10-91
15. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 18-12-92
16. No. CWC/XIV-4|Recit. dated 29-12-92.



भारत का विज्ञापन The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1993/अग्रहायण 24, 1915

No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1993/AGRAHAYANA 24, 1915

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपकरण)

अधिकृतचिन्ह

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1993

सं. के. अ. नि./14/4 भर्ती.—भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) कीधारा 42 द्वारा प्रदत्त अस्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भंडारण निगम एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीगण) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इस विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीगण)

(17 वडा संशोधन) विनियम 1993 कहा जायेगा।

2. ये विनियम राजनपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीगण) विनियम, 1986 के परिणाम-2 में “सामान्य प्रबन्ध संवर्ग” स्वीकृत के अधीन क्रम संख्या-41 पर (1) सीनियर स्टीकर वो पोस्ट से संबंधित कालम 1 एवं 7 में “सीनियर स्पीपर” एवं “स्लोपर्स” शब्दों के स्थान पर बरिष्ठ सफाई वाला एवं सफाई वाला शब्द प्रतिस्थापित किए जायें। (2) क्रम संख्या-42 पर कालम 1 में “स्वीपर” शब्द के स्थान पर “सफाई वाला” शब्द प्रतिस्थापित किया जायें।

बी. बी. पटनायक, प्रबन्धक कार्यिक

टिप्पणी

1. युवा विनियम सी. डब्ल्यू. सी /14-4/स्थापना दिनांक 28-2-86 द्वारा प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात निम्न द्वारा इसमें संशोधन किया गया :—

1. सी डब्ल्यू. सी /14/4/स्थापना दिनांक 01-04-1987
2. सी डब्ल्यू. सी /14/4/स्थापना दिनांक 19-06-1987
3. सी डब्ल्यू. सी /14-4/स्थापना दिनांक 19-6-1989
4. सी डब्ल्यू. सी /14/4/स्थापना दिनांक 29-01-1988
5. सी डब्ल्यू. सी /14/4/स्थापना दिनांक 24-6-1988
6. सी डब्ल्यू. सी /14/4 भर्ती दिनांक 09-06-1989
7. सी डब्ल्यू. सी 14/1/4/भर्ती दिनांक 24-11-1988
8. सी डब्ल्यू. सी /14/4/भर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सी डब्ल्यू. सी /14/4/भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सी डब्ल्यू. सी /14/4/मर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी डब्ल्यू. सी /14/4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी डब्ल्यू. सी /14/4 भर्ती दिनांक 08-02-1991
13. सी डब्ल्यू. सी /14/4/मर्ती दिनांक 17-05-1991
14. सी डब्ल्यू. सी /14/4/भर्ती दिनांक 04-10-1991
15. सी डब्ल्यू. सी /14/4/भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी डब्ल्यू. सी /14/4/भर्ती दिनांक 29-12-1992

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1993

No. CWC|XIV-4|Rectt.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the CWC (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. These regulations may be called the CWC (Staff) (Seventeenth Amendment) Regulations, 1993.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In Appendix-II to the CWC (Staff) Regulations, 1986, under the heading 'General Management ~~Cadre~~'
(i) against Serial No. 41, relating to the post of senior Sweeper, in columns 1 and 7, for the words 'Senior Sweeper and 'Sweepers' the words 'Senior Safaiwala' and 'Safaiwala' shall respectively be substituted (2) against Serial No. 42 relating to the post of Sweeper,

in Column 1, for the word 'Sweeper' the word 'Safaiwala' shall be substituted.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE :

The Principal regulations were published vide No. CWC|XIV-4|Estt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :—

1. CWC|XIV-4|Estt. dated 01-04-1987.
2. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-06-1987.
3. CWC|XIV-4|Estt. dated 19-06-1987.
4. CWC|XIV-4|Estt. dated 29-01-1988.
5. CWC|XIV-4|Estt. dated 24-06-1988.
6. CWC|XIV-4|Rectt. dated 09-06-1989.
7. CWC|XIV-4|Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC|XIV-4|Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC|XIV-4|Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC|XIV-4|Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC|XIV-4|Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC|XIV-4|Rectt. dated 08-02-1991.
13. CWC|XIV-4|Rectt. dated 17-05-1991.
14. CWC|XIV-4|Rectt. dated 04-10-1991.
15. CWC|XIV-4|Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC|XIV-4|Rectt. dated 29-12-1992.



भारत एवं विदेश The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

‘सं० ५१ नई दिल्ली, मार्च ३, १९७४/फाल्गुन १७, १९१५

No. 5] NEW DILHI, TUESDAY, MARCH 8, 1994/PHALGUNA 17, 1915

केन्द्रीय भूमिका नियन्त्रण

(भारत नरकार का उपक्रम)

ग्रन्थालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1994

संघरा जी.डब्ल्यू.नी./XIV-4/भर्ती :—देशहाइकोर्ट कासोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) को धारा 42 द्वारा प्रदत्त जनकियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन ने रेडीय भंडारण नियम (कम्पनी गण) विनियम, 1986 में नवोत्तर करने हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाया है। प्रदर्शन :—

1. (1) इन विनियमों को केंद्रीय नियम विनियम (कर्मचारीगत) (18 वां नंशोधन) विनियम, 1994 के द्वारा प्रभाग्या।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से बाहर होने।

2. केन्द्रीय भैंडालय नियम (कर्मसांचल) विनियम,
1936 के दिनांक ३२ में कर्मसांचल वि. के नाम
दिनांकित उत्तराधिकार द्वारा कार्यकारी बदली—

"(VI) निगम का कोई कलंचारों न हो जब ऐसा कोई निवेश करना अथवा न ही अन्य परिदार के क्रिया नदखल

मरणा अपनी ओर से कावं फर रहे किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति देगा जिसमें उने अपने भवितव्यों के बहत में किनी उद्देश्य व्यवहार उनके प्रभावित होते को संकेतना हो। इनके अनुग्रहित निगम का शोई भी कर्मचारी मित्रों तथा कानूनी के निवेदकों के लक्ष्योंयित्रों के लिए घारकित कोटे से प्रेवर नहीं छोड़ सकता।

समीक्षा:—इन उर्वविनियोग के उद्देश्यों के लिए परिवार के नवजन्मों में जाहिल होते हैं।

(क) कर्मचारी को पन्नी लखन पति जैसा किसी समझा हो, वाहे ये कर्मचारी के नाय रह रहे हों अथवा नहीं ऐसिन इमर्गे वह जैसे अदल पन्नी जानिय नहीं हैं जो तदन त्र्यादात्र्य के आदेश अद्यता डिक्टी बार कर्मचारी ने अपन-अदल रखते हैं।

(x) कन्चागी का पूर्व अववा पत्री अववा नामिता
पूर्व अववा नामिता पुत्रों द्वारा पूरी भग्न उन परं
शास्त्रिय हैं, तेजित इनमें गुण बच्चा अववा नामिता
बच्चा हो किमी की प्रकाश ने कमेवाली का शास्त्रिय
नहीं है अववा निष्ठाकी कट्टी काली द्वारा अववा
इन के श्रद्धीय कन्चागी दे ने लोगों वां है, इसमें
शारीर नहीं है ।

(c) व्याप करने के लिए अधिक दो राज्य प्रभुता तथा
उपर नीतियां उपलब्ध करवाई जी तभी व्याप
की तरह व्यवस्था बन जूदा हो सकता है इसकी वज़ियत है।

(VII) विवर और प्रबंधक सम्बन्ध में—गोपनीय,
उपर वर्णी आवाज भूमिका फाउंड नियम उत्तराखण्ड में विवर व्याप
नियम दो वारे में भवत्व अद्यतामी तो याचिन राज्य, गोपनीय
नियम एक कैंपेन्ट वर्ष में सूची "क" एवं "ख" के साथ
में 50,000/- रुपए तथा भूमिका "ख" एवं "ख" के साथ
में 25,000/- रुपए ने अनियत है।

श्री श्री. विजयलक्ष्मी, प्रबंधक सम्बन्ध
विभागी:

मान्य विनियम तं सं.उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक
28-2-1986 द्वारा भेजन के यातात अकाउंट भूमि-III,
खण्ड 4 में प्रकाशित विवर एवं दिनांक द्वारा नीतियां दिए
किए दूष:

1. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 01-04-1987
2. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 19-06-1987
3. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 19-06-1987
4. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 29-01-1988
5. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 24-06-1988
6. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 09-06-1989
7. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 24-11-1989
8. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 19-10-1990
9. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 26-10-1990
10. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 30-11-1990
11. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 21-12-1990
12. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 08-02-1991
13. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 17-05-1991
14. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 04-10-1991
15. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 18-12-1992
16. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 28-12-1992
17. श्री. उत्तर.सं./XIV-4/रिकूट, दिनांक 15-12-1993

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1994

No. CWC/XIV-4/Recd.—In exercise of the
powers conferred by section 42 of the Warehous-
ing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the

Central Warehousing Corporation, with the pre-
vious sanction of the Central Government, hereby
makes the following regulations further to amend
the Central Warehousing Corporation (Staff) Regula-
tions, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the
Central Warehousing Corporation (Staff) (High-
teenth Amendment) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of
their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation
(Staff) Regulations, 1986, in regulation 52, after
sub-regulation (v), the following sub-regulations
shall be added, namely :—

(vi) No employee of the Corporation shall
make or permit any member of his family
or any person acting on his behalf to
make any investment which is likely to
embarrass or influence him in the dis-
charge of his official duties. Further, no
employee of the Corporation shall pur-
chase shares out of the quota reserved
for friends and associates of Directors of
Companies.

Explanation.—For the purposes of this sub-re-
gulation, members of family shall include,—

(a) the wife or husband, as the case may be,
of the employee, whether residing with
the employee or not but does not include
a wife or husband, as the case may be,
separated from the employee by a decree
or order of the competent Court ;

(b) son or daughter or step son or step daugh-
ter of the employee wholly dependent
upon him, but does not include a child
or step child who is no longer in any
way dependent on the employee or of
whose custody the employee has been
deprived by or under any law ;

(c) any other person related, whether by
blood or marriage, to the employee or
to the employee's wife or husband and
wholly dependent on the employee.

(vii) Every employee of the Corporation shall
report to the competent authority about invest-
ments made in shares, securities, debentures or

mutual fund scheme etc., if the total transaction during a calendar year exceeds Rs. 50,000 in case of Group 'A' and Group 'B' employees and; Rs. 25,000 in case of Group 'C' and Group 'D' employees."

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide number CWC XIV-4/Recd. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :

1. CWC XIV-4/Estd. dated 01-04-1987.
2. CWC XIV-4/Estd. dated 19-06-1987.
3. CWC XIV-4/Estd. dated 19-06-1987.
4. CWC XIV-4/Estd. dated 29-01-1988.
5. CWC XIV-4/Estd. dated 24-06-1988.
6. CWC XIV-4/Recd. dated 09-06-1989.
7. CWC XIV-4/Recd. dated 24-11-1989.
8. CWC XIV-4/Recd. dated 19-10-1990.
9. CWC XIV-4/Recd. dated 26-10-1990.
10. CWC XIV-4/Recd. dated 30-11-1990.
11. CWC XIV-4/Recd. dated 21-12-1990.
12. CWC XIV-4/Recd. dated 08-02-1991.
13. CWC XIV-4/Recd. dated 17-05-1991.
14. CWC XIV-4/Recd. dated 04-10-1991.
15. CWC XIV-4/Recd. dated 18-12-1992.
16. CWC XIV-4/Recd. dated 29-12-1992.
17. CWC XIV-4/Recd. dated 15-12-1993.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

मई दिल्ली, मंगलबार, "मार्च 28, 1995/चैत्र 7, 1917

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1995/CHAITRA 7, 1917

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

भविसूचना
नई दिल्ली, 28 मार्च, 1995

इ. सो. फ्ल्यू. सी./14-4/भर्ती—वेष्ट्रार्टसिंग कार-
पोरेजन प्रवित्तियम, 1962 (1962 का 58) की घाय 42
द्वारा प्रदत्त भवितयों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय
सरकार की धूम स्वीकृति से केन्द्रीय भंडारण निगम एत-
द्वाय केन्द्रीय भंडारण निगम (कमंचारिण) विनियम,
1986 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता
है अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कमं-
चारिण) (1986 संशोधन) विनियम, 1995
कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तात्पूर्ण होंगे।
2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कमंचारिण) विनियम,
1986 के विनियम 26 के उप विनियम (i) के स्थान पर
निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) (क) जब विशेष वेतन भवति उच्च वेतनमान
के बदले दिया गया है:—

ऐसे मामले में जब कोई कमंचारी किसी पद पर विशेष
वेतन ले रहा है तब किसी उच्च पद पर पदोन्नति हो जाने
पर उसका वेतन निम्न पद पर लिए जा रहे विशेष वेतन
को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, वज्रते कि
निम्नलिखित शर्त पूरी होती हों, अर्थात्:—

(1) निम्न पद पर विशेष वेतन भवति उच्च वेतनमान
के स्थान पर दिया हुआ होना चाहिए।

(2) यदि पदोन्नति को तारीख पर कम से कम तीन
वर्ष को अवधि तक निम्न पद पर विशेष वेतन
का प्राहरण किया गया है तो सामान्य विनियमों
के अधीन उच्च पद को वेतन विशेष वेतन को
मूल वेतन के भाग के रूप में मानते
हुए निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में
जहाँ उच्च वेतनमान के बदले उसी पद पर
विशेष वेतन का अधिन अवधि के लिए प्राहरण
किया गया तो विशेष वेतन के नाम का पदोन्नति
पर उच्च पद के मूल वेतन के रूप में त्वरित

माना जाएगा वेतन के बैंकिंग प्रबंधि कुल तीन वर्ष से कम न हो। प्रत्य सामनों में उच्च पद के टाइम स्केल में, वेतन निम्न पद के मूल वेतन के अनुसार (विशेष वेतन का छोड़कर) सामान्य नियमों के प्रधीन निर्धारित रिया जायेगा। जहाँ इसके परिणामस्वरूप पश्चिमियों में पिरावट आएगी, वहाँ इस प्रकार नियोजित वेतन तथा विशेष वेतन सहित निम्न पद के वेतन के बीच के बारार को वैयक्तिक वेतन है ४५ में दिए गये का प्रनमति होगा जिसे भविष्य में वेतन वर्डोत्तरियों में आमेन्ट किया जाएगा।

(3) उत्तराय (2) में संदर्भित सामनों में यह भी प्रभागित रिया जाना चाहिए कि कर्मचारी निम्न पद पर विशेष वेतन लेता रहता यदि यह पदोन्नति नहीं होती।

(4) जब विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान के बदले नहीं दिया गया है:

ऐसे मामले में जब कर्मचारी द्वारा निम्न पद पर विशेष वेतन किसी अलग उच्च वेतनमान के बदले नहीं दिया गया है, किसी प्रत्य पद पर पदोन्नति की स्थिति में विशेष वेतन का संरक्षण निम्नलिखित शर्तों के प्रधीन किया जायगा, प्रथमतः—

(1) इन्हीं से अलग किसी विशेष कार्य यथवा किसी गठित कार्य के लिए यदि विशेष वेतन प्रदान किया गया है तो उसे पदान्वापर यैविक वेतन प्रदान करके गुरुत्वित किया जायगा। यह वैयक्तिक वेतन निम्न पद के वेतन एवं विशेष वेतन गता निम्न पद के मूल वेतन के प्रधार पर उच्च पद पर देय वेतन के बाच के प्रत्यर के नगदर होगा।

(2) यह प्रत्यग प्रभागित रिया जाना चाहिए कि कर्मचारी विशेष वेतन लेता रहता, यदि उसकी नियमित रिया प्रत्य पद पर न होती।

(3) विशेष वेतन का संरक्षण उत्तम प्रबंधि के लिए ही दिया जाना चाहिए जिसका अधिकार नियमित वेतन का नियमित रिया जाना चाहिए।

(4) वैयक्तिक वेतन वाद में विनाश दार्ता वेतन को वर्डोत्तरियों में आमेन्ट किया जायगा।

(5) निम्न प्रकार के विशेष वेतन को उच्च पद के वेतन के नियरिण के लिए हिंगाद में नहीं दिया जाएगा—

(क) किसी प्रबंधि पद पर आहरण किया गया विशेष वेतन;

(ख) किन्हीं विशेष स्थानों पर तुरी, घस्तस्यता, जलवायु की कठोरता इत्यादि के कारण की गयी सेवा के लिए प्रदान किया गया

विशेष वेतन जैसे अण्डगान विशेष वेतन, इनर लाइन्स विशेष वेतन इत्यादि।

(ग) इनके स्थान पर प्रतिनियुक्ति (इन्हीं) भत्ता प्रदान विशेष वेतन।

टिप्पणी-1

कंशियर, काम्प्लिट तथा मर्शिन आपरेटरों के विशेष वेतन को उच्च वेतनमान के स्थान पर प्रदान किया गया, विशेष वेतन नहीं माना जाएगा।

उप नियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के अनुसार उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख को न्यूनतम ३ वर्ष की अवधि के लिए नियन्तर आहरण किया जाना चाहिए, इसे तभी मूल वेतन का भाग माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब विशेष वेतन विना किसी व्यवधान के एक से अधिक पद पर एवं उसी संबंध अथवा विभाग में न्यूनतम तीन वर्ष के लिए आहरण किया गया है तो सम्पूर्ण अवधि को हिसाब में लिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जब विशेष वेतन की मात्रा अलग-अलग पदों पर अलग-अलग होगी तो अलग-अलग पदों में से जिस पद पर सबसे कम विशेष वेतन का आहरण किया गया है उच्च पद के वेतन के नियरिण के लिए उसी की गणना की जाएगी।

टिप्पणी-2

I: न्यूनतम ३ वर्ष की अवधि के लिए नियन्तर विशेष वेतन के आहरण तथा पदोन्नति न होनी गयी भी विशेष वेतन के आहरण का प्रभागित पद उस व्यक्ति पर मामले में आधिकार्यका नहीं होगा जो अलग उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन के गाय निम्न पद पर कार्य कर रहा होगा। यह इट उन पद-चालियों को उपलब्ध नहीं होगी, जिनमा पद विनीत संबंध में आमित होगा और जो अलग उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन नहीं पद पर कार्य कर रहे होंगे तुम संबंध में अधिकारियों का नियमन किसी पद पर की विरद्ध नहीं पड़ी जाता। ऐसे पदों पर तीन वर्ष तक नियन्तर विशेष वेतन का आहरण करने की शर्त इन मामलों में लागू रहेगी।

II. ऐसा विशेष वेतन उजा प्रेसिडियम के बदले ही तथा कम से कम तीन वर्ष के लिए नियन्तर इसका आहरण किया गया है तर पदोन्नति न होनी तो जो विशेष वेतन लगार लिया जाता रहता, या प्रदान करने की शर्त हट जाएगी। अन्य मामलों में इस तरह का प्रभागित देना होगा।

III. ऐसा ही सरका है कि पोई वरिष्ठ व्यक्ति विशेष वेतन लाने पद पर तीन वर्ष पूर्ण करने से पहले उच्च पद पर पदोन्नति हो जाता है और वह अपने कनिष्ठ से जो विशेष वेतन लाने पद पर तीन वर्ष पूरे करने के बाद पदोन्नत होता है, तो कम वेतन लेता हो। जहाँ ऐसे मामले सामने आयेंगे वहाँ वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख पर उसके वेतन की सीमा तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके

एक कनिष्ठ निम्न पद पर, समय-समय पर बरिष्ठ में अधिक वेतन नहीं से रहा था तथा कनिष्ठ एवं बरिष्ठ के निम्न एवं उच्च पद एक ही संबंध के थे।

टिप्पणी-3 :

ऐसे मामलों में जब विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख से पहले के तीन वर्षों में बढ़ाया गया है वहां उच्च पदों पर वेतन के निर्धारण के उद्देश्य के लिए विशेष वेतन की उस दर को शामिल किया जाएगा जिस दर पर कमचारी पदोन्नति से तुरन्त पहले विशेष वेतन का आहरण कर रहा था वश्ते कि समय-समय पर जागी विभिन्न आदेशों के अनुसार उच्च पद पर वेतन निर्धारण की अन्य घटें पूरी होती हों।

वी. वी. पटनायक, प्रबन्धक (कार्यिक)

टिप्पणी:- मुख्य विनियम अधिसूचना संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 28-2-1986 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे तथा वाद में निम्नलिखित द्वारा इनमें संशोधन किया गया:

1. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 1-4-1987
2. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-1987
3. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-1987
4. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-1-1988
5. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-6-1988
6. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 3-6-1989
7. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 8-2-1991
13. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 17-5-1991
14. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 4-10-1991
15. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 15-12-1993
18. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/मर्ती दिनांक 8-3-1994

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1995

No. CWC/XIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Nineteenth Amendment) Regulations, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 26, for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

- (i)(a) When the special pay is in lieu of a separate higher scale of pay :—

In a case where an employee is in receipt of a special pay in a post, his pay on promotion to a higher post, shall be fixed after taking into account the special pay drawn in the lower post subject to the following conditions, namely :—

- (i) The special pay in the lower post should have been granted in lieu of a separate higher scale of pay.

(ii) If the special pay has been drawn in the lower post continuously for a minimum period of three years on the date of promotion, the pay in the higher post shall be fixed, under the normal rules, treating the special pay as part of basic pay. In cases where the special pay in lieu of higher scale of pay as been drawn in the same post for broken periods, the benefit of special pay being treated as part of basic pay on promotion to a higher post shall be admissible provided the total of the broken periods taken together is not less than three years. In other cases, the pay in the time scale of the higher post shall be fixed, under the normal rules, with reference to the basic pay drawn in the lower post (excluding the special pay); where this results in drop in emoluments, the difference between the pay so fixed and the pay plus special pay drawn in the lower post shall be allowed in the form of personal pay to be absorbed in future increases of pay.

- (iii) In cases referred to in sub-clause (ii) it should be certified that the employee would have continued to draw the special pay in the lower post but for the promotion.

- (b) When the special pay is not in lieu of a separate higher scale of pay :—

In a case where the special pay drawn by an employee in the lower post is not in lieu of a separate higher scale, protection of special pay on promotion to another post shall be subject to the following conditions, namely :—

- (i) The special pay granted for specific additions to duty or for arduous nature of work shall be protected on promotion by granting a personal pay equal to the difference between pay plus special pay drawn in the lower post and the pay due in the higher post on the basis of the basic pay in the lower post.
- (ii) It must be certified that but for his appointment to the other post, the employee would have continued to draw special pay.
- (iii) The protection shall only be for so long as the employee could have continued to draw the special pay.
- (iv) The personal pay shall be absorbed in subsequent increases of pay.
- (v) The following types of special pay shall not be taken into account for fixation of pay in the higher post :—
 - (a) special pay drawn in a tenure post;
 - (b) special pay granted for service in particular localities on account of remoteness unhealthiness, severity of climate, etc., like Andaman Special Pay, Inner Lines Special Pay etc.
 - (c) Deputation (Duty) Allowance or special pay drawn in lieu thereof.

NOTE 1:—

Special pay of Cashiers, Clerks and Machine Operators shall not be treated as special pay in lieu of a higher scale of pay.

According to sub-clause (ii) of clause (a) of sub-regulation (i), the special pay in lieu of a higher scale should have been drawn continuously for a minimum period of three years on the date of promotion for it to be treated as part of basic pay. It is clarified that where such special pay has been drawn for a minimum period of three years without break in more than one post within the same cadre or department, the total period shall be taken into account. In cases where the quantum of special pay varies in different posts, the least of the special pay drawn in different posts shall be taken into account for the purpose of fixation of pay in the higher post.

NOTE 2:—

I. The condition of special pay having been drawn continuously for a minimum period of three years as well as the certificate of continued drawal of special pay but for promotion should not be insisted upon in the case of a person holding

substantively the lower post carrying special pay in lieu of a separate higher scale. This exemption shall not be available to employees with substantive position in a cadre and holding a post carrying a special pay in lieu of a separate higher scale in the cadre as confirmation of officers in the cadre is not made against individual post. The condition of drawal of special pay in such posts continuously for not less than three years shall be applied in those cases.

II. The certificate of continued drawal of special pay but for promotion in cases, where special pay is in lieu of a higher scale of pay and has been drawn continuously for at least three years, shall be dispensed with. In other cases, such a certificate shall be insisted upon.

III. It may happen that a senior person promoted to the higher post before completing three years in the special pay post draws less pay than his junior who is promoted after completing three years in the special pay post. Where such cases occur, the pay of the senior shall be stepped up to the level of pay of the junior from the date of promotion of the latter, provided the junior was not drawing a higher pay than the senior from time to time in the lower post and the lower and higher posts held by the junior and the senior belong to the same cadre.

NOTE 3:—

In cases where the special pay in respect of the same post has been enhanced during the preceding three years of the date of promotion, the rate of special pay to be taken into account for purpose of fixation of pay in the higher posts, shall be the one drawn immediately before the date of promotion, subject to the fulfilment of other conditions governing fixation of pay in the higher post, as laid down in various orders issued from time to time."

B. B. PATANAIK, Personnel Manager

Note :—The principal regulations were notified in the Gazette of India vide Notification No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-02-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. CWC/XIV-4/Recit. dated 9-6-1989
7. CWC/XIV-4/Recit. dated 24-11-1989
8. CWC/XIV-4/Recit. dated 19-10-1990
9. CWC/XIV-4/Recit. dated 26-10-1990
10. CWC/XIV-4/Recit. dated 30-11-1990
11. CWC/XIV-4/Recit. dated 21-12-1990
12. CWC/XIV-4/Recit. dated 8-2-1991
13. CWC/XIV-4/Recit. dated 17-5-1991
14. CWC/XIV-4/Recit. dated 4-10-1991
15. CWC/XIV-4/Recit. dated 18-12-1992
16. CWC/XIV-4/Recit. dated 29-12-1992
17. CWC/XIV-4/Recit. dated 15-12-1993
18. CWC/XIV-4/Recit. dated 8-3-1994.



भारत का गज़तापत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई विल्सो, बड़वार, नवम्बर 22, 1995/अग्रहायण 1, 1917
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1995/AGRAHAYANA 1, 1917

केन्द्रीय भंडारण नियम

(भारत सरकार द्वारा उत्तराधिकार)

प्रधानमंत्री

नई विल्सो, 14 नवम्बर, 1995

म. सौ. डॉ. सी. /14-4/भर्ती—वेस्टर्नहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा एठ लिखित भाषण नियम निम्नलिखित विनियम बनाता है, प्रत्यक्ष:—

(1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) (वासवा संशोधन) विनियम, 1955 कहा जायगा।

(2) ये विनियम यातायार में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. “सामान्य प्रबन्ध मंडल” शीर्षक के अधीन केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिणाम [1] में कावी हैटेट के पद में संबंधित तम सं 52 एवं इसकी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित तम त. एवं प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ जारी:—

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की संख्या | वेतनमान | वेतन पद है | मर्यादा की पद्धति | प्रोटोकॉल/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दिन से के दिन तक विद्युतीय विवरण जारी है |
|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 उप प्रबन्धक | मन्त्री "व" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 3450-140-
4570-150-
5470 रु.
(मार्ड. डी. ए.)
3000-100-
3500-125-
4500 रु.
(मी. डी. ए.) | वेतन
प्रधान
मंत्री वेतन पद | प्रेसवात, यथ्यावा प्रतिनियुक्ति
पर स्थानान्तरण द्वारा,
दोनों ही स्थितियों में उन-
वधि न होने वाले माध्यम सर्वोच्च
दाय | 5 वर्ष की सिद्धीकृत नदा
वाले वरिष्ठ सहायक
प्रबन्धक (हिन्दी)
प्रतिनियुक्ति
(1) समान एवं
परकारी वर्क रहे ताकि
जनिक छात्राओं से
उपस्थित आविकारी
प्रधान |

- (2) निगम में बरिष्ट सहायक प्रबन्धक (हिंदी) के समतुल्य पद पर आर वर्ष की सेवा प्रयोग।
- (3) निगम में सहायक प्रबन्धक (हिंदी) के समतुल्य पद पर आर वर्ष की सेवा नथा।
- (4) उप प्रबन्धक (हिंदी) के पद के लिए सीधी मर्ती के लिए दी गयी शैक्षिक अवृत्तएं एवं मनूषव रखने वाले शैक्षिकार्थी।
- (5) प्रतिनियुक्ति को ग्राहित करना व्यतीय तथा भीन वर्ष से शैक्षिक नहीं होगी।

सीधी वर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गैरिफ्स नथा इन्द्र और वर्ती के लिए शाय सीमा अर्थात् शाय सीमा के लिए शाय सीमा

शाय सीमा और प्रत्य ग्रहण प्रोक्ति की दशा में लागू होगी वा नहीं

टिप्पणी

मीदी भर्ती।

(1) मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर एक विषय के लिए उपाधि स्तर पर हिंदी में सामान्य विद्या अथवा समतुल्य डिप्लोमा

40 वर्ष

वर्ग तहीं

10

सूची

ग्रन्ति

मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर विषय के लिए उपाधि स्तर पर हिंदी में सामान्य अथवा समतुल्य डिप्लोमा

अवधि

मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर विषय के लिए उपाधि स्तर पर हिंदी में सामान्य अथवा समतुल्य डिप्लोमा

प्रयोग

मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर विषय के लिए उपाधि स्तर पर हिंदी में सामान्य अथवा समतुल्य डिप्लोमा जिसे हिंदी माध्यम में पढ़ा गया हो।

प्रयोग

मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर हिंदी में विषय के लिए उपाधि स्तर पर हिंदी में सामान्य अथवा समतुल्य डिप्लोमा जिसे हिंदी माध्यम में पढ़ा गया हो

(२) हिंदी में लकड़ीही अवधारणा अवधारणा की हिंदी का एक हिंदी संभाषणी के अनुवाद का पांच वर्ष का अनुभव जिसके लिए लकड़ीही अवधारणा विज्ञानिक प्राहित्य के अनुवाद को अवधारणा दी जाएगी।

अवधारणा

शिक्षण, अनुसंधान, हिंदी में लेखन अवधारणा प्रकाशिता का ५ वर्ष का अनुभव।

संष्कृतीय

(१) संस्कृत अवधारणा किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अनुवाद।

(२) प्राणासनिक अनुभव।

(३) हिंदौ-क्षमाओं अवधारणा टिप्पणी एवं सालेखन के लिए काव्यशालाएँ आयोजित करने का अनुभव।

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|-----------|-----------|---|-------------------|-----|----------------------------|--------------------------------|
| ५५ वरिष्ठ | पद्मह "क" | १ | २६५०-१२० | चयन | शोरेंट, अन्यथा अलिंगन्युनि | शोरेंट |
| महायक | | | १३०-१२० | | एवं स्लोनाल्सन डाया, दीनों | ६ वर्ष की विद्यार्थी भेजा था औ |
| प्रबन्धक | | | ४८५०/- (३०/- | | दी विद्यालयों में उपलब्ध न | महायक प्रबन्धक। हिंदी : |
| (हिन्दी) | | | रु. ८०/-) | | शाव पर साप्तरी भर्ती डाया | अंग्रेजी |
| | | | २२६०-७५- | | | |
| | | | २९००-१००- | | | |
| | | | ४०००/- (रु. ८०/-) | | | |

(क) (१) समाज एवं समाज संरचना एवं सार्वजनिक उद्योगों में उपलब्धता अवधारणा

अवधारणा

(२) निगम एवं सरायक प्रबन्धक (हिन्दी) के सम्बन्ध एवं पर भाषा एवं की सेवा

अवधारणा

(३) वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (हिन्दी) के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए दी गई ऐसिया घटनाएँ एवं अनुभव एवं यात्रा अनुसारी प्रश्नांगन्युनिंग की विवरण भासाल्यतया नीन वर्ष में अधिक नहीं होगी।

8

9

10

11

सीधी भर्ती :

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिप्लोमा प्रथवा समतुल्य डिप्लोमा

अध्यवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में तथा अंग्रेजी में मास्टर डिप्लोमा प्रथवा समतुल्य डिप्लोमा

अध्यवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर विषयों के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी साहित किसी भी विषय में मास्टर डिप्लोमा प्रथवा समतुल्य डिप्लोमा।

अध्यवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में तथा किसी भी विषय में मास्टर डिप्लोमा प्रथवा समतुल्य डिप्लोमा जिसे हिन्दी माध्यम से पढ़ा गया हो।

अध्यवा

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में तथा किसी भी विषय में मास्टर डिप्लोमा प्रथवा समतुल्य डिप्लोमा जिसे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा गया गया हो।

- (2) हिन्दी में तकनीकी शब्दावली का तथा/अध्यवा अंग्रेजी से हिन्दी का एवं हिन्दी से अंग्रेजी का पांच बच्चे का अनुवाद का अनुभव जिसके लिए तकनीकी अध्यवा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद को बरीयता दी जाएगी।

अध्यवा

गिरजाघर, अनुसंधान, हिन्दी में लेखन अध्यवा पदाकारिता का 5 बच्चे का अनुभव।

वांछनीय :

- (1) संस्कृत अध्यवा किसी धार्मिक धारातांत्र भाषा का ज्ञान।
- (2) धार्मिक अनुभव
- (3) हिन्दी-कक्षाएँ अध्यवा टिप्पण एवं प्रालेखन के लिए कार्यक्रान्ताएँ आयोजित करने का अनुभव।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 55. सहायक प्रबंधक समूह "ब"
{(हिन्दी)} | 4 | 2500-120-
4300 रु. | वयन | प्रोफ्रेटि | प्रोफ्रेटि | हिन्दी अनुवादक जिह्वात्मि इम पद पर पांच बच्चे की नियमित सेवा की हो। |
| | | (आई. डी. ए.) | | | | |
| 56. हिन्दी समूह "ग"
[अनुवादक | 16 | 1890-85-
2085-80-
2885-95-
3360 रु. (आई.
शी. ए.) | वयन | 100 % सीधी भर्ती | लागू नहीं | |

8

9

10

11

लाग् नहीं

आगू नहीं

लाग् नहीं

शून्य

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्वर पर
अंग्रेजी/हिन्दी एवं मूल्य विषय सहित हिन्दी/अंग्रेजी
में पढ़ाए रखिए।

28 वर्ष

लाग् नहीं

शून्य

प्रथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्वार पर अंग्रेजी
एक अनिवार्य विषय सहित किसी विषय में मास्टर डिप्लो
जिं वे हिन्दी माध्यम से पढ़ा एवं परीक्षा दी हो।

प्रथवा

हिन्दी एवं अंग्रेजी मूल्य विषय सहित स्नातक डिप्लो द्वयका
दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा
मूल्य विषय के रूप में पढ़ा होता है अंग्रेजी एवं
अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/
मटिफिकेट कोई घबबा भारत सरकार के उच्चमोंसहित
कन्व/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी
तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।

सामान्य प्रश्न संघर्ष में हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी अनुवादक के पद से संबंधित कम से 19 एवं 25 तथा इनकी प्रविष्टियाँ ददा
दी जाएंगी।

[स० सी इस्ट्. सी/ XIV-- 4/हिन्दी/भर्ती]
या. बी. पटनायक, प्रबन्धक (कार्यिक)

टिप्पणी :-—मूल्य विनियम सं. सी. इस्ट्. सी./14-4 स्था. दिनांक 28-2-1936 द्वारा भारत के राजपत्र (प्रसामान्य) भाग--3 खण्ड--4 में
प्रधिगृहित किये गये थे तथा तत्पश्चात् निम्ननिर्धित दारा मंशोंधित किए गए।

1. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 1-4-87
2. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 19-6-87
3. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 19-6-87
4. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक दिनांक 29-1-88
5. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 24-6-88
6. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 24-6-89
7. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 24-11-89
8. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 19-10-90
9. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 26-10-90
10. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 30-11-90
11. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 21-12-90
12. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 8-2-91
13. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 17-5-91
14. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 4-10-91
15. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 18-12-1992
16. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 29-12-1992
17. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 15-12-1993
18. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 8-3-1994
19. सी. इस्ट्. सी 14-4 स्था. दिनांक 28-3-1995

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertakings)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1995

No. CWC/XIV-4/Recd. In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twentieth Amendment) Regulations, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, under the heading "General Management Cadre",—
- after serial number 52 relating to the post of Copy Holder and entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

| Name of the post | Classification | Number of posts | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post | Method of Recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation posts from which to be made |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53. Deputy Manager (Hindi) | Group 'A' | 1 | Rs. 3450-140-4570-150-5420.
(IDA)
Rs. 3000-100-3500-125-4500
(CDA) | Selection | Promotion failing which by transfer or deputation, failing both by direct recruitment. | Promotion:
Senior Assistant Manager (Hindi) with five years regular service in the post.
Deputation:
(a) (i) Suitable Officers from Public Institutions holding analogous Posts;

OR
(ii) With 5 years service in a post equivalent to Senior Assistant Manager (Hindi) in a Corporation.

OR
(iii) with 8 years service in a post equivalent to Assistant Manager (Hindi) in a Corporation. |

AND

- (b) Possessing the educational qualification and experience laid down for direct recruitment for the post of Deputy Manager (Hindi)

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)

RECRUITMENT BY DIRECT SELECTION

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. Senior Assistant Manager (Hindi) | Group 'A' | 1 | Rs. 2650-120-4330-130-4850 (IDA)
Rs. 2200-75-2800-100-4000 (CDA) | Selection | Promotion failing which by transfer or deputation, failing both by direct recruitment. | Promotion Assistant Manager (Hindi) with five years regular service in the post.

Deputation:
(a) (i) Suitable Officers from Public Enterprises holding analogous posts;
OR
(ii) With five years service in a post equivalent to Assistant Manager (Hindi) in a Corporation,
AND
(b) Possessing the educational qualification and experience laid down for direct recruitment for the post of Senior Assistant Manager (Hindi) (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years). |
| 55. Assistant Manager (Hindi) | Group 'B' | 4 | Rs. 2500-120-4300 (IDA) | Selection | Promotion | Promotion: Hindi Translators with 5 years regular service in the post. |
| 56. Hindi Translator | Group 'C' | 16 | Rs. 1890-65-2085-80-2885-95-3360 (IDA) | Selection | 100% by direct recruitment. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruitment | Age limit for direct recruitment | Whether age limit and other qualifications will apply to promotees. | Remarks |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |

53. Direct Recruitment:

(i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level.

OR

40 years

Not applicable.

NH

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;

(ii) 5 years experience of terminological work in Hindi and/or translation from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.
OR

5 years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

Desirable:

(i) Knowledge of Sanskrit or modern Indian Language.

(ii) Administrative Experience.

(iii) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting and drafting.

54. Direct Recruitment

(i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;

(ii) 5 years experience of terminology work in Hindi and/or translation from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.

OR

5 years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

Desirable:

(i) Knowledge of Sanskrit or a modern Indian Language.

(ii) Administrative Experience.

(iii) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting and drafting.

55. Not applicable.

Not applicable

Not applicable

Nil

56. Master's degree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a main subject at the degree level;

Not applicable

Nil

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level;

OR

8

9

10

11

Bachelor's degree with Hindi and English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma/Certificate Course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertakings.

(3) Serial numbers 19 and 25 relating to the posts of Hindi Officer and Hindi Translator and entries relating thereto shall be omitted

[No. CWC/XIV-4/Hindi) Rectt.]

B.B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note:- The principal regulations were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 vide No. CWC/XIV-4/Estdt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estdt. dated 1-4-1987.
2. CWC/XIV-4/Estdt. dated 19-6-1987.
3. CWC/XIV-4/Estdt. dated 19-6-1987.
4. CWC/XIV-4/Estdt. dated 29-1-1988.
5. CWC/XIV-4/Estdt. dated 24-6-1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-2-1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-5-1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 4-10-1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-3-1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-3-1995.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]
No. 15]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 1996 / ज्येष्ठ 1, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 1996 / JYAIKTHA 1, 1918

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1996

सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती।—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) इकीसवां संशोधन विनियम, 1996 कहा जाएगा।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 9, उप-विनियम (ख) में—
(क) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
“(ii) परिशिष्ट-II में उपदर्शित चयन पदों के संबंध में प्रोन्ति केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर समान चयन पदों के लिए जारी अनुदेशों में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित निर्धारित कार्यविधि के अनुसार एवं निदेशक मंडल द्वारा इसके अंगीकार किए जाने के पश्चात् की जाएगी।”
(ख) खण्ड-(iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
“(iii) सभी प्रोन्तियों पर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।”

बीबी० पटनायक, प्रबन्धक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-4 दिनांक 28-2-1986 संख्या सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्थापना द्वारा अधिसूचित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 01-04-1987
2. सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 19-06-1987

3. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 19-06-1987
4. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 29-01-1988
5. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 24-06-1988
6. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 9-6-1989
7. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 8-2-1991
13. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 17-5-1991
14. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 4-10-1991
15. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 15-12-1992
18. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 18-3-1994
19. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 28-3-1995
20. सं सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती दिनांक 22-11-1995

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1996

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty First Amendment) Regulations, 1996.
- (ii) These shall come into force on the date of publication in the official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 9, in sub-regulation (B)—
 - (a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) Promotion in respect of selection posts specified in Appendix-II shall be made *mutatis mutandis* as per procedure prescribed in the instructions issued by the Central government from time to time for its corresponding selection posts after their adoption by the Board of Directors”;
 - (b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely ;—

“(iii) All promotions shall be considered by a Selection Committee duly constituted by the Appointing Authority”.

B.B. PATTANAIK, Personnel Manager

Foot Note :—The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III Section 4 dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-1990

9. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990
10. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990
11. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990
12. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-2-1991
13. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-5-1991
14. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 4-10-1991
15. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992
16. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992
17. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-1992
18. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-3-1994
19. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-3-1995
20. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-1995



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]
No. 24]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 1998/ज्येष्ठ 7, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1998/JYAIKTHA 7, 1920

केन्द्रीय भण्डार निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1998

संख्या के.भ.नि./14-4/भर्ती.—ये अरहाउर्सिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डार निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डार निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डार निगम (कर्मचारी) 22वां संशोधन विनियम, 1998 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भण्डार निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 21 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अर्थात् : “21. अधिवर्षिता एवं सेवा-निवृत्ति—(1) निगम की सेवा में नियुक्त निदेशक मण्डल स्तर से नीचे का प्रत्येक कर्मचारी उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु कोई कर्मचारी जिसके जन्म की तारीख मास का पहला दिन है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन सेवा से निवृत्त होगा।

परन्तु यह और कि किसी भी कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति की 60 वर्ष की आयु से ऊपर सेवावृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(1-क) उपनियम (1) उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय भण्डार निगम (कर्मचारी) 22वां संशोधन विनियम, 1998 लागू होने की तारीख को निगम की सेवा में सेवावृद्धि पर होगा।”

[विज्ञापन/III/IV/103/98]

आई. सी. चड्डा, कार्मिक प्रबंधक (प्रभारी)

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-4 दिनांक 28-2-1986 संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना द्वारा अधिसूचित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 01-04-1987 | 12. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 08-02-1991 |
| 2. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-06-1987 | 13. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 17-05-1991 |
| 3. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-06-1987 | 14. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 04-10-1991 |
| 4. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 29-01-1988 | 15. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 18-12-1992 |
| 5. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 24-06-1989 | 16. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 29-12-1992 |
| 6. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 09-06-1989 | 17. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 15-12-1992 |
| 7. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 24-11-1989 | 18. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 18-03-1994 |
| 8. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 19-10-1990 | 19. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 28-03-1995 |
| 9. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 26-10-1990 | 20. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 22-11-1995 |
| 10. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 30-11-1990 | 21. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 30-04-1996 |
| 11.. सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 21-12-1990 | |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1998

No.CWC/XIV-4/RecTT.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Twenty-Second Amendment Regulation, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation, (Staff) Regulations, 1986, in regulation 21 for sub-regulation (i), the following shall be substituted, namely :—
- "21. Superannuation and retirement.—(i) Every employee below board level appointed to the service of the Corporation shall retire on the last day of the month in which he/she attains the age of sixty years :
Provided that an employee whose date of birth is the first of the month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years :
Provided further that no employee shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years .
(i-A) Sub-regulation (i) shall not be applicable to an employee who is on extension in service of the Corporation on the date of the commencement of the Central Warehousing Corporation, (Staff) Twenty-second Amendment Regulation, 1998."

[ADVT/III/IV/103/98]

I. C. Chadda, Personnel Manager (I/c)

- Foot Note.— The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4 Estt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :—
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. CWC/XIV-4/ESTTT. dated 01-04-87 | 11. CWC/XIV-4/RECTT. dated 21-12-90 |
| 2. CWC/XIV-4/ESTTT. dated 19-06-87 | 12. CWC/XIV-4/RECTT. dated 08-02-91 |
| 3. CWC/XIV-4/ESTTT. dated 19-06-87 | 13. CWC/XIV-4/RECTT. dated 17-05-91 |
| 4. CWC/XIV-4/ESTTT. dated 29-01-88 | 14. CWC/XIV-4/RECTT. dated 04-10-91 |
| 5. CWC/XIV-4/ESTTT. dated 24-06-88 | 15. CWC/XIV-4/RECTT. dated 18-12-92 |
| 6. CWC/XIV-4/RECTT. dated 09-06-89 | 16. CWC/XIV-4/RECTT. dated 29-12-92 |
| 7. CWC/XIV-4/RECTT. dated 24-11-89 | 17. CWC/XIV-4/RECTT. dated 15-12-92 |
| 8. CWC/XIV-4/RECTT. dated 19-10-90 | 18. CWC/XIV-4/RECTT. dated 18-03-94 |
| 9. CWC/XIV-4/RECTT. dated 26-10-90 | 19. CWC/XIV-4/RECTT. dated 28-03-95 |
| 10. CWC/XIV-4/RECTT. dated 30-11-90 | 20. CWC/XIV-4/RECTT. dated 22-11-95 |
| | 21. CWC/XIV-4/RECTT. dated 30-04-96 |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/वैशाख 6, 1921
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1999

सं. के. भ. नि./14-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम घनाता है अर्थात् :

1. (I) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (23वां संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।
(II) ये विनियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 32 के उप-विनियम (I) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
“(I) कर्मचारी एक वर्ष में पुरे वेतन पर ४ दिन तक आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होगा।”

ओ. प्र. भारती, प्रबंधक (कार्मिक)

नोट : मुख्य विनियम दिनांक 28-2-1986 की संख्या के. भ. नि./14-4/स्था. द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :—

1. के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 1-4-87
2. के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
3. के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
4. के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 29-1-88
5. के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 24-6-88
6. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 9-6-89
7. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 24-11-89
8. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 19-10-90
9. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 26-10-90
10. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 30-11-90

11. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 21-12-90
12. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 8-2-91
13. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 17-5-91
14. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 4-10-91
15. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 18-12-92
16. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 29-12-92
17. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 15-12-92
18. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 18-3-94
19. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 28-3-95
20. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 22-11-95
21. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 30-4-96
22. के. भ. नि./14-4/भर्ती, दिनांक 28-5-98

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1999

No. CWC/XIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations 1986, namely :—

1. (I) These regulations may be called the Central Warehousing (Staff) (23rd Amendment) Regulations, 1999.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 in regulation 32, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—
“(I) An employee shall be eligible for casual leave to the extent of eight days on full pay in a year.”

O. P. BHARATI, Personnel Manager

NOTE :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-87
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-88
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-88
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 08-02-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-05-91
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 04-10-91
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-92
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-92
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-92
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-03-94
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-03-95
20. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-95
21. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-04-96
22. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-05-98



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

No. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 1999/आषाढ़ 9, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 1999/ASADHA 9, 1921

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1999

सं. : के.भ.नि./14-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) का धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (चौबीसवां संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम-40 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

“40 क” कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम।

(i) कोई कर्मचारी कार्य स्थान पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो कार्य स्थान का प्रभारी है, ऐसे उचित उपाय करेगा कि कार्य स्थान पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न न हो।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष अथवा सांकेतिक रूप में यौन इरादे से किया गया अभद्र व्यवहार शामिल है, जैसे :

- (क) शारीरिक संस्पर्श तथा छेड़छाड़;
- (ख) यौन सम्पर्क के लिए कहना अथवा अनुरोध करना;
- (ग) यौन संबंधी टिप्पणी करना;
- (घ) अश्लील चित्र दिखाना; अथवा
- (ङ) यौन युक्त कोई भी अभद्र शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण।

ओ. प्र. भारती, प्रवन्धक कार्मिक

टिप्पणी :—मुख्य विनियम दिनांक 29-2-1986 की सं. के. भ. नि./०१-१४-४/स्था. द्वारा भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित हुए तथा तत्परतात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :—

1. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 01-04-87
2. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 19-06-87
3. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 19-06-87
4. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 29-01-88
5. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 24-06-88
6. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 09-06-89
7. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 24-11-89
8. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 19-10-90
9. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 26-10-90
10. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 30-11-90
11. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 21-12-90
12. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 08-02-91
13. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 17-05-91

14. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 04-10-91
15. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 13-12-92
16. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 29-12-92
17. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 15-12-92
18. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 18-03-94
19. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 28-03-94
20. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 22-11-95
21. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 30-04-96
22. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 28-05-98
23. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 26-04-99

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1999.

NO.CWC/XIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

(1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (24th Amendment) Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, after regulation 40, the following regulation shall be inserted, namely :—

"40A : Prohibition of sexual harassment of working women :—

- (i) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.
- (ii) Every employee who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

Explanation :—For the purpose of this regulation, 'sexual harassment' includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as—

- (a) Physical contact and advances;
- (b) a demand or request for sexual favours;
- (c) sexually coloured remarks;
- (d) showing any pornography; or
- (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature."

O. P. BHARATI, Personnel Manager

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide number CWC/XIV-4/Esst dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Esst. dated 01-04-87
2. CWC/XIV-4/Esst. dated 19-06-87
3. CWC/XIV-4/Esst. dated 19-06-87
4. CWC/XIV-4/Esst. dated 29-01-88
5. CWC/XIV-4/Esst. dated 24-06-88
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 08-02-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-05-91
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 04-10-91
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-92
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-92
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-92
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-03-94
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-03-94
20. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-95
21. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-04-96
22. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-05-98
23. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-04-99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, बुहस्यतिवार, दिसम्बर 5, 2002/अग्रहायण 14, 1924

No. 254]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2002/AGRAHAYANA 14, 1924

केन्द्रीय भण्डारण नियम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2002

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—वेअरहाउर्सिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण नियम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 2002(पच्चीसवां संशोधन) कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 (जिन्हें यहां बाद में कथित विनियम कहा गया है) के विनियम 69 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिसंस्थापित किया जाएगा:-

“ 59 शास्त्रियां-

नियम के किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्त्रियां जो यहां आगे दी गई हैं, उसके द्वारा किए गए अवचार या किसी अन्य ठीक तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी:-

छोटी शास्तियां

- (i) परिनिच्छा ;
- (ii) पदोन्नति रोकना ;
- (iii) उपेक्षा अथवा आदेश भंग के कारण निगम को पहुंचाई गई किसी धन संबंधी हानि की उसके वेतन से पूर्णतः अथवा आंशिक वसूली ;
- (iv) (क) बिना किसी संचयी प्रभाव के वेतन के टाइम-स्केल में निम्नतम प्रक्रम पर अवनति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो और कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
- (v) वेतनवृद्धियां रोकना ।

मुख्य शास्तियां

(vi) खण्ड (iv)(क) के प्रावधानों को छोड़कर एक निर्धारित अवधि के लिए वेतन के टाइम स्केल के निम्नतम प्रक्रम पर इन निदेशों के साथ अवनति कि निगम का कर्मचारी इस अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अंजित करेगा अथवा नहीं तथा इस अवनति से उसकी भविष्य की वेतनवृद्धियां स्थगित की जायेंगी अथवा नहीं ;

(vii) टाइम स्केल के निम्नतम प्रक्रम ग्रेड/पद अथवा सेवा में अवनति जो कि निगम के कर्मचारी के वेतन के टाइम-स्केल, ग्रेड/पद अथवा सेवा से की गई थी, में पदोन्नति पर प्रतिबंध तथा ये निर्देश देना कि उस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे उसकी अवनति की गई थी, को पुनः स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं तथा ग्रेड/पद अथवा सेवा की पुनःस्थापना पर उन्हें वरिष्ठता दी जायेगी अथवा नहीं ।

(viii) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

- (ix) सेवा से हटाना जो कि निगम में भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी
- (x) सेवा से पदच्युति जो कि निगम में भावी नियोजन के लिए सामान्यतया निरहता होगी ;

संबंधित मामले में ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति पाया जाना अथवा कानूनी पारिश्रमिक को छोड़कर कोई सरकारी कार्य करने अथवा न करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई परितोषण स्वीकार करना, प्रमाणित होने पर खण्ड (ix) एवं (x) में उल्लिखित शास्तियां दी जायेंगी ।

यह भी कि किसी अपवादित मामले में लिखित में विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति भी दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के अर्थ में शास्ति की श्रेणी में निम्नलिखित नहीं आयेंगे;

- (i) निगम के कर्मचारी की सेवा अथवा पद अथवा उसकी नियुक्ति शर्तों से संबंधित नियम अथवा आदेशों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण वेतनवृद्धि रोकना ;
 - (ii) दक्षतारोध को पार करने के लिए कर्मचारी की अयोग्यता के आधार पर टाइम स्केल में दक्षता रोध पर रोक ;
 - (iii) निगम के किसी कर्मचारी को चाहे वह नियमित अथवा परिवीक्षा अवधि में है, किसी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर जिसके लिए वह पात्र है, पर विचार करने के पश्चात् पदोन्नति न करना ।
 - (iv) निगम के कर्मचारी का उसके आचरण के अतिरिक्त किसी प्रशासनिक कारण से अनुपयुक्त समझे जाने पर उच्च सेवा, ग्रेड अथवा पद से उसे निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यार्वतन ।
 - (v) निगम का कर्मचारी जिसे परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, ग्रेड तथा पद पर नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षा के लिए लागू नियुक्ति की शर्तों अथवा नियमों तथा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा परिवीक्षा अवधि के अन्त में रथायी सेवा, ग्रेड तथा पद से प्रत्यार्वतन ।
 - (vi) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से आदत सेवा के कर्मचारी की सेवाओं को प्रतिरक्षणाप्रित्त करते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण को लौटाना ।
 - (vii) अधिवर्षिता अथवा सेवा निवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार निगम के कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना ।
 - (viii) सेवा की समाप्ति
- (क) परिवीक्षा पर नियुक्त निगम के कर्मचारी की परिवीक्षा-अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त में नियुक्ति की शर्तों अथवा ऐसी परिवीक्षा के विनियमों और आदेशों के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना ।
 - (ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 20 के प्रावधानों के अनुसार निगम की कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना अर्थात्
 - (ग) किसी करार के अधीन नियुक्त निगम के कर्मचारी को ऐसे करार के अधीन उसकी सेवाओं की समाप्ति ।

3. कथित विनियमों में विनियम 61 में-

(क) उप विनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिरक्षापित किया जाएगा अर्थात्-

“(ii) तब भी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच का आधार बनता है तो वह उसकी जांच करेगा अथवा इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए विभागीय जांच हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित शुल्क तथा शर्तों के अनुसार किसी लोक सेवक अथवा निगम के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका रत्तर प्रबन्धक से कम न हो अथवा अन्य सार्वजनिक धोत्र के उपक्रम के सामक्ष अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार किसी सेवा निवृत्त अधिकारी जो कि उप सचिव रो कम रत्तर का न हो, जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसे यहाँ बाद में जांच प्राधिकारी कहा गया है।”

ख) उप- विनियम (vi) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिरक्षापित किया जाएगा अर्थात्-

(vi) (क) कर्मचारी निगम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी को नहीं रख सकेगा, सिवाएँ तब के जब निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति विधिक व्यवसायी न हो-

(क) कर्मचारी जांच रत्तर या अन्यथा अपनी सरकारी हैसियत में मामले से किसी भी प्रकार संबंधित न हो,

(ख) कर्मचारी एक ही बार में तीन से अधिक मामलों में बचाव सहायक के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा वह जांच प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि उनके पास इस मामले सहित तीन से अधिक मामले नहीं हैं।

ख) कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निगम के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की सहायता ले सकेगा अर्थात्:

क) संबंधित कर्मचारी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो

ख) आरोपित कर्मचारी ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को नहीं लगा सकेगा जो विधिक व्यवसायी हो, जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एक विधिक व्यवसायी न हो।

ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी जांच रत्तर या अन्यथा अपनी सरकारी हैसियत में मामले से किसी भी तरह संबंधित न रहा हो।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारी एक ही बार में पाँच से अधिक मामलों में बचाव सहायक के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा तथा वह जांच प्राधिकारी को यह संतुष्ट करेगा कि उनके पास इस मामले सहित पाँच से अधिक मामले नहीं हैं।

4. कथित विनियमों में, विनियम 63 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा अर्थात्-

“63 क्र. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रक्रिया

- i) यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान चाहे यह अनुशासनिक सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनः नियुक्ति के दौरान शुरू की गई हो तो यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी तथा इसे उरी प्राधिकारी द्वारा तथा उसी विधि से अन्तिम रूप दिया जाएगा, मानो कि कर्मचारी सेवारत रहा था।
- (ii) अनुशासनिक कार्यवाही के लाभित रहने के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी निगम को हुई धनहानि के पूरे अध्यया भाग की वसूली के लिए ग्रेच्यूटी के भुगतान को रोक सकता है बशर्ते कि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही अध्यया न्यायिक कार्यवाही में उस अपराध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है, जो कि ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के संगत प्रावधानों में उल्लिखित हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः रोजगार सेवा संहित सेथा अवधि के दौरान कदाचार अथवा उपेक्षा के कारण निगम को हुई धन हानि के लिए भी ऐसा किया जा सकता है यदि कर्मचारी पूर्णतया आरोपमुक्त हो जाता है तो दोनों से हुए भुगतान के मामले में ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।
5. क्रम सं. 4 एवं इसकी प्रविष्टियों के लिए कथित विनियमों के परिशिष्ट-I में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिरक्षापित की जाएगी अर्थात्-

| क्रम सं० | पद | नियुक्ति प्राधिकारी | देख लेगाने के लिए प्रक्रम प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी | पुनर्विलोकन प्राधिकारी |
|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | प्राधिकारी | वण्ड | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | समूह “क”
अधिकारी | प्रबन्ध
निदेशक | प्रबन्ध
निदेशक | सभी | कार्यकारी
समिति |

जो. बी. पटनायक, प्रबन्धक कार्मिक
[विज्ञापन III/V/103/2002/अरा.]

टिप्पणी : मुख्य विनियम 28.2.1986 की संख्या के.भ.नि./14-4/रथा.द्वारा भाग-III
खंड-4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए लेठा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए:-

1. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 01.04.1987

2. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 19.06.1987
3. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 19.06.1987
4. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 29.01.1988
5. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 24.06.1988
6. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 09.06.1989
7. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 24.11.1989
8. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 15.10.1990
9. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 26.10.1990
10. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 30.11.1990
11. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 21.12.1990
12. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 8.2.1991
13. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 17.5.1991
14. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 4.10.1991
15. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 18.12.1992
16. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 29.12.1992
17. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 17.2.1993/15.12.93
18. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 8.3.1994
19. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 28.3.1995
20. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 14.11.1995
21. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 30.4.1996
22. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 28.5.1998
23. के.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 19.4.1999
24. दे.भ.नि./xiv -4/रिकूट दिनांक 10.6.1999

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2002

No. CWC/XIV-4/Rectt.— In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (25th Amendment) Regulations, 2002.
 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regualtions,1986 (hereinafter referred to as the said Regulations) for regulation 59, the following regulation shall be substituted, namely:-

“59 Penalties –

The following penalties may be imposed on an employee of the Corporation for any good and sufficient reasons namely:-

Minor Penalties:-

- (i) censure;
- (ii) withholding of his promotion

- (iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Corporation by negligence or breach of orders;
- (iv) (a) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding three years without cumulative effect and not adversely affecting his retirement benefits;
- (v) withholding of increments of pay;

Major Penalties:

- (vi) save as provided for in clause (iv)(a), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee of the Corporation will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vii) reduction of lower time scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee of the Corporation to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the employee of the Corporation was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;
- (viii) compulsory retirement;
- (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Corporation;
- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Corporation;

Provided that in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance

from any person of any gratification other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clauses (ix) and (x) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

Explanation – The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation, namely:-

- (i) withholding of increment of an employee of the Corporation for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rule or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) stoppage of an employee of the Corporation at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unsuitability to cross the bar;
- (iii) non-promotion of an employee of the Corporation, whether in a regular or on probation, after consideration of his case to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible;
- (iv) reversion of an employee of the Corporation working in a higher Service, grade or post to a lower Service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
- (v) reversion of an employee of the Corporation, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent service, grade or post

- during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
- vi) replacement of the services of an employee whose services had been borrowed from the Central or the State Government or any authority under the control of the Central or the State Government, at the disposal of the Central or the State Government or the authority from which the services of such employee of the Corporation had been borrowed;
- vii) compulsory retirement of an employee of the Corporation in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (viii) termination of the services ;
- (a) “of an employee of the Corporation appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing such probation, or
- (b) of an employee of the Corporation in accordance with the provisions of regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, or
- (c) of an employee of the Corporation, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.”
3. In the said regulations, in regulation 61—
- a) for sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “ (ii) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against an employee, it may enquire into.

or appoint any public servant or a retired official of Corporation not below the rank of Manager or from other Public Sector Undertakings of equivalent level or a retired officer from the Central Government not below the rank of Deputy Secretary as Inquiry Officer (hereinafter called the inquiring authority), for conducting departmental inquiries to enquire into the truth thereof, at such fee, terms and conditions as approved by Board of Directors from time to time”;

(b) for sub-regulation (vi), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

“(vi)(A) The employee may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose, unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner, subject to the following conditions, namely:-

(a) the employee shall not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity;

(b) the employee shall not act as a defence assistant in more than three cases at a time and he will satisfy the inquiring authority that he does not have more than three cases in hand including the case in question;

(B) The employee may also take the assistance of any retired employee of the Corporation subject to the following conditions namely:-

(a) the employee concerned have retired from the service of the Corporation;

- (b) the charged official shall not engage such retired employee, who is a legal practitioner, unless the presenting officer nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner;
- (c) the retired employee shall not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity; and
- (d) the retired employee shall not act as defence assistant in more than five cases at a time and he shall satisfy the inquiring authority that he does not have more than five cases in hand including the case in question”.

4. In the said regulations, after regulation 63, the following regulation shall be inserted, namely:-

“63A. Procedure for disciplinary proceedings after retirement

- (i) Any disciplinary proceeding, if instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the retirement of the employee, be continued and concluded by the authority by which it was commenced, in the same manner, as if the employee had continued in service.
- (ii) During the pendency of the disciplinary proceeding, the disciplinary authority may withhold payment of gratuity for ordering the recovery from gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation, if, the employee is found in a disciplinary proceeding or judicial proceeding to have been guilty of offence or misconduct as mentioned in the relevant sections of the payment of the Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) or

to have caused pecuniary loss to the Corporation by misconduct or negligence during his service, including service rendered on deputation or on re-employment after retirement, provided that the provisions of relevant sections of the Payment of Gratuity Act, 1972 shall be kept in view in the event of delayed payment, in case, the employee is fully exonerated".

5. In the said regulations in Appendix-I, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

| S.No. | Posts | Appointing Authority | Authority Competent to impose penalties | | Appellate Authority | Reviewing Authority |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Authority | Penalty | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Group 'A' Officers | Managing Director | Managing Director | all | Executive Committee | Board of Directors |

B.B. PATTANAIK, Personnel Manager
[ADVT. III/IV/103/2002-Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No.CWC/XIV-4/Estt. dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.

10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt Dated 4.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt Dated 18.12.1992
16. CWC/XIV-4/Rectt Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993 /15.12.1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/REctt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.4.1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.5.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.4.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999

26th Amendment

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 39]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

केन्द्रीय भण्डारण निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—ये अरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (26वां संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में

(क) सामान्य प्रबन्ध संवर्ग शीर्षक के अधीन—

(1) महा प्रबन्धक के पद से संबंधित क्रम सं. 1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की संख्या | वेतनमान | चयन पद
अथवा
गैर चयन
पद | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
द्वारा की जानी है तो यह किस
पद से की जाएगी | शैक्षिक
योग्यताएं | आयु
सीमा | आयु सीमा तथा
अन्य योग्यताएं
पदोन्नति की
दशा में लागू
होगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. कार्यकारी
निदेशक | समूह क | 3
(तीन) | 20500-
500-25000/-रु०
(औद्योगिक महंगाई
भत्ता) | चयन | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
हर बार बोर्ड द्वारा
निर्धारित की जानी है। | <u>पदोन्नति</u>
निगम के 14300-400-
18300/-रु०(केन्द्रीय महंगाई
भत्ता) के वेतनमान में अथवा
18300-400-22300/-रु०
(औद्योगिक महंगाई भत्ता) के
वेतनमान में महाप्रबन्धक के पद
पर संबंधित ग्रेड में कार्य कर रहे
चार वर्ष की नियमित सेवा वाले
अधिकारी ।

<u>प्रतिनियुक्ति</u>
अखिल भारतीय सेवाएं/केन्द्रीय
सेवाएं श्रेणी-।/केन्द्रीय सचिवालय
सेवा श्रेणी-। के 12000-375-
16500/-रु० वेतनमान के
अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र
का 6 वर्ष का अनुभव हो । | लागू
नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | केवल अस्थायी
सृजन । कार्यकारी
निदेशक के सभी
पद निगम में
संभावित रूप से
सृजित किए जा रहे
प्रकार्यात्मक
निदेशक के पदों के
भरे जाने पर समाप्त
हो जायेंगे । |

(ii) सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में क्रम सं०-३ पर वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं० | वेतनमान | चयन पद अथवा गैर चयन पद है | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी | शैक्षिक योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| महा प्रबन्धक (सामान्य) | समूह क | 5(पाँच) | 18300-400-22300/- रु० (औद्योगिक महंगाई भत्ता) | चयन | पदोन्नति अथवा सीधी अथवा प्रतिनियुक्ति हर बार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। | <u>पदोन्नति</u>
निगम के 12000-375-16500/- रु०(केन्द्रीय महंगाई भत्ता) अथवा 15,700-375-20,200/-रु० (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में उप महा प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक के पद पर सामान्य प्रबन्ध ग्रेड में कार्यरत 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी

<u>प्रतिनियुक्ति</u>
अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-। अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-। के 12,000-375-16500/-रु० वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 4 वर्ष का अनुभव हो । संबंधित क्षेत्र में 4 वर्ष के अनुभव वाले सार्वजनिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों पर नियुक्ति के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जा सकता है । | <u>सीधी भर्ती</u>
महा प्रबन्धक (सामान्य)
प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो अधिमानतः विज्ञेस प्रशासन अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में होनी चाहिए

<u>अनुभव</u>
सार्वजनिक संस्थाओं अथवा वाणिज्यिक संगठन, में वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव अथवा सरकार 12000-375-16500/-रु० के वेतनमान में 4 वर्ष का अनुभव | 45 वर्ष | लागू नहीं | प्रबन्धक (सामान्य) के विद्यमान 5 पद समाप्त हो जाएंगे । |

ख (ii) तकनीकी संवर्ग में कम से ०-१ पर प्रबन्धक (तकनीकी) के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं० | वेतनमान | चयन पद अथवा गैर चयन पद है | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी | शैक्षिक योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|-----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| महा प्रबन्धक (तकनीकी) | समूह क | 1
(एक) | 18300-400-
22300/-रु०
(औद्योगिक
महंगाई भत्ता) | चयन | पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति हर बार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। | <u>पदोन्नति</u>
तकनीकी ग्रेड में उप महा प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक के पद पर 12000-375-16500/-रु०(केन्द्रीय महंगाई भत्ता) अथवा 15,700-375-20,200/-रु० (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में कार्यरत 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले निगम के अधिकारी

<u>प्रतिनियुक्ति</u>
अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-I के 12,000-375-16500/-रु० वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 4 वर्ष का अनुभव हो। संबंधित क्षेत्र में 4 वर्ष के अनुभव वाले सार्वजनिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों पर नियुक्ति के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जा सकता है। | <u>सीधी भर्ती</u>
कीट विज्ञान सहित कृषि अथवा सूक्ष्म जीवविज्ञान अथवा बायोकैमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा बायोकैमिस्ट्री अथवा सूक्ष्म जीवविज्ञान अथवा कीट विज्ञान सहित प्राणी विज्ञान में प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री

<u>अनुभव</u>
सार्वजनिक संस्थाओं अथवा वाणिज्यिक संगठन में वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव अथवा सरकार में 12000-375-16500/-रु० के वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा का अनुभव | 45 वर्ष | लागू नहीं | — |

(ii) वित्त एवं लेखा संवर्ग में क्रम सं0-1 पर वित्तीय सलाहकार के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं0 | वेतनमान | चयन पद अथवा गैर चयन पद है | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी | शैक्षिक योग्यताएं | आयु सीमा | आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) | समूह क | 1
(एक) | 20500-500-
25000/-रु0
(औद्योगिक महंगाई भत्ता) | चयन | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति हर वार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी। | <u>पदोन्नति</u>
निगम के वित्त एवं लेखा संवर्ग में 14300-400-18300/-रु0 (केन्द्रीय महंगाई भत्ता) के वेतनमान में अथवा 18300-400-22300/-रु0 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में महाप्रबन्धक के पद पर संबंधित ग्रेड में कार्य कर रहे चार वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी

<u>प्रतिनियुक्ति</u>
अखिल भारतीय सेवाएं/केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-।/केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी। के 12000-35-16500/-रु0 वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो । | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | केवल अस्थायी सृजन। कार्यकारी निदेशक का पद निगम में संभावित रूप से सृजित किए जा रहे प्रकार्यात्मक निदेशक का पद भरे जाने पर समाप्त हो जायेगा |

ख (iii) वित्त एवं लेखा संवर्ग में क्रम सं0-2 पर उप वित्तीय सलाहकार एवं प्रबन्धक (लेखा) के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं0 | वेतनमान | चयन पद अथवा गैर चयन पद है | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी | शैक्षिक योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) | समूह क | 2 (दो) | 18300-400-22300/-रु0 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) | चयन | पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति हर बार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। | <u>पदोन्नति</u>
वित्त एवं लेखा संवर्ग में उप महा प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक के पद पर 12000-375-16500/-रु0(केन्द्रीय महंगाई भत्ता) अथवा 15,700-375-20,200/-रु0 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में कार्यरत 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले निगम के अधिकारी। | <u>सीधी भर्ती</u>
वित्त में विशेषज्ञता सहित बिजनेस प्रशासन में प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा इंस्टीचूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लागत एवं निर्माण कार्य एकाउंटेंट संस्था का सदस्य | 45 वर्ष | लागू नहीं | — |

(ग) एकल संवर्ग में क्रम सं^० १ पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं० | वेतनमान | चयन पद अथवा गैर चयन पद है | भर्ती की पद्धति | भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी | शैक्षिक योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | टिप्पणियाँ |
|-----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| मुख्य सतर्कता अधिकारी | समूह क | 1
(एक) | 18300-400-
22300/-रु०
(औद्योगिक
महंगाई भत्ता) | चयन | प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति
केन्द्र सरकार में उपसचिव अथवा इससे उपर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-। के अखिल भारतीय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियों में से जिन्हे सतर्कता कार्य का कम से 4 वर्ष का अनुभव हो। | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | इस पद को भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाएगा। |

बी. बी. पटनायक, कार्मिक प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/IV/103/2003/असा.]

टिप्पणी :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 02.12.2002

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2004

No. CWC/XIV-4/Recd.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Sixth Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II, to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986,—

(a) under the heading General Management Cadre,—

(i) for serial number 1 relating to the post of General Manager and the entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely :—

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made. | Educational Qualifications required for direct recruits | Age limit for direct recruits | Whether age limit and other qualifications will apply to promotees. | Remarks |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Executive Director | Group A | 3
(Three) | Rs.20500-500-25000
(Industrial Dearness Allowance) | Selection | Promotion or Deputation, to be determined by the Board on each occasion. | <p>Promotion :</p> <p>Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 14300-400-18300(Central Dearness Allowance) or Rs.18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) in the post of General Manager with four years regular service in the respective grade.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field</p> | Not applicable. | Not applicable | Not applicable | Only Temporary creation. All posts of Executive Director will stand abolished on filling up of the posts of Functional Director likely to be created in the Corporation." |

(ii) for serial number 3, relating to the post of Commercial Manager and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made. | Educational qualifications | Age limit for direct recruitment | Whether age limit & other qualifications will apply to promotees | Remarks |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. General Manager (General) | Group A | 5 (Five) | Rs.18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) | Selection | Promotion or Direct Recruitment or Deputation, to be determined by the Board on each occasion. | <u>Promotion :</u>

Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs.12000-375-16500 (Central Dearness Allowance) or Rs. 15,700 - 375 - 20, 200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager or Manager with four years regular service in the General Management cadre.

<u>Deputation :</u>

Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions at senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates. | <u>Direct Recruitment;</u>

A post graduate degree with 1st Division preferably in Business administration or Economics or Commerce Experience

At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisation in a senior Managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12000-375-16500 | 45 years | Not applicable | Existing five posts of Manager (General) will be abolished." |

(b) under the heading Technical Cadre, for serial number 1, relating to the post of Manager (Technical) and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made. | Educational qualifications | Age limit for direct recruitment | Whether age limit & other qualification s will apply to promotees | Remarks |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. General Manager (Technical) | <u>Group A</u> | 1 (One) | Rs.18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) | Selection | Promotion or Direct Recruitment or Deputation, to be determined by the Board on each occasion. | <u>Promotion:</u>

Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs.12000-375-16500 (Central Dearness Allowance) or Rs. 15,700 - 375 - 20, 200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager or Manager with four years regular service in the Technical cadre.

<u>Deputation:</u>

Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions at senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates. | <u>Direct Recruitment:</u>

A post Graduate Degree in First Division in Agriculture with Entomology or Microbiology or Bio-Chemistry or a post Graduate Degree in Bio-Chemistry or Micro-biology or a Post Graduate Degree in First Class in Zoology with Entomology.

<u>Experience:</u>

At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisation in a senior Managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12000-375-16500 | 45 years | Not applicable | |

(c) under the heading Finance and Accounts Cadre, -

(i) for serial number 1, relating to the post of Financial Adviser and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made. | Educational Qualification | Age limit | Whether age limit & other qualifications will apply to promotees | Remarks |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Executive Director (Finance and Accounts) | <u>Group A</u> | 1 (One) | Rs.20500-500-25000 (Industrial Dearness Allowance) | Selection | Promotion or Deputation, to be determined by the Board on each occasion. | Promotion:

Officers of the Corporation in Finance and Accounts Cadre working in the pay scale of Rs.14300-400-18300 (Central Dearness Allowance) or Rs.18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) in the post of General Manager with four years regular service in the respective grade.

Deputation:

Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field | Not applicable. | Not applicable | Not applicable | Only Temporary creation. The post of Executive Director will stand abolished on filling up of the post of Functional Director likely to be created in the Corporation." |

(ii) for serial number 2, relating to the post of Deputy Financial Adviser and Manager (Accounts) and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made. | Educational qualifications | Age limit for direct recruitment | Whether age limit & other qualifications will apply to promotees | Remarks |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. General Manager (Finance and Accounts) | Group A | 2 (Two) | Rs.18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) | Selection | Promotion or Direct Recruitment or Deputation, to be determined by the Board on each occasion. | <u>Promotion :</u>

Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs.12000-375-16500 (Central Dearness Allowance) or Rs. 15,700 - 375 - 20, 200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager /Manager with four years regular service in the Finance and Accounts cadre.

<u>Deputation :</u>

Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions at senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates. | Direct Recruitment:

A post graduate degree with first division in Business Administration with specialisation in Finance or a Member of Institute of Chartered Accountants or of the Institute of Cost and Works Accountants.

Experience:

At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisation in a senior managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12000-375-16500. | 45 years | Not applicable | |

(d) under the heading Isolated Cadre, for serial number 1 relating to the post of Chief Vigilance Officer and the entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

| Name of post | Classification | Number of posts | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment | In case of recruitment by promotion or deputation, from which to be made. | Educational qualifications | Age limit for direct recruitment | Whether age limit & other qualifications will apply to promotees | Remarks |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Chief Vigilance Officer | <u>Group A</u> | 1
(One) | Rs.18300-400-22300
(Industrial Dearness Allowance) | Selection | Deputation | <u>Deputation:</u>

Suitable officers from All India Services of Central Services Class-I eligible for appointment as Deputy Secretary and above under Central Govt. with at least four years experience in vigilance work. | Not applicable | Not applicable | Not applicable | For filling up this post, Department of Personnel and Training and Central Vigilance Commission guidelines will be followed. |

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

[ADVT-III/IV/ 103/2003/Exty.]

Note:- The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No.CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.02.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.6.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.02.1993/15.12.1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995.
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995.
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998.
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999.
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 02.12.2002.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]
No. 134]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 2004/श्रावण 9, 1926
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 2004/SRAVANA 9, 1926

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—भर्ती-वे अरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (सत्ताईसवां संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।
(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में वित्त एवं लेखा संवर्ग शीर्षक के अधीन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद से संबंधित क्रम संख्या-1, कॉलम-7 में प्रतिनियुक्त उप शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि एवं उप शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“प्रतिनियुक्ति

अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं समूह-क अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं समूह-क के 12000-375-16500/-रु० के वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का छह वर्ष का अनुभव हो अथवा वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के कॉरपोरेट कार्यकारी जिन्हें वित्त एवं लेखांकन के क्षेत्र में छः वर्ष का अनुभव हो । ”

बी.बी. पट्टनायक, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)

[प्रिज्ञापन/III/TV/103/2004/अस.] :

टिप्पणी :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 02.12.2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 27.2.2004

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2004

No.CWC/XIV-4/Rectt.- In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act,1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations,1986 namely:-

- 1) (I) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Seventh Amendment) Regulations,2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading Finance and Accounts Cadre, against serial number 1 relating to the post of Executive Director (Finance & Accounts) under Column No.7 for the existing entry sub-heading Deputation, the following entry and sub-heading shall be substituted namely:-

“Deputation:-

From amongst officers of All India Services or Central Services Group ‘A’ or Central Secretariat Services Group ‘A’ in the scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field or Corporate Executives at senior management level with six years of experience in the field of finance and accounting.”

B.B. PATTANAIK, Executive Director (Personnel)

[ADVT/III/IV/103/2004/Exty.]

Note :—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 *vide* No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended *vide* :—

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.2.2004



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2005/माघ 22, 1926

No. 20]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2005/MAGHA 22, 1926

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सं. के.भ.नि./XIV-4/भत्ती.— वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962(1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से “केन्द्रीय भण्डारण निगम (रटाफ) विनियम, 1986” में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्-

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (रटाफ) (अठाइसवाँ संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (रटाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में “सामान्य प्रबन्ध संवर्ग” शीर्षक के अधीन कॉलम संख्या-7 में क्रम संख्या-। पर कार्यकारी निदेशक के पद से संबंधित वर्तमान प्रविष्टि के लिए “प्रतिनियुक्ति” उप शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्-

“प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं समूह के अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं समूह के के 12000-375-16500 रूपये वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो अथवा वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के कॉरपोरेट कार्यकारी अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो ।”

ओ. पी. भारती, महा प्रबन्धक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/IV/असा./103/04]

टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 28 फरवरी, 1986 संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना द्वारा प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 02.12.2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 27.2.2004
27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.7.2004

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

No. CWC/XIV-4/Recrt.— In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:-

- 1) (I) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Eighth Amendment) Regulations, 2005.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading "General Management Cadre", against Serial number 1 relating to the post of Executive Director in column No.7 for the existing entry, under sub-heading "Deputation", the following entry shall be substituted, namely:-

"Deputation: From amongst Officers of All India Services or Central Services Group 'A' or Central Secretariat Service Group 'A' in the scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field or Corporate Executives at senior management level with six years of experience in the relevant field."

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)

[ADVT. III/IV/Exty./103/04]

Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.2.2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30.7.2004

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading "General Management Cadre", against Serial number 1 relating to the post of Executive Director in column No.7 for the existing entry, under sub-heading "Deputation", the following entry shall be substituted, namely:-

"Deputation: From amongst Officers of All India Services or Central Services Group 'A' or Central Secretariat Service Group 'A' in the scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field or Corporate Executives at senior management level with six years of experience in the relevant field."

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)
[ADVT. III/IV/Exty./103/04]

Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995.
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995.
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998.
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999.
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002.
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.2.2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30.7.2004.